कबायली स्त्रियाँ पूर्वी क्षेत्र में पुराने किस्म का करघा इस्तेमाल करती हैं जिससे वे अपने खाली समय में अपने पहनने-ओढ़ने के कपड़े बुनती हैं। इससे बुना हुआ कपड़ा बड़ा साफ-सुथरा और रंगीन होता है। चित्र में नागा स्त्री अपने घर में कपड़ा बुनती हुई।

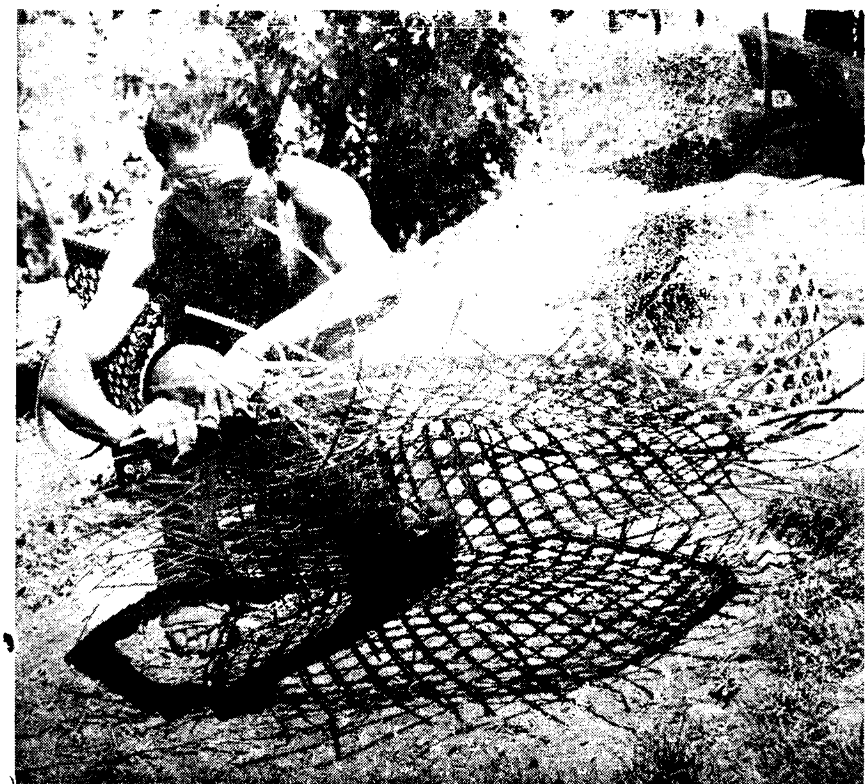

नागा कबायली क्षेत्र में बांस की टोकरी, छतरी तथा बांस की अन्यान्य वस्तुएं बनाने का बड़ा प्रचलन है। चित्र में बांस की कारीगरी का नमूना देखा जा सकता है।

कुरुक्षेत्र

वर्ष 22 श्रावण 1899 अंक 10

इस अंक में — पृष्ठ संख्या

ग्राम विकास की राशि में 79 प्रतिशत की बढ़ोतरी — 2
—श्री सुरजीत सिंह बरनाला

केन्द्रीय बजट में ग्राम विकास को प्राथमिकता — 4
—डा० शिवेन्द्र मोहन अग्रवाल

भूमि तथा जल स्रोतों का उपयोग — 6
—श्री आई० जे० नायडू

ग्रामीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता — 8

अन्न उत्पादन और खाद्य स्थिति में सुधार — 9

बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष कल्याणकारी कार्यक्रम — 10

सहकारी प्रशिक्षण की सुविधाओं में वृद्धि — 11

ग्रामीण विकास : नई व्यूह रचना — 12
—एच० आर० बिजारनिया

हिन्दी आशुलिपि में उच्च गति के कीर्तिमान — 14
— रघुनन्दन प्रसाद शर्मा

श्रमिकों की प्रबन्ध में भागीदारी — 16
—धर्मेन्द्र पाल सिंह

मणिपुर बने महान, भरे खेत खलिहान — 17
—श्री एन० भट्टाचार्य

कुछ अनोखी मछलियां — 21
—अरुण कुमार सिंह

कांगडा के लोक गीतों में सैनिक पत्नी की विरह वेदना — 24
—मनोहर लाल

काली छाया (रूपक) — 27
—डा० कृष्ण मुरारी शर्मा 'उन्निद्र'

भार (कहानी) — 30
—सविता राण पुरा

केन्द्र के समाचार — 33

साहित्य-समीक्षा — 35

सम्पादकीय पत्र-व्यवहार : सम्पादक 'कुरुक्षेत्र' (हिन्दी), कृषि मन्त्रालय, 467, कृषि भवन, दिल्ली के पते पर करें।

दूरभाष : 382406

एक प्रति 50 पैसे ● वार्षिक चन्दा 5.00 रुप

सम्पादक : महेन्द्रपाल सिंह
उपसम्पादक : पारसनाथ तिवारी
शशि बावला
आवरण पृष्ठ : आर० सारंगन

सम्पादकीय

तीस वर्ष के अपने शासन काल में कांग्रेस सरकारें बीमारी, बेरोजगारी और भुखमरी दूर करने की हमेशा ही कसमें खाती रहीं परन्तु इन तीनों का कलेवर लगातार बढ़ता रहा। अब जनता सरकार के हाथों सत्ता आई है और उसने भी इस समस्या से जूझने का फैसला किया है। आर्थिक क्षेत्र में नया दृष्टि कोण अपनाया जा रहा है और नयी आर्थिक नीति के निर्माण की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए जा रहे हैं। नई दिल्ली में योजना आयोग की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई ने नए दृष्टि कोण से नियोजन करने पर बल दिया है और बताया है कि देश में बेरोजगारों की संख्या 2 करोड़ 20 लाख है। हो सकता है कि बेरोजगारों की संख्या इससे भी अधिक हो, पर जो भी हो; समस्या बड़ी जटिल है और यह तभी हल हो सकती है जब समस्या का सही निदान खोजा जाए। कांग्रेस सरकारों ने बड़े-बड़े उद्योगों की स्थापना पर जोर देकर देश में सार्वजनिक तथा निजी दोनों ही क्षेत्रों में उद्योगों का काफी विस्तार किया परन्तु यह नीति बड़ी गलत साबित हुई और इससे समृद्ध वर्ग ही अधिक समृद्ध हुआ और बेरोजगारी में वृद्धि हुई। यही हालत कृषि क्षेत्र में भी रही। सरकार की ओर से जो साधन-सुविधाएं कृषि के लिए उपलब्ध की गईं वे भी बड़े किसानों के हाथों पड़ी और बेचारा छोटा किसान देखता ही रह गया। कहने का अर्थ यह है कि अब तक की हमारी आर्थिक नीति ही दोषपूर्ण रही है और इस नीति के परिणामस्वरूप अमीर अधिक अमीर होता गया और गरीब अधिक गरीब होता गया। परन्तु अब जनता सरकार की नीति ग्रामोद्योगों को बढ़ावा देकर बीमारी, भुखमरी और बेरोजगारी पर तीव्र प्रहार करने की हैं।

केन्द्रीय उद्योग मंत्री श्री जार्ज फर्नांडीज ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हम बड़े उद्योगों को बनाए तो रखना चाहते हैं पर हमारा विशेष जोर ग्रामीण उद्योगों पर ही रहेगा क्योंकि एक लाख रु० की पूंजी लगाने पर बड़े उद्योगों में केवल चार व्यक्तियों को, छोटे उद्योगों में 20 व्यक्तियों को और ग्रामीण उद्योगों में 60 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। साथ ही श्री फर्नांडीज ने बड़े-बड़े उद्योगपतियों को यह चेतावनी दे दी है कि उनकी मनमानी नहीं चलने दी जाएगी और यदि उन्होंने नई उद्योग नीति के कार्यान्वियन में रुकावटें डाली तो उन्हें आड़े हाथों लिया जाएगा परन्तु एक बात, जिसकी ओर हम उद्योग मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे वह यह है कि ग्रामोद्योगों की स्थिति ऐसी नहीं है कि वे आधुनिक तरीकों से उत्पादन करने वाले उद्योगों से प्रतिस्पर्धा में टिक सकें। अत: जरूरी है कि उत्पादन के लिए कुछ उत्पाद सुरक्षित रखे जाएं। दूसरी बात यह है कि ग्रामोद्योगों के तैयार माल की बिक्री की समुचित व्यवस्था का होना बड़ा जरूरी है और इस समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब सहकारी आन्दोलन को स्वस्थ और सबल बनाया जाए और जगह जगह मण्डी समितियां कायम की जाएं।

स्कूल और कालेजों से निकल कर प्रति वर्ष हजारों-लाखों नव-युवक काम दिलाऊ केन्द्रों के चक्कर काटते रहते हैं और बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि करते रहते हैं। यह समस्या [illegible] हल हो सकती है जबकि हमारे जनता पार्टी के [illegible] सोच रहे हैं उसे सही तरीके से अमल में लाने के [illegible]

ग्राम्य विकास की राशि में 79 प्रतिशत की बढ़ोतरी

श्री सुरजीत सिंह बरनाला

राष्ट्रीय जीवन में कृषि की प्रमुख भूमिका को देखते हुए 1977-78 वर्ष के लिए कृषि और सम्बद्ध सेवाओं जैसे कि सहकारिता, उर्वरक, सिंचाई, बाढ़-नियंत्रण तथा कृषि के लिए बिजली के वास्ते परिव्यय बढ़ाकर 3,024 करोड़ रु० कर दिया गया है जबकि 1976-77 में यह 2,312 करोड़ रु० था। ग्राम्य विकास के लिए नियत धन राशि में 79 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। ग्राम्य बिद्युतीकरण पर 56 प्रतिशत और प्रमुख तथा मझोली सिंचाई पर 45 प्रतिशत राशि की वृद्धि की गई है। हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि कृषि उत्पादन में वृद्धि की दर ऊंची हो। स्वतंत्रता के बाद कृषि में पैदावार निःसंदेह हुई है परन्तु यह वृद्धि अनेक वस्तुओं की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के अनरुप नहीं रही। खाद्य और कृषि उत्पादन मौसम की दया पर निर्भर है। आगामी वर्षों में हमारा उद्देश्य सभी महत्वपूर्ण फसलों में वृद्धि की दर तेज करना और कृषि उत्पादन पर मौसम के प्रतिकूल प्रभाव को कम से कम करना होगा।

अनाज में गेहूं की एक मात्र ऐसी फसल है जिसके संबन्ध में हाल के वर्षों में अद्भुत प्रगति हुई है। हालांकि देश में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अनाज चावल के उत्पादन में भी बढ़ोतरी हुई है, पर उसके परिणाम गेहूं के क्षेत्र में हुई प्रगति की बराबरी नहीं कर सकते। चावल की खेती देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न परिस्थितियों में होती है। हमने अधिक उत्पादन के मार्ग में उत्पन्न प्रमुख बाधाओं का पता लगाने और उपयुक्त समाधान ढूंढने का प्रयत्न किया है। ज्वार के बारे में अधिक पैदावार देने वाली किस्मों का क्षेत्र बढ़ाने और कीड़ों तथा बीमारियों की रोकथाम के उपाय किए गए हैं। मकई की पैदावार बढ़ाने के लिए प्रमुख उत्पादक जिलों में संगठित प्रयत्न किए जा रहे हैं। साथ ही, ज्वार, बाजरा और मकई की रोग-रोधक, अधिक पैदावार देने वाली किस्मों को तैयार करने के लिए अनुसंधान प्रयत्न किए जा रहे हैं। दालों, तिलहनों और कपास के उत्पादन की समस्याओं पर विचार करने के लिए हाल में एक विशेष अन्तर-विभागीय दल बनाया गया था। इस दल ने इनका उत्पादन बढ़ाने के लिए लघुकालीन और दीर्घकालीन सुझाव दिए हैं। हमने इन सुझावों के बारे में कार्य-वाही शुरु कर दी है। सरकार ने कृषि विश्वविद्यालयों और राष्ट्रीय बीज निगम तथा राज्य सरकारों को पर्याप्त राशि सुलभ करने का निश्चय किया है, ताकि बढ़िया और प्रमाणित बीज तैयार करा कर वाजिब दामों पर किसानों को बेचे जा सकें। फसलों में रोगों की रोकथाम के लिए विमानों से दवाई छिड़कने के कामों में सरकारी सहायता देने का निश्चय किया गया है। छोटे और सीमान्त किसानों को कपास, मूंगफली और सरसों की फसल पर विमानों से छिड़काव के लिए लागत का 100 प्रतिशत सहायता के रुप में मिलेगा और अन्य किसानों को 70 प्रतिशत। दालों और मूंगफली की अधिकाधिक फसल उगाने के लिए चुने हुए जिलों में विशेष अभियान शुरु करने का निश्चय किया गया है। पटसन का उत्पादन बढ़ाने के लिए भी कुछ उपाय किए गए हैं।

कृषि उत्पादन के लिए एक अत्यन्त बुनियादी आवश्यकता पानी की है। सिंचाई को उच्च प्राथमिकता देना जनता सरकार की बुनियादी नीति का एक अंग है। हमारा यह प्रयत्न रहेगा कि जो परियोजनाएं अभी पूरी नहीं हुई हैं, वे जल्दी से जल्दी पूरी कराई जाएं। पानी के बारे में अन्तर्-राज्यीय मतभेदों और विवादों को जल्दी से निपटाने के लिए जोरदार प्रयत्न किए जाएंगे। थियेन बांध को जल्दी पूरा करने के लिए मैं सम्बन्धित मुख्य मंत्रियों और ऊर्जा मंत्री की एक बैठक कराऊंगा ताकि इस बांध के सम्बन्ध में सभी मसले निपटा दिए जाएं। हमारी पुरानी सिंचाई प्रणाली आधुनिक कृषि की आवश्यकता के अनुरूप सिद्ध नहीं हो सकती है। इस प्रणाली में सुधार की काफी गुंजाइश है। भूमिगत जल और भूतल जल के उपयोग के महत्व को समझा जाना चाहिए और जहां भी संभव हो सके, भूतल जल साधनों को बढ़ाने के लिए उथले और गहरे दोनों प्रकार के नलकूप लगाए जाने चाहिए। बाढ़ की समस्या पर गहराई से विचार करने और बाढ़ नियन्त्रण तथा प्रबन्ध के बारे में ठोस सुझाव देने के लिए राष्ट्रीय बाढ़ आयोग बनाया जा चुका है। बाढ़ की समस्या को अलग-थलग करके नहीं देखा जाना चाहिए। इसे जल साधनों के बहु-उद्देश्यीय विकास का अंग माना जाना चाहिए ताकि नदियाँ विनाश की लहर लाने के बजाय लोगों को अधिकाधिक लाभ पहुंचाएं। पिछले तीस वर्षों में हमारी सिंचाई सुविधाओं में दुगुनी वृद्धि हो गई है, फिर भी काफी कुछ करना बाकी है। हमें लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वर्तमान् क्षमता को बढ़ाना होगा। सरकार छोटी सिंचाई योजनाओं को विशेष कर भूमिगत जल के विकास को महत्व देती है। इन पर अधिक से अधिक अमल करने के लिए प्रयत्न तेज किए जा रहे हैं।

हाल में विकसित उपयुक्त टैक्नोलाजी की सहायता से 64,000 हैक्टेयर ऊसर भूमि को खेती योग्य बनाया जाएगा। पांचवीं योजना के दौरान

इस काम पर 7 करोड़ रु० खर्च किए जाएंगे। असिंचित और सिंचित क्षेत्रों के किसानों की आमदनी में अन्तर को कम करने और उत्पादकता के बीच की खाई को पाटने के लिए भारत सरकार ने शुष्क भूमि खेती कार्यक्रम शुरु किया है। 12 राज्यों में 24 मार्गदर्शी परियोजनाओं पर इस सम्बन्ध में काम हो रहा है।

एक स्थान पर ठीक समय पर ठीक मूल्य पर बढ़िया किस्म के बीज सुलभ कराने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए उर्वरक भी एक महत्वपूर्ण चीज है। पहले उर्वरकों की कमी की शिकायतें थीं पर व्यवस्थित प्रयत्नों से इस समस्या का हल निकाल लिया गया है। उनके भावों की समीक्षा की जाएगी पर वर्तमान खरीफ मौसम में कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव नहीं है। भूमि सुधारों पर उचित प्रकार से और तेजी से अमल करना प्रमुख काम होगा। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के अनुभव के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए चकबंदी एक महत्वपूर्ण कदम है। मत्स्य विकास के लिए वर्तमान वर्ष में परिव्यय में तीन गुना वृद्धि का प्रस्वाव है। इस काम को बढ़ाने में धन की कमी आड़े नहीं आएगी। समुद्र तट के आसपास मत्स्य साधनों का पता लगाने के लिए कुछ परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। देश के अंदरूनी भाग में भी मत्स्य विकास के लिए विशेष जोर दिया जा रहा है। मुर्गीपालन का ग्राम्य विकास में महत्व सरकार स्वीकार करती है। छोटे और सीमान्त किसानों तथा कृषि मजदूरों की मुर्गीपालन से आमदनी बढ़ाने का कार्यक्रम शुरु किया गया है। वनों की ग्राम और आदिवासी क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। वनों के बारे में राष्ट्रीय नीति में संशोधन पर विचार किया जा रहा है।

[लोकसभा में दिए गए भाषण पर आधारित]

'कुरुक्षेत्र' के बारे में पाठक का पत्र

'कुरुक्षेत्र' का जून अंक देखा। मुख्य पृष्ठ ने इतना आकर्षित किया कि पढ़े बिना न रह सका। लेख, कहानी, कविताओं का श्रेष्ठ चयन एवं यथास्थान देने के लिए सम्पादकगण बधाई के पात्र हैं।

पृष्ठ दो पर स्वास्थ्य मंत्री का लेख अत्यन्त ज्ञानवर्धक है। पत्रिका ग्रामों के सर्वांगीण विकास के लिए अग्रसर है, इस बात की झलक प्रत्येक रचना में दीख पड़ती है। लघु उद्योगों के विकास में भारी उद्योगों की भूमिका,' 'सहकारिता में विपणन जग-शक्ति का नियोजन एवं विकास', 'लघु उद्योगों का निर्यात में योगदान' आदि लेख इस बात को स्पष्ट करने में सहायक है।

दिलीप सिंह चौहान की कहानी 'आशा' अन्त तक पाठक की जिज्ञासा बढ़ाने में सक्षम है। कहानी में अप्रत्यक्ष रूप से व्यंग्य एवं वार्तानुकूल भाषा ने कहानी को अत्यंत उत्कृष्ट बना दिया है।

जहां तक कविताओं का प्रश्न है, वहां उल्लेखनीय कविताओं में, 'मरुस्थलों में कलियां खिला रहे हम,' 'हाथों की पूंजी' प्रत्येक क्यारी लहलहायेगी, का नाम लिया जा सकता है। ग्राम्य वर्ग के अतिरिक्त पत्रिका सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व आंशिक रुप से करती है। इसके लिए साहित्य समीक्षा का स्तम्भ, पहला सुख निरोगी काया का स्तम्भ पर्याप्त है। केन्द्र एवं राज्यों के समाचारों से ग्राम्यजनों को अवगत कराने में पत्रिका ने अलग-अलग स्तम्भ निश्चित करके एक सराहनीय कार्य किया है।

रजनी पाठक
—साहित्य-निकेतन
दातागंज, 243638

चलो गोरी गऊवां की ओर

चलो, गोरी गऊवां की ओर,
नाच रहा सावन का मोर।
माटी गीत गाती है।
नदी इठलाती है।।
लहरें चुनरियां तोर,
चलो, गोरी गऊवां की ओर।
हरा भरा नंदन है।
गंध भरा चंदन है।
बरसे बदरिया घोर,
चलो, गोरी गउवां की ओर।
लगा हल पताल है।
मिट चला काल है।।
चमकें बिजुरिया जोर,
चलो, गोरी गऊवां की ओर
बरगद की छांव है,
भू का स्वर्ग, गांव है।
मानो कहनवां, सखी मोर,
चलो, गोरी गऊवां की ओर।

बनवारी लाल

केन्द्रीय बजट में ग्राम-विकास को प्राथमिकता ★ डा० शिवेन्द्र मोहन अग्रवाल

वार्षिक बजट सरकार की आर्थिक व सामाजिक धारणाओं का दर्पण है। बजट में की गई घोषणाओं से यह आभास हो जाता है कि सरकार देश की आर्थिक व सामाजिक नीतियों को किस दिशा में मोड़ देकर समाज की ज्वलन्त समस्याओं का समाधान करना चाहती है। जनता सरकार के सामने कीमत वृद्धि, मुद्रा प्रसार, बेकारी, आर्थिक विकास की धीमी दर आदि समस्याएं मुंह फाड़े खड़ी हैं, जिनका समाधान करने के लिए ठोस उपायों वाली योजना बनानी होगी। इन सब तत्वों को ध्यान में रखकर सरकार ने जनता को बजट में अनेक उपहार देने का प्रयत्न किया है।

बजट में उद्देश्य यह रखा गया है कि उत्पादन तथा रोजगार की वृद्धि की ऊंची दर प्राप्त करने के लिए अर्थव्यवस्था की प्रेरणा मिले और इसके साथ यह भी सुनिश्चित किया जाए कि आर्थिक प्रगति के फल भी जहां तक संभव हो, ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों को प्राप्त हों। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कृषि, लघु ग्रामोद्योगों एवं आधार भूत ग्रामीण ढांचे की पूंजी निवेश पर बल दिया गया है। भारत ग्राम एवं कृषि प्रधान देश होने के कारण बजट में कृषि विकास को प्राथमिकता दी जाए तो आश्चर्यजनक नहीं होना चाहिए। परन्तु इस बजट में जहां तक एक ओर कृषि को प्रधानता दी गई, वहां दूसरी ओर आधुनिक उद्योगों के प्रति उदासीनता के अनुभवों से यह सीख मिल गई है कि आर्थिक विकास की गति को तेज बनाने के लिए दोनों क्षेत्रों को सहयोगी के रूप में स्वीकार करना होगा।

योजना व्यय में वृद्धि : कृषि और सहायक सेवाओं, बड़ी, मध्यम एवं छोटी सिंचाई की परियोजनाओं तथा उर्वरकों एवं सहकारी संस्थाओं के लिए व्यवस्था एवं ग्रामीण इलाकों के लिए निर्धारित बिजली के क्षेत्रों के लिए कुल मिलाकर 3028 के करोड़ रुपये के आयोजन परिव्यय की व्यवस्था की गई है जो केन्द्र, राज्यों और संघीय राज्य क्षेत्रों के आयोजनों के समूचे परिव्यय का 30.4 प्रतिशत है। आयोजन की प्राथमिकताओं में इस प्रकार का परिवर्तन निश्चित रूप से उत्साह वर्द्धक सिद्ध होगा। इस वर्ष योजना व्यय में 27 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। गत वर्ष की योजना 7852 करोड़ रु० की थी परन्तु 1977-78 में वह बढ़ाकर 9970 करोड़ रु० कर दी गई है। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचाई की जरूरत को ध्यान में रखकर सिंचाई योजनाओं के लिए राज्यों को अग्रिम योजना सहायता के रूप में देने को 100 करोड़ रु० की, छोटी सिंचाई योजनाओं के लिए 260 करोड़ रु० की और पम्प सेटों को बिजली देने हेतु ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिए 175 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है। गांवों में पेय-जल की व्यवस्था के लिए वर्तमान व्यवस्था के अलावा 40 करोड़ रु० की अतिरिक्त राशि की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार बिजली के विकास के लिए जो कृषि और उद्योग दोनों के लिए अपरिहार्य है, 234 करोड़ रु० की राशि रखी गई है। तेल के मामले में भी देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तेल की खोज तथा निष्कासन कार्यक्रमों के लिए गत वर्ष के 485 करोड़ रु० की तुलना में इस वर्ष 677 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है और कच्चे तेल के उत्पादन का लक्ष्य भी गत वर्ष के 88.9 लाख टन से बढ़ाकर 113.1 लाख टन कर दिया है। पानी पंप करने वाले पावर पंपों पर लगने वाले शुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करके पावर टिलरों को सामान्य उत्पादक शुल्क से मुक्त रखकर छोटे किसानों की सहायता की गई है।

करों में छूट : बेरोजगारी देश की अर्थ-व्यवस्था पर सबसे अधिक दबाव डालने वाली समस्या है। अत: इसके हल के लिए सबसे अधिक ध्यान देने की जरूरत है। यह समस्या केवल औद्योगिकरण मात्र से ही हल नहीं हो सकती। अपर्याप्त वृद्धि की दर के कारण और उद्योग में पूंजी की की प्रधानता बढ़ जाने के कारण भारत के औद्योगिक ढांचे में रोजगार के अवसरों का काफी तेजी से विस्तार करने की क्षमता नहीं रही है। अत: इस बजट में कृषि विकास के साथ-साथ गांवों में औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया है। कम्पनियों को ग्राम कल्याण और ग्रामोत्थान के कामों में हाथ बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन न देने के लिए इस बजट में यह व्यवस्था की गई है कि इन कम्पनियों द्वारा ग्रामीण विकास के अनुमोदित कार्य-क्रमों पर खर्च किए गए खर्च की, उनके कर योग्य लाभों का हिसाब-लगाते समय कटौती कर दी जाएगी। देहाती इलाकों में छोटे पैमाने के औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना करने वाले उद्यमियों को प्राथमिकता दी जाएगी और प्रेरणास्वरूप ऐसे उपक्रमों को, जो 30 जून, 1977 के बाद शुरू किए गए हैं, दस वर्षों तक कर योग्य लाभों का हिसाब लगाने में अपने लाभ के 20 प्रतिशत के बराबर कटौती का लाभ मिलेगा।

श्रम प्रधान उद्योग : रोजगार के अवसरों को बढ़ाने वाले उद्योगों को इस बजट में प्रोत्साहन दिया गया है। ऐसा अनुमान है कि यदि खादी एवं ग्राम उद्योगों को सही दिशा में विकसित किया जाए तो वे बड़े पैमाने पर रोजगार की सुविधाओं का विस्तार करेंगे। योजना में इनके विकास के लिए 35 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है, साथ ही ऐसी व्यवस्था की गई है कि आवश्यकता पड़ने पर और अधिक धन राशि की प्राप्ति हो सके। ऐसा विश्वास है कि इन कार्यक्रमों से लगभग 25 लाख लोगों को जीवन यापन की सुविधा मिलने लगेगी। इसके अतिरिक्त, हथकरघा के विकास के लिए 20 करोड़ रु० और 4 करोड़ रु० रेशम के कीड़े पालन-उद्योग के लिए आबंटित किया गया है। इसका लाभ यह होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम प्रधान उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन

मिलेगा। सरकार ने उत्पादक शुल्क घटाने या कम करने की जो घोषणा की है उसका लाभ हैंडलूम उद्योग को भी मिला है। अब तक सीधी रील हैंकों में सप्लाई किया गया काटन यार्न ही उत्पादन शुल्क से मुक्त था। अब क्रोस रील हैंकों में 20 एस० काऊन्ट तक के कोटन यार्न को उत्पाद-शुल्क से मुक्त कर दिया है।

एक बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि कृषि एवं उद्योग का विकास परिवहन व संचार साधनों के समुचित विकास पर ही निर्भर है। ग्रामीण क्षेत्रों में बैलगाड़ी परिवहन का महत्वपूर्ण साधन है। अतः इसकी उपयोगिता को अधिक सक्षम बनाने के बारे में सोचना शुरू किया जाना चाहिए। पश्चिमी तकनीक की अन्धा-धुन्ध नकल करने के बजाय देशी तकनीक और उपलब्ध साधनों का समुचित उपयोग किया जाना चाहिए। कृषि की वृद्धि तेजी से होने से मरम्मत सेवा, परिवहन आदि सहायक कार्यकलापों में रोजगार की वृद्धि होगी। साथ ही ग्रामीण आधारभूत ढांचे के विकास पर खास तौर से ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। कृषि की उपज की विक्री के लिए उचित व्यवस्था करना दुष्कर होगा यदि निकटतम मंडियों के साथ हमारे गांव को जोड़ने के लिए सड़कों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होगी। इस बजट में ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए 20 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघरों व तार घरों को अधिक सुविधाएं जुटाने के लिए एक करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है।

कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि ग्राम विकास हेतु यह बजट जनता सरकार के संयम और विवेक का सूचक है। यह आशा की जा सकती है कि यह बजट गांधीजी के आत्मनिर्भर ग्रामीण समुदायों के विचार को ठोस रूप देने में आधारशिला का कार्य करेगा।

एच 9, नवीन शाहदरा,
दिल्ली-110032

विश्वसनीय एवं असली

पन्तनगर बीज

खरीदते समय कृपया निम्न तथ्यों को अवश्य देखें

● बीज सही प्रकार के थैलों में है, जिस पर
1. सील 2. प्रमाणी करण टैग तथा
3. दो बाली एक चक्र का निशान है.

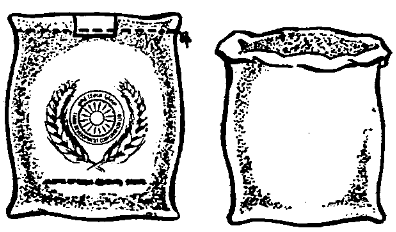

असली बीज ही खरीदें — नकली बीज न खरीदें

● कि थैलों पर हमारे निगम का निशान दो बाली और चक्र देखें.

उत्तम बीजों की पहचान
दो बाली एक चक्र निशान

● कि आप हमारे अधिकृत वितरक एवं विक्रेताओं से, जिनके पास तराई विकास निगम का साइनबोर्ड व प्रमाण पत्र है, बीज प्राप्त कर रहे हैं.

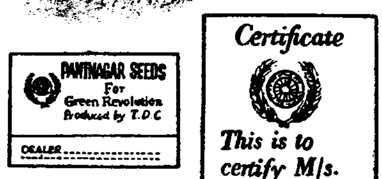

केवल अधिकृत विक्रेताओं से ही खरीदें।
अधिक दाम न दें, गलत स्थान से बीज न खरीदें,
पंतनगर के बढ़िया बीज सही समय पर
निर्धारित कीमत से खरीदें और ज्यादा लाभ कमायें।

अधिक जानकारी के लिये कृपया संपर्क करें अथवा लिखें :—
मैनेजिंग डाइरेक्टर
तराई डवलपमेंट कार्पोरेशन लि०
पन्तनगर, पो०आ० हल्दी, जिला नैनीताल

IMPACT

भूमि तथा जल स्त्रोतों का उपयोग

श्री आई० जे० नायडू

कृषि-क्षेत्र के विकास के लिए मुख्य साधनों में भूमि तथा जल उपयोग का प्रमुख स्थान है। अपने देश में अनेक बड़े भागों में पानी की बहुतायत नहीं है और साथ ही भूमि में भी उसके अत्यधिक प्रयोग के कारण उर्वरता में कमी आई है। पहले जिन क्षेत्रों में किसी समय जंगल थे और भूमि हरियाली से ढकी हुई थी, वे अब नंगे तथा अनुपजाऊ हो चले हैं अथवा वे ही स्थान अब ऐसे हो गए हैं जिनका तात्कालिक लाभ की दृष्टि से प्रयोग संभव नहीं है। परिणाम यह हुआ कि अनियमित रुप से भूमि के अत्यधिक प्रयोग के कारण काफी भूमि कमजोर होने लगी जिससे जमीन कृषि के लिए अनुपयुक्त हो गई। यह समस्या सूखा वाले इलाकों में और भी विकट है। जन-संख्या की वृद्धि के कारण उन जमीनों की भी खुदाई तथा जोताई की जाने लगी, जिन पर हमेशा ही हरियाली रहनी चाहिए थी। यह समस्या तब और विकट हो जाती है जबकि पशुओं के झुण्ड के झुण्ड ऐसे क्षेत्रों में चरने लगते हैं जहां उन्हें चरने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। अब तो एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि एक ही भू-भाग पर मानव तथा पशु दोनों के बीच अपने जीवन के लिए प्रतिस्पर्धा शुरु हो गई है।

सूखा पड़ने वाले क्षेत्रों में पानी एक दुर्लभ पदार्थ है। कुछ स्थानों में वर्षा जल का उपयोग अच्छी तरह नहीं हो पाता क्योंकि ऐसे स्थानों की जमीनें पर्याप्त नमी को सोखने में असमर्थ होती हैं। इस तथ्य के अतिरिक्त एक अन्य बात है। वह यह कि वर्षा ऋतु में काफी कुछ पानी तो थोड़े दिनों के भीतर बरस जाता है, जो अनियमित रूप में बह जाता है और साथ ही जमीनों के कीमती ऊपरी भाग को भी बहा ले जाता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यदि भूमि की रक्षा न की जाए तो प्रति वर्ष प्रति एकड़ 10 टन मिट्टी बह जाती है और 10 टन मिट्टी कई वर्षों में जाकर फिर जम पाती है। अतः समस्या बड़ी भारी है। इस बात को ही ध्यान में रखते हुए काफी कुछ विचार इस सन्दर्भ में इन क्षेत्रों के विकास के लिए किया गया है। इस सन्दर्भ में जल संग्रह क्षेत्र को सबसे अधिक वैज्ञानिक तरीका माना गया है, जिससे अनियंत्रित भूमि-क्षय तथा अत्यधिक जल-बहाव को रोका जा सकता है। ऐसी स्थिति में मानव अधिकतम उत्पादन के लिए भूमि तथा जल का प्रयोग कर सकता है।

जल संग्रह क्षेत्र की योजना : दूसरे शब्दों में इसे जलग्रहण क्षेत्र भी कहा जा सकता है। यह एक प्रकार का ऐसा भूमिक्षेत्र है, जहां से किसी निश्चित स्थान का पानी नालियों में बहता रहता है। कोई भी जल संग्रह क्षेत्र समतल हो सकता है या इसकी परिधि में पहाड़ या पहाड़ियां भी हो सकती हैं। जल संग्रह क्षेत्र किसी मकान या खेत के पिछले भाग में भी बनाया जा सकता है। हजारों किलोमीटर में निर्मित एक बड़ा जल संग्रह क्षेत्र भी हो सकता है। मुख्य नदी जल क्षेत्र के साथ-साथ कुछ सौ हैक्टेयर भूमि में अनेक जल संग्रह क्षेत्र हो सकते हैं। स्पष्ट शब्दों में इसे इस प्रकार कहा जा सकता है : पानी की प्रत्येक बूंद जो आकाश से गिरती है, वह या तो जमीन के अन्दर प्रवेश कर जाती है और या किसी दिशा में लुढ़क जाती है। इसी तरह कुछ बूंदें जो जमीन पर गिरती हैं, वे खास दिशा की ओर लुढ़कती जाती हैं और धरातल के ढलान द्वारा बहती जाती हैं। अन्त में जाकर ये सारी बूंदें एक बहुत ही छोटे स्थान में एकत्रित होकर धारा का रूप धारण कर लेती हैं। इस प्रकार—जल संग्रह क्षेत्र वह स्थान है जहां पानी गिरता है और वह स्थान जहां यह इकट्ठा होकर विभिन्न दिशाओं में गतिमान होता है। किसी क्षेत्र विशेष की स्थिति तथा भूमि तथा जल को ध्यान में रख कर जल संग्रह क्षेत्र का विस्तार निश्चित किया जा सकता है। एक किसान को ऐसी आवश्यकता हो सकती है कि वह अपनी जमीन पर ही पानी की प्रत्येक बूंद रोक ले। उसके लिए ऐसा करना संभव हो सकता है और यह भी संभव है कि बहुत से किसान उपलब्ध वर्षा जल तथा भूमि-क्षय पर तकनीकी इंजीनियरी कार्यशाला के माध्यम से नियंत्रण करने के लिए प्रयास करें। बड़े-बड़े बांध भी पाये जाते हैं जिनको भरने के लिए अत्यधिक जल-प्रवाह की आवश्यकता होती है। बांध तथा जलाशय बनने पर ही पानी पर नियन्त्रण किया जा सकता है। यदि इस प्रकार नियन्त्रण कार्य नहीं होगा, तो नदियां पहले की तरह ही अपना मार्ग बदलती रहेंगी और धन सम्पत्ति को उसी प्रकार नष्ट करती रहेंगी जैसा कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में देखा जाता है।

पानी का नियंत्रित प्रयोग : चूंकि वर्षा वाले इलाकों में डी. पी. ए. पी. एक कार्यक्रम चालू है, अतः पानी का नियंत्रण और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए खासतौर से इन क्षेत्रों में—जल संग्रह क्षेत्र कृषि विकास का मूल आधार बन गया है। विकास का कोई भी क्षेत्र हो, उसकी योजना आर्थिक तथा प्रशासनिक दृष्टिकोणों को ध्यान में रख कर होनी चाहिए। योजना बनाने वाले को निश्चित करना होता है कि आर्थिक आत्म निर्भरता तथा प्रशासनिक संभावना का मेल है या नहीं। अतः हमने इस बात का सुझाव दिया है कि खासतौर से पानी और भूमि-कटाव के नियंत्रण वाले क्षेत्र में विकास के लिए लगभग 5,000 हेक्टेयर वाले जल संग्रह क्षेत्र की व्यवस्था होनी चाहिए। पांच हजार हेक्टेयर का मतलब यह होगा कि इसकी परिधि में आठ से दस गांव आएंगे और इस प्रकार का क्षेत्र बहुत अच्छी तरह आर्थिक आधारभूत ढांचे और प्रशासनिक इकाई के अन्तर्गत आ सकते हैं। वाटरशेड (जल संग्रह क्षेत्र) का विकास एक जटिल कार्य है। इसके सारे क्षेत्र के धरातल ढलान, भूमि-प्रयोग तथा भूमि क्षमता आदि का नक्शा तैयार करने की जरुरत होतीहै। यदि एक बार सारे क्षेत्र

का नक्शा तैयार कर लिया जाता है तो उन स्थानों को भी लाभ पहुंचाया जा सकता है जहां पानी को नियंत्रित किया जा सकता है और इस प्रकार के पानी के नियंत्रण के लिए छोटी-छोटी सिंचाई परियोजनाओं की आवश्यकता पड़ती है। इस सन्दर्भ में छोटे-छोटे नियंत्रण बांध भी हो सकते हैं जो पानी के बहाव को नियन्त्रित कर सकेंगे। इसी तरह उन क्षेत्रों का भी पता चल जाएगा जहां भूमि की परिस्थितियां ऐसी हैं जिनसे आर्थिक दृष्टि से कोई भी लाभप्रद फसल पैदा नहीं की जा सकती। अतः यह अधिक उपयोगी होगा कि ऐसे क्षेत्रों को हमेशा हरित पट्टी के रूप में ही रखा जाए। इस प्रकार की हरित पट्टी घास हो सकती है या ईंधन की लकड़ी या चारे वाले पेड़ हो सकते हैं। इस प्रकार यह बात स्पष्ट है कि कृषि-विकास के लिए जल संग्रह क्षेत्र की योजना एक बहूद्देश्यीय योजना है।

आधारभूत ढांचे के विकास में धन की आवश्यता होती है। इसलिए इन विनियोगों से होने वाले लाभ ऐसे होने चाहिए जिससे देनदारी की व्यवस्था होती रहे। जल के नियंत्रण से अनाज का अधिक उत्पादन होता है। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि फसलों के लिए एक उपयुक्त लाभप्रद तकनीक उपलब्ध होनी चाहिए। इसके लिए इस बात की आवश्यकता है कि भूमि रक्षण इंजीनियरों तथा कृषि-विकास कार्यकर्ताओं के कार्यों में ताल मेल हो। इसी तरह यदि जमीनें फसल उगाने के योग्य नहीं हैं, तो इसे या तो चरागाह के रुप में बदल देना चाहिए या इस पर वृक्ष लगा देने चाहिए। ऐसी स्थिति में एक प्रश्न उठेगा कि ऐसे चरागाहों का प्रयोग कौन करेगा और ऐसे चारागाह किस प्रकार के पशुओं के लिए होंगे? अतः पशु देख-भाल विभागों को परीक्षण करना होगा कि किस प्रकार के पशु इन जमीनों में उगे हुए चरागाहों पर चर कर जीवित रह सकेंगे। इसलिए इस विभाग का संबंध फसल उगाने से भी है क्योंकि ये सीमान्त जमीनें व्यतिगत भी हो सकती हैं। इसी प्रकार यह भी संभव है कि उन इलाकों में जहां वृक्ष उगाये जा सकते हैं, वन-विभाग भी इस कार्य में शरीक हों। वन-विभाग को तब सोचना पड़ेगा कि उद्योगों में काम आने वाले वृक्षों को उगाना चाहिए या थोड़े समय में समाज को लाभ पहुंचाने वाले वृक्षों को उगाने में पहल करनी चाहिए। इसलिए इन क्षेत्रों में विकास के लिए एक बहुत ही सतर्कतापूर्ण तथा समन्वित योजना की आवश्यकता है। चाहे कभी एक वस्तु की भी क्यों न हो, इससे उपलब्ध भूमि तथा जल के पूर्ण एवं स्थायी प्रयोग में कमी रह जाएगी।

कर्मचारियों का प्रशिक्षण : प्रशिक्षण तथा अनुसंधान महत्वपूर्ण अवयव हैं। हम लगातार कार्यशालाओं और पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करते रहे हैं, ताकि जल संग्रह क्षेत्र योजना के महत्व पर राज्य स्तर के कर्मचारियों से लेकर क्षेत्रों में काम करने वाले सभी सरकारी कार्मचारियों को जानकारी दी जा सके और इनके साथ-साथ जल संग्रह क्षेत्र के प्रबन्ध संबंधी सभी पहलुओं पर जोर देते रहे हैं। अनेक प्रबन्धकारी संस्थान प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से इन जल संग्रह क्षेत्रों का अध्ययन कर रहे हैं, ताकि प्रभावी कार्यान्वियन के लिए एक उचित प्रशासनिक एवं संगठनात्मक ढांचा विकसित किया जा सके। जैसा कि देखा जाता है कि हमने जिला तथा जल संग्रह क्षेत्र के स्तर पर बहूद्देश्यीय समन्वय सुनिश्चित करने का कठिन काम हाथ में ले रखा है। अनेक शाखाओं के प्रधानों के लिए सामान्य प्रशिक्षण के कार्यक्रमों की व्यवस्था की जा चुकी है। इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य यह है कि विभिन्न शाखाओं में परस्पर संबंध रहे ताकि जल संग्रह क्षेत्र के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों का विकास किया जा सके। इसी प्रकार राज्य स्तरों पर भी ऐसे कार्यक्रमों पर जोर दिया जाता है। राज्य सरकारें इन आवश्यकताओं के विषय में सावधान रहती हैं और उन्होंने अन्त विभागीय समन्वय समितियों की स्थापना भी की है तथा वे ऐसे कार्यक्रमों के सभी पहलुओं पर देख-भाल करती रहती हैं।

हम लोग अभी इस कठिन कार्य की शुरुआत में ही हैं। अभी तो इस दिशा में काफी कुछ करना शेष है। हमें आशा है कि न केवल सरकारी कार्यकर्ताओं में अपितु ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेने वाली जनता में भी शीघ्र ही पर्याप्त उत्साह पैदा होगा। जहां कहीं भी विस्तृत योजनाएं बनाई गई हैं उनके सम्बन्ध में हमारा प्रयत्न यह रहा है कि मानव समुदाय इनमें भाग ले और उनकी स्वीकृति और सहमति से ही कार्यक्रम संचालित किए जाएं। इस आधार पर ही तकनीक का स्थानान्तरण प्रभावशाली ढंग से हो पायेगा। एक बार जब जनता तथा सरकारी कार्यकर्ता नये विचार स्वीकार कर उन्हें क्रियान्वित करने में लग जाएंगे तो उत्पादन बढ़ जाएगा और साथ ही विज्ञान तथा तकनीकी का प्रयोग साधारण लोगों के लाभ के लिए होने लगेगा।

अनु०-डा० लक्ष्मीनाराण पाठक्
ए-339, सूर्यनगर,
पो० आ० चिकम्बरपुर,
गाजियाबाद-201006 (उ० प्र०)

यावज्जीवनं भ्रियेत्
तावत स्वत्वं हि देहिनाम्
योऽधिकमनुमन्येत्
सः स्तेनः दण्डमर्हति

जितने से जीवन चल सके, उतने पर ही इंसान का अधिकार है। जो इससे ज्यादा चाहता है, वह चोर है और सजा पाने योग्य है।

—श्री मद्भागवत

ग्रामीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता

बुनियादी स्तर पर सुव्यवस्थित बहु-उद्देशीय संगठन के गठन के लिए सहकारियों के पुर्नगठन को प्राथमिकता कार्यक्रम के रूप में आरम्भ किया गया है। ग्रामीण ऋण ग्रस्तता सम्बन्धी कानूनी उपायों के अलावा, वैकल्पिक संस्थागत प्रवन्ध करने के लिए आनुषंगिक उपायों की विशेज्ञ समिति ने जांच की थी। यह जानकारी कृषि और सिंचाई मंत्रालय के ग्रामीण विकास की 1976-77 की वार्षिक रिर्पोट में दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार इस विभाग के सभी कार्यक्रमों में मुख्य बल व्यापक ग्रामीण विकास के सम्पूर्ण ढ़ांचे में कमजोर तथा गरीब ग्रामीणों की आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति सुधारने पर दिया गया है। समन्वित ग्राम विकास का नया कार्यक्रम शुरू किया गया। इस कार्यक्रम में ग्रामीण इलाकों में उपलब्ध जनशक्ति तथा अन्य संसाधनों के अधिकाधिक एकत्रीकरण तथा उपयोग द्वारा बेरोजगारी तथा अल्प रोजगारी और देहात की गरीबी की समस्याओं को हल करने पर बल दिया जाता है। 18 राज्यों में 20 जिलों को चुना गया है जहां इस योजना को शुरू किया जाएगा।

आंध्र प्रदेश और कर्नाटक को छोड़ कर सभी राज्यों और केन्द्र-शासित क्षेत्रों द्वारा खंडों का प्रथम चरण, द्वितीय चरण तथा द्वितीय चरणोत्तर में वर्गीकरण करने की प्रणाली अपनाई गई है। आंध्र प्रदेश में इनका वर्गीकरण पिछड़ा खंड, साधारण खंड और विकसित खंड के रूप में किया गया है।

कर्नाटक ने वर्गीकरण करना छोड़ दिया है और खंड के स्थान पर ताल्लुका को सामुदायिक विकास यूनिट के रूप में स्वीकार किया है। सभी राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों के लिए सामुदायिक विकास और पंचायती राज क्षेत्रों के अधीन वर्ष 1976-77 के लिए परिव्यय 1896·42 लाख रु० था जो वर्ष 1977-78 में बढ़ कर 2853·65 लाख रु० हो गया है।

उपलब्धियों के सामान्य मूल्यांकन से पता चलता है कि वर्ष 1975-76 में अधिकांश कार्यो में प्रशंसनीय प्रगति हुई है, फिर भी कुछ मदों में थोड़ी सी कमी भी पाई गई है। खंड कृषि उपज को अधिक से अधिक बढ़ाने तथा उसका आधुनिकीकरण करने के लिए उपाय करते रहे हैं। ग्राम सेवकों को अधिकांशत: कृषि कार्य सौंपे गए हैं। इस बात पर जोर दिया गया है कि कृषि उत्पादन के प्रभारी विस्तार कार्यकर्ताओं की पूरी संख्या बनाई रखी जाए और कार्यक्रमों के अनुसार, जहां आवश्यक हो, उनकी संख्या बढ़ाई जाए।

पशुपालन के क्षेत्र में 1974-75 की उपलब्धि के मुकाबले में 1975-76 में आमतौर पर सुधार हुआ है। सामुदायिक विकास और पंचायती राज सम्बन्धी राष्ट्रीय परिषद् की सिफारिशों के अनुसार 20 जुलाई, 1974 को एक त्रिसदस्यीय कमेटी गठित की गई थी जिसने अपनी रिपोर्ट जनवरी, 1976 में प्रस्तुत की। रिपोर्ट पर कार्यवाही करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई है।

कुछ राज्य सरकारों ने पंचायती राज प्रणाली का पुर्नविलोकन करने के लिए कदम उठाए हैं ताकि उनकी कार्य-प्रणाली में सुधार किया जा सके। आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र गुजरात और राजस्थान की सरकारों द्वारा नियुक्त की गई उच्चाधिकार समितियों ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकारों को दे दी हैं।

उपभोग ऋण

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अच्छी वसूली, डिपाजिट एकत्रीकरण तथा अधिकाधिक अंशपूंजी अंशदान द्वारा सहकारी समितियों के आंतरिक संसाधनों को मजबूत बनाने का कार्य भी आरम्भ किया गया है ताकि वे उपभोग ऋण की आवश्यकताओं को पूरा करने के योग्य बन सकें। भारतीय रिर्जव बैंक ने उपभोग ऋण देने के लिए सहकारी तथा वाणिज्यिक बैंकों को मार्गदर्शक सिद्धांत जारी किए हैं। भारतीय रिर्जव बैंक कृषि उत्पादन ऋण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उच्चतम ऋण सीमाएं स्वीकृत करता रहेगा। इस संदर्भ में पुर्नगठित समितियों की अंशपूंजी अंशदान के लिए पात्रता सीमा प्रति सोसायटी 5,000 रु० बढ़ा दी गई है। 'शुद्ध उपभोग ऋण' में शामिल संभाव्य जोखिम पूरा करने के लिए सहकारी सोसायटियों तथा वाणिज्यि बैंकों के लिए जोखिम निधि अंशदान की एक नई योजना शुरू की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत राज्यों तथा केन्द्र द्वारा जोखिम निधि अंशदान की देयता बराबर-बराबर बांटी जाएगी।

कृषि ऋण के क्षेत्र में 'बहु एजेंसी पहुंच' के अंतर्गत कृषि ऋण संस्थाओं के माध्यम से देने की नीति जारी रही। पांचवी पंचवर्षीय योजना में प्रमुख बल संस्थागत कृषि ऋण की मात्रा को बढ़ाने, ग्राम स्तर पर समन्वित ऋण ढांचा सुलभ करके सेवा की दशा में सुधार करने पर है ताकि किसानों की आवश्यक ऋण दिया जा सके और उनके द्वारा अपेक्षित सेवाएं तथा सप्लाई सुलभ की जा सके और इनका अधिकाधिक भाग कृषक समुदाय के कमजोर वर्गों तक पहुंचाया जा सके।

ग्रामीण बैंक

मार्च, 1977 तक 47 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए हैं। इनमें से 45 ने उस तारीख तक 13.09 करोड़ रु० के ऋण दिए और 10·25 करोड़ रु० के डिपाजिट जुटाए।

भूमि विकास बैंकों द्वारा ऋण देने की पात्रता की विधि में कुछेक परिवर्तन किए गए हैं।

सहकारी भूमि विकास सम्बन्धी समिति ने ऋणदायी नीतियों तथा पद्धतियों के सुधार के लिए विस्तृत सुझाव दिए हैं। ये सुझाव भूमि विकास बैंकोंतथा राज्य सरकारों के विचाराधीन हैं। ✶

अन्न उत्पादन और खाद्य स्थिति में सुधार

देश में 1976-77 के दौरान खाद्य स्थिति आमतौर पर अच्छी रही। देश के सभी भागों के बाजारों में उचित मूल्यों पर खाद्यान आसानी से उपलब्ध था। आलोच्य अवधि में अनाज की रिकार्ड वसूली हुई, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से खाद्यान्नों की निकासी में गिरावट आई, सरकार के पास भण्डार में अत्यधिक वृद्धि हुई और अनाज का आयात बन्द कर दिया गया था। कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय, के खाद्य विभाग के 1976-77 के वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार 1975-76 में खाद्यान्नों का 1208 लाख टन का रिकार्ड उत्पादन होने और सरकार द्वारा उत्पादकों के हितों की सुरक्षा करने की दृष्टि से सरकारी एजेंसियों द्वारा. वसूली मूल्यों पर बिक्री के लिए अनाज की सारी मात्रा खरीदने के कारण 1975-76 की फसल से खाद्यान्नों की वसूली 132 लाख टन के रिकार्ड स्तर पर पहुंच गई थी। 1976-77 की फसल से वसूली की गति अच्छी चल रही है। बाजार में खाद्यान्नों की उपलब्धि बढ़ने के कारण 1976 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से खाद्यान्नों की निकासी 1975 के 113 लाख टन से गिरकर 92 लाख टन रह गई। खाद्यान्नों की रिकार्ड वसूली साथ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से कम निकासी होने के कारण स्टाक में उल्लेखनीय वृद्धि हो गई। सरकार के पास मार्च, 1977 के अन्त में कुल स्टाक 180 लाख टन था जब कि मार्च 1976 में यह स्टाक 105 लाख टन था। स्टाक में निरन्तर सुधार होने से सरकार ने जून 1976 में खाद्यान्नों का आगे आयात न करने का फैसला किया।

रिपोर्ट के अनुसार खाद्यान्नों का 180 लाख टन से भी ज्यादा स्टाक होने और देश भर में 240,000 से भी अधिक राशन/उचित मूल्य की दुकानों का जाल बिछा होने से देश में अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली के दो अत्यधिक महत्व पूर्ण तत्व हैं, जिनकी चार बातें इस प्रकार हैं :—

1. सिंचित तथा वर्षा वाले क्षेत्र में उत्पादन तथा उत्पादकता में सुधार।
2. उत्पादन में अधिक स्थिरता लाना।
3. अनाज का पर्याप्त आरक्षित अर्थात् बफर स्टाक तैयार करना।
4. कुशल वितरण प्रणाली।

इस सुगम खाद्य स्थिति से बहुत नियन्त्रणों में या तो ढील दे दी गई या हटा लिए गऐ हैं जोकि कई वर्ष से चले आ रहे थे। दक्षिण और उत्तर में चावल के बड़े क्षेत्र बनाए गए हैं। गेहूं के पदार्थों के उत्पादन मूल्य, संचलन और वितरण पर लगे नियन्त्रण हटा लिए गए हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से प्रति व्यक्ति खाद्यान्नों की मात्रा में पर्याप्त वृद्धि कर दी गई है। अप्रैल, 1977 से गेहूं के एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने ले जाने पर लगे प्रतिबन्ध उठा लिए गए हैं।

उत्पादन के लिए, प्रतिवेदन में कहा गया है कि 1975-76 के दौरान फसलों के लिए मौसम की स्थिति कुल मिलाकर अनुकूल थी। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष आदान बिजली, सिंचाई, उर्वरक की सप्लाई की स्थिति भी बेहतर थी। खाद्यान्नों का कुल उत्पादन 1208·3 लाख टन हुआ, जबकि पिछले वर्ष 998.3 लाख टन (संशोधित अनुमान) हुआ था। उत्पादन में 210 लाख टन या 21% की वृद्धि हुई थी। 1975-76 में सभी फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई थी लेकिन ज्वार की पैदावार में 8·5% की गिरावट आई थी। हाल ही के वर्षों में दालों की पैदावार स्थिर रही है, इस वर्ष दालों की पैदावार 131·3 लाख टन के रिकार्ड पर पहुंच गई जोकि पिछले वर्ष के आंकड़ों से 30% से भी ज्यादा थी। 1976-77 के दौरान खरीफ की फसलों के लिए मौसम की स्थिति बहुत ज्यादा अनुकूल थी लेकिन पिछले वर्ष जैसी नहीं थी। मौसम की प्रतिकूल स्थिति होने के बावजूद 1976-77 के खरीफ खाद्यान्नों की पैदावार सामान्य स्तर के आस-पास होने की सम्भावना है यद्यपि 1975-76 के दौरान 741·9 लाख टन के रिकार्ड उत्पादन की तुलना में कम उत्पादन होगा। रबी खाद्यान्नों की समूची संभावनाएं अच्छी दिखाई देती हैं यद्यपि 1977 में बेमौसम की वर्षा होने से खड़ी फसलों को कुछ क्षति पहुंचने की खबर है।

रिपोर्ट में कहा गया है 1975-76 के दौरान अनाजों का रिकार्ड उत्पादन होने के कारण कुल वसूली लगभग 132 लाख टन के रिकार्ड स्तर पर हुई थी, जबकि पिछले वर्ष 82 लाख टन खाद्यान वसूल किए गए थे। चावल की वसूली (चावल के हिसाब से धान समेत) 63·32 लाख टन हुई थी जबकि पिछले वर्ष मौसम में यह वसूली 37·95 लाख टन थी। 83·22 लाख टन की कुल मात्रा में लगभग 40·35 लाख टन चावल केन्द्रीय पूल में दिया गया था।

1976-77 में सरकारी एजेंसियों द्वारा गेहूं की कुल वसूल की गई मात्रा 66·02 लाख टन थी जबकि पिछले वर्ष गेहूं की कुल वसूली 40·49 लाख टन थी। केन्द्रीय पूल में 1976-77 में गेहूं की दी गई मात्रा 50·80 लाख टन थी जबकि पिछले वर्ष (1975-76) 35·72 लाख टन थी। इसके अलावा, 1976-77 के विपणन मौसम के दौरान पंजाब और हरियाणा की राज्य सरकारों के पास रही 13·14 लाख टन गेहूं कीं मात्रा भी केन्द्रीय पूल में आनी है।

1975-76 के विषम मौसम में मोटे अनाजों की वसूली 3·01 लाख टन हुई थी और केन्द्रीय पूल में मोटे अनाजों की दी गई मात्रा 0·27 लाख टन थी।

चालू खरीफ मौसम 1976-77 में लगभग 41·84 लाख टन खरीफ के अनाजों (चावल और मोटे अनाज) की वसूली 31 मार्च, 1977 तक हुई थी जिनमें से 26·94 लाख टन अनाज केन्द्रीय

पूल में दिया गया है।

आयात और निर्यात

1976 के दौरान भारत में कुल 65·15 लाख टन खाद्यान्नों का आयात किया गया था जबकि 1975 में 74·07 लाख टन किया गया और 1974 में 48·74 लाख टन खाद्यान्न आयात किए गए थे। जून 1976 में सरकार ने यह निर्णय किया कि व्यापारिक खाद्यान्नों का आयात बन्द कर दिया जाए क्योंकि सरकार के पास उचित मात्रा में स्टाक जमा है।

1976 के दौरान लगभग 38.5 हजार टन बासमती चावल का निर्यात किया गया था। इसके अलावा, 1976-77 के दौरान 40 हजार टन जौ और 5 हजार टन दालों का एक कोटा निर्यात के लिए निर्धारित किया गया था जबकि 1976 के अन्त तक 31·2 हजार टन जौ और 5·4 हजार टन दालें निर्यात की गई थी। बाद में मूल्यों में बढ़ोत्तरी का दबाव पड़ने पर 1976-77 की अन्तिम तिमाही में दालों के निर्यात न करने का निश्चय किया गया था। ★

बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष कल्याणकारी कार्यक्रम

सामाजिक न्याय के साथ विकास को सुनिश्चित करने के लिए समाज कल्याण के ही क्षेत्र में 1976-77 के दौरान कई कार्यक्रम आरम्भ किए गए। यह जानकारी समाज कल्याण विभाग की 1976-77 की वार्षिक रिर्पोट में दी गई है। बच्चों के कल्याण के लिए समन्वित बाल कल्याण सेवाएं और विशेष पोषाहार कार्यक्रम शुरू किए गए। महिलाओं के कल्याण को ध्यान में रखते हुए कामकाजी महिलाओं को होस्टल सुविधा देने और उन्हें अपना काम चलाने के लिए आवश्यक शिक्षा देने के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किए हैं। विकलांगों के पुनर्वास के लिए उन्हें छात्रवृत्तियां व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार दिलाने के लिए रोजगार कार्यालिय खोलने की विशेष योजनाएं शुरू की गई।

स्वयंसेवी प्रयत्न को बढ़ावा देना और उस का विकास करना समाज कल्याण विभाग का एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसका कारण यह है कि समाज कल्याण समस्याओं का आकार और प्रकार ऐसा होता है कि यह आवश्यक हो जाता है कि कल्याणकारी योजनाओं को कारगर रूप से तैयार करने तथा उन्हें कायान्वित करने में लोग भाग लें। आरम्भ किए गए कार्यक्रमों के स्वरूप में जरूरी परिवर्तन किए गए हैं और निवारक तथा पुनर्वास सेवाओं पर अधिक बल दिया गया है। इन सेवाओं का मुख्य उद्देश्य व्यक्तियों, परिवारों और समुदाय की क्षमताओं का विकास करना है ताकि अपनी कमजोरियों के बावजूद वे राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा में प्रवाहित हो सकें।

बाल कल्याण

1976-77 के दौरान बाल कल्याण और पोषाहार के विशेष कार्यक्रम आरम्भ किए गए। देखभाल और सुरक्षा की जरूरत वाले बच्चों के कल्याण की योजनाओं के लिए पांचवी योजना के प्रारम्भ में रखी गई 5 करोड़ रुपये की राशि को बढ़ा कर 8 करोड़ रुपये कर दिया गया है। 25,000 बच्चों को बाल कल्याण योजनाओं का लाभ पहुंचाने की दृष्टि से पांचवी योजना के प्रारम्भिक लक्ष्य में संशोधन किया गया। पहले 13000 बच्चों को यह लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था। 1976-77 के दौरान 163 लाख रुपए की धनराशि सहायता के रूप में स्वीकृत की गई थी जिसमें 3905 अतिरिक्त बच्चों के भरण पोषण के लिए अनुदान शामिल है। इन बच्चों की कुल संख्या 19,810 तक बढ़ा दी गई है। 1975-76 में मंजूर की गई 33 प्रायोगिक समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाएं जारी रहीं। इन परियोजनाओं के अन्तर्गत बच्चों, गर्भवती महिलाओं, तथा दूध पिलाने वाली माताओं को स्वास्थ्य पोषाहार तथा शिक्षा संबंधी सेवाएं प्रदान की जाती है।

महिला कल्याण कार्यक्रम

अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के सम्बन्ध में फरवरी 1976 में महिलाओं की भूमिका और अधिकारों के बारे में अनुमोदित राष्ट्रीय कार्य योजना को लागू करने के लिए राष्ट्रीय महिला समिति का गठन किया गया। इस प्रकार की समितियों का गठन करने के लिए राज्य सरकारों को भी सलाह दी गई है। 33 समेकित बाल विकास सेवा परियोजना क्षेत्रों में स्त्रियों के लिए काम चलाऊ शिक्षा देने की योजना ने चालू वर्ष में तेजी से प्रगति की। सामान्य कामकाज के लिए आवश्यक शिक्षा देने के लिए कक्षाएं चलाने वाले केन्द्रों की संख्या अब 2269 है तथा इन कक्षाओं में शिक्षा पाने वाली स्त्रियों की संख्या 40249 है। शहरी क्षेत्रों में आवास की कमी को ध्यान में रखते हुए कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल के भवन निर्माण की एक योजना शुरू की गई। इस स्कीम ने पांचवी योजना में काफी प्रगति की और 1976-77 में 21 नए होस्टलों के निर्माण तथा विस्तार के लिए मंजूरी दी गई ताकि 1611 कामकाजी महिलाओं को रहने का स्थान मिल सके। 60 नगरों में कामकाजी महिलाओं के लिए आवास व्यवस्था करने के लिए पांचवी योजना के पहले तीन वर्षों में कुल स्वीकृत क्षमता 6655 है।

विकलांगों का पुनर्वास

सफल पुनर्वास के लिए शिक्षित होना बहुत आवश्यक है इस कारण भारत सरकार विकलांगों के लिए एक विशेष छात्रवृति कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है। आलोच्य वर्ष की अवधि के दौरान चालू 4507 छात्रवृतियों के अलावा सुविधाओं का विस्तार करने के लिए काफी बल दिया गया है। 1976 में 17 विशेष रोजगार कार्यालयों द्वारा लगभग 1650 विकलांग व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने के उपरान्त रोजगार में लगे ऐसे व्यक्तियों की कुल संख्या 15,500 हो गई। 1976-77 के दौरान विकलांगों के कल्याण कार्य में लगे 203 स्वयंसेवी संगठनों को 90·82 लाख रुपए की धनराशि अनुदान के रूप में दी गई। 1975-76 में 90 स्वयंसेवी संगठनों को 65 लाख रुपये का अनुदान दिया गया। ★

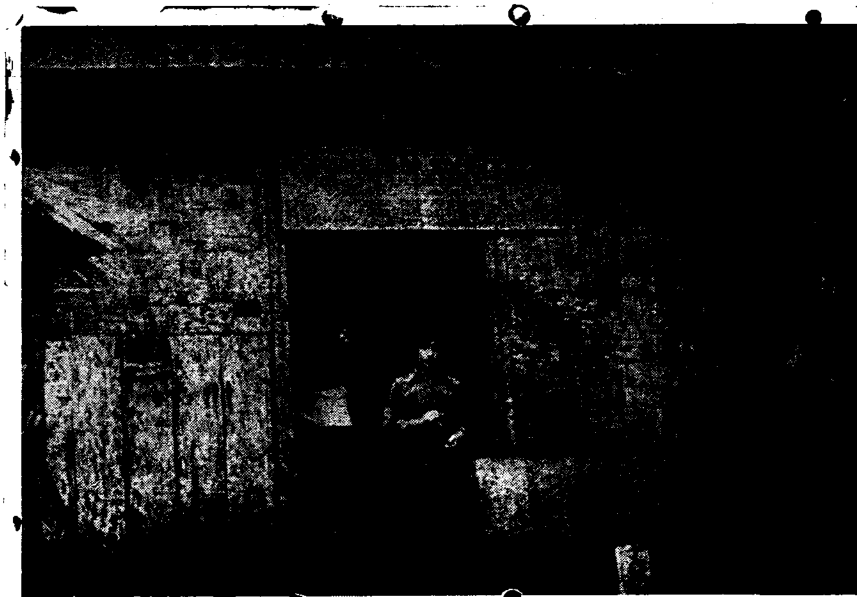

सहकारी प्रशिक्षण की सुविधाओं में वृद्धि

राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद, ने पिछले वर्ष के दौरान सहकारिता की दृष्टि से अल्प विकसित राज्यों में कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया। इस परिषद् का गठन गत वर्ष डा० एम० एस० स्वामीनाथन की अध्यक्षता में अनौपचारिक विशेषज्ञ दल द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर किया गया था। इस योजना में सहकारिता की दृष्टि से कम विकसित राज्यों में वर्तमान सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रों को मजबूत करने, नए केन्द्र खोलने तथा अपेक्षाकृत कमजोर सहकारी संस्थाओं के लिए विशेष आर्थिक सहायता की व्यवस्था करने की व्यवस्था है ताकि इन पाठ्यक्रमों में (अधिकाधिक लोग भाग ले सकें। यह जानकारी नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय की 1976-77 की वार्षिक रिपोर्ट में दी गई है।

इस योजना के अन्तर्गत परिषद ने वर्ष 1976-77 में उड़ीसा में बारीपाड़ा में एक नया केन्द्र खोलने तथा मशीबरा (हिमाचल प्रदेश), भरतपुर (राजस्थान) जम्मू (जम्मू तथा कश्मीर), कलिपोंग (पश्चिम बंगाल) तथा देवगढ़ (बिहार) स्थित पांच वर्तमान सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रों को मजबूत करने के लिए 4·30 लाख रुपए मंजूर किए हैं। रिपोर्ट के अनुसार सहकारी समितियों के कार्य-कलापों का महत्वपूर्ण विस्तार हुआ, उनके ढांचा और संगठन में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं और उनके लक्ष्यों में महत्वपूर्ण फेर-बदल किए गए हैं तथा प्रयासों को नई दिशा दी गई है। इस प्रकार सहकारी समितियों के कर्मचारियों के प्रशिक्षण तथा सहकारी संस्थाओं के सदस्यों और पदाधिकारियों के शिक्षण ने और अधिक महत्व प्राप्त कर लिया है।

इस समय एक शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान तथा बैकुण्ठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान है जो सेवारत कर्मचारियों के प्रशिक्षण की आवश्यकता को पूरा करता है। देश में 10 सहकारी प्रशिक्षण कालिज श्रेणी के कर्मचारियों के लिए हैं और 66 सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र कनिष्ठ कर्मचारियों के प्रशिक्षण की आवश्यकता को पूरा करते हैं। कनिष्ठ स्तर कर्मचारियों के कार्यक्रम राज्य सहकारी संघों द्वारा चलाए जा रहे हैं किन्तु बिहार, हरियाणा, नागालैंड, मणिपुर, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में ये कार्यक्रम सीधे राज्य सरकारों द्वारा चलाए जाते हैं। गोवा का केन्द्र गोआ राज्य सहकारी बैंक द्वारा चलाया जा रहा है। आन्ध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में ये केन्द्र सहकारी समितियों के रूप में पंजीकृत हैं। इनके निर्वाचित प्रबन्ध मण्डल हैं। इन राज्यों में इन केन्द्रों के लिए आवश्यक प्रशिक्षण का पर्यवेक्षण राज्य सहकारी संघों द्वारा किया जाता है और राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद द्वारा इन्हें सम्पूर्ण शैक्षणिक सहायता तथा मार्ग-दर्शन दिया जाता है।

वर्ष 1976 में त्रिवेन्द्रम में एक नया सहकारी प्रशिक्षण कालिज खोला गया जिससे ऐसे कालिजों की कुल संख्या 16 हो गई है और वारीपाड़ा, उड़ीसा में एक प्रशिक्षण केन्द्र खोला गया जिससे देश में प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या 65 से बढ़कर 66 हो गई।

★

ग्राम विकास की केन्द्रीय योजनाएं

विभाग बहुत सी केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनाएं चला रहा है। इनमें ग्रामीण महिलाओं के लिए संगठन, महिला मण्डलों का विकास करना और उन्हें सुदृढ़ बनाना, महिला मण्डलों को प्रोत्साहन पुरस्कार देना तथा एसोसिएट महिला कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना आदि शामिल है। युवक मण्डलों की कार्यपद्धति के बारे में राष्ट्रीय सामुदायिक विकास संस्थान द्वारा अध्ययन शुरु किया गया है। आशा है यह अध्ययन अगले वर्ष तक पूर्ण हो जाएगा। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में जनता की भागीदार के लिए कई बड़ी योजनाएं शुरु की गई हैं। लगभग 60 औद्योगिक व्यापारिक घरानों ने कृषि विस्तार और ग्रामीण विकास के कार्यों में पहले ही हिस्सा लेना शुरु कर दिया है। औद्योगिक और व्यापारिक घरानों का सहयोग बहुत उत्साहवर्धक रहा है। ★

ग्रामीण विकास : नई व्यूह रचना ★ एच० आर० बिजारनिया

एक बार गांधी जी ने कहा था 'जब तक देश में गरीबों का उत्थान नहीं होगा भारत आगे नहीं बढ़ सकता। जब तक स्वराज्य की रोशनी भारत के गांवों में नहीं पहुंचती तब तक हमारी आजादी का कोई महत्व नहीं होगा'।

आजादी के 30 वर्ष बीत चुकने पर भी गांधी जी की कही हुई बात पर हमारे आयोजक कोई अमल नहीं कर सके, और निरन्तर ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा करते रहे। विश्व के सबसे बड़े लोकतन्त्र भारत में 47 करोड़ की जनता तो केवल गांवों में बसी हुई है जो कुल जनसंख्या का 80 फीसदी भाग है और जिनमें 90 फीसदी व्यक्ति कृषि व्यवसाय में संलग्न होकर राष्ट्रीय आय के 45 फीसदी भाग के निर्माण में योगदान करते हैं। वस्तुतः ग्रामीण अर्थव्यवस्था हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है जो वर्षों से उपेक्षा की शिकार बनी हुई है।

सरकारी फाईलों में इस बात की कोई जानकारी नहीं मिल सकती है कि ग्रामीण किन हालातों में गुजर रहा है लेकिन एक ग्रामीण होने के नाते मैं जानता हूं कि गांवों का क्या हाल है। आज आवश्यकता है कि उनके विकास के लिए कदम बढ़ाए जाएं।

ग्रामीण विकास का क्षेत्र इतना व्यापक है कि उसमें असीमित कार्य किया जा सकता है। प्रथम सवाल ग्रामीण जनसंख्या की बेरोजगारी को दूर करने का है। राष्ट्र के आर्थिक विकास में बेरोजगारी सबसे बड़ी चुनौती है, जिसका भयावह रूप हमें गांवों में विशेष रूप से देखने को मिलता है, कृषि व्यवसाय ग्रामीण के जीविकोपार्जन का मुख्य धन्धा है जिसमें लगे हुए बहुत से व्यक्ति बेरोजगारी के शिकार बने हुए हैं। देखने में ऊपर से वे काम में लगे हुए मालूम होते हैं परन्तु यदि उनको वहां से हटा दिया जाए तो उत्पादन में कोई अन्तर नहीं आएगा। अर्थशास्त्र की भाषा में कहा जाए तो ये कह सकते हैं कि उनकी सीमान्त उत्पादकता शून्य है। ऐसे व्यक्तियों की संख्या गांवों में बहुतायत में पाई जाती है। भगवती कमेटी (1972) ने ग्रामीण बेरोजगारों की संख्या 161 लाख बताई है। भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री वी० वी० गिरि का कहना है कि यदि बेरोजगारी इसी गति से बढ़ती रही तो 1980 में ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ने वाली बेरोजगारी 4·9 करोड़ पर पहुंच जाएगी जो, मैं समझता हूं, बेरोजगारी की विस्फोटक स्थिति होगी। यदि इन आंकड़ों पर जरा भी विश्वास किया जाए तो क्या हमारी आर्थिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य इन बेरोजगारों को रोजगार दिलाना नहीं होगा? यदि होगा तो वे कौन से साधन होंगे जिनसे रोजगार की व्यवस्था की जा सके? ये प्रश्न हमारे सामने हैं।

सर्वविदित तथ्य है कि ग्रामीण जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय कृषि ही है। अतएव क्यों न हम कृषि उत्पादन को अत्यधिक बढ़ा दें ताकि उस पर काम करने वाले लोगों की संख्या को कम किया जा सके, बचे हुए अतिरिक्त श्रमिकों को कृषि सहायक उद्योग धन्धों में लगाया जाए जिनमें रोजगार की अधिक सम्भावनाएं हैं। एक सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चलता है कि आज छोटे उद्योगों में प्रति श्रमिक 1,757 रुपये की अचल पूंजी लगी हुई है और बड़े उद्योग में प्रति श्रमिक यह पूंजी 13,386 रुपये है। रोजगार पूंजी अनुपात के आधार पर इतनी ही पूंजी में छोटे उद्योगों में 7·5 गुना अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध किया जा सकता है। अतएव आज इन उद्योगों का विकास व विस्तार कर ग्रामीण रोजगार के अवसरों में वृद्धि करनी चाहिए।

दूसरा कदम जो रोजगार अवसरों से सम्बन्धित है, निर्माण कार्यक्रमों को चालू किया जाए अर्थात् गांवों में सड़क, पुल, रेल, बांध आदि के कार्यक्रम को चालू करके रोजगार को बढ़ावा देना उचित है।

हमारी नीति का दूसरा प्रश्न ग्रामीण ऋण ग्रस्तता की समस्या से है। भारतीय कृषक एक के बाद एक प्रत्येक वर्ष उधार लेता है किन्तु यह अपना ऋण चुका नहीं पाता। इसका कारण या तो ऋण की अधिकता होती है अथवा उसकी कृषि उपज की अपर्याप्तता। किसान जिस खेत पर काम करता है छोटी-छोटी बिखरी हुई जोतों में बंटा हुआ है। मानसून की कृपा मात्र बना हुआ है। मानसून न आना व अधिक आना दोनों ही स्थितियां उनकी बर्बादी का कारण बनती हैं। इसलिए किसान बांध व कुएं बनाता है व कृषि उपकरण खरीदना चाहता है जिसके लिए उसे भारी मात्रा में ऊंचे ब्याज पर ऋण लेना पड़ता है।

गांवों में स्वस्थ विकास के लिए व उचित ऋण सुविधा दिलाने हेतु वित्तीय समितियों की स्थापना की गई। सहकारी समितियां व व्यापारिक बैंकों की शाखाएं बड़े शोरगुल के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित की गई। रिजर्व बैंक को ग्रामीण ऋण व्यवस्था का विशेष उत्तरदायित्व सौंपा गया। 1955 में स्टेट बैंक आफ इन्डिया, 1963 में कृषि पुनर्वित्त निगम की स्थापना का किया जाना व 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर इस समस्या के सुलझाने के प्रयास किए गए। हाल ही के वर्षों में ग्रामीण बैंकों की स्थापना कर इस दिशा की ओर सराहनीय कदम उठाया गया है। लेकिन समस्या अब भी वही है जो दशाब्दियों पहले थी। अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण रिपोर्ट से यह बात स्पष्ट होती है कि किसानों की ऋण-आवश्यकता की पूर्ति में व्यापारिक बैंक सबसे ज्यादा

आलोचना का विषय रही हैं। इनका भाग निरन्तर घटते हुए 6 फीसदी रह गया है और सहकारी समितियों का भाग केवल 16 फीसदी ही है जबकि निजी समितियों द्वारा 80 फीसदी ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति की जा रही है। यह हमारे सामने कटु सत्य रहा है कि ऋण-आवश्यकताओं के लिए किसानों को साहूकारों की शरण में जाना पड़ता है जिस पर उसे ऊंचा ब्याज चुकाना होता है। आज यदि शाखा विस्तार किया जा रहा है तो इससे ग्रामीण कोष का शहरों में जाने का रास्ता और बन गया है।

नई व्यूह रचना में शाखा विस्तार को ही अपने कार्यक्रम का अंग नहीं बना लेना चाहिए यद्यपि शाखा विस्तार अपने आप में जरूरी है जिससे ग्रामीण बैंकों की स्थापना व विस्तार आशाजनक साबित हो सकता है। लेकिन मूलभूत प्रश्न कार्यरत बैंकों की कार्यप्रणाली को सरल बनाने का है।

आज भी एक अशिक्षित ग्रामीण किसान मामूली सी कागजी कार्यवाही को बहुत बड़ा भार समझता है जबकि हमारे बैंकों की कार्यवाही से महीनों तक किसान परेशान होता है जिसको अन्तोगत्वा बिना रिश्वत के पूरा नहीं कर पाता है। उसके लिए सरकारी कर्मचारी देवता तुल्य है जिसको समझाने व मनाने की विधि से वे वाकिफ नहीं हैं। मेरा तो यही सुझाव है कि ऋण देने के लिए बैंकों द्वारा समय-समय पर शिविर लगाने चाहिए और आवश्यक कर्मचारी उसी स्थान पर मौजूद होने चाहिए।

दूसरी नीति यह है कि पुराने ऋणों के सम्बन्ध में नियम बनाकर उन्हें समाप्त कर दिया जाए तथा नए ऋणों पर नियन्त्रण रखा जाए, जिससे प्रयत्न यह हो कि अत्यावश्यक और उत्पादक प्रयोजन के लिए ही उधार की सुविधा मिले। साहूकारों की गतिविधियों को रोकने के लिए उनका पंजीकरण करवाना जरूरी कर दें व उनके लिए लाईसेन्स की व्यवस्था लागू कर दें, जिससे ब्याज की अधिकतम दर भी निश्चित हो। इन सबके जांच पड़ताल के लिए एक जांच ब्यूरो की स्थापना करना भी आवश्यक है।

अन्तिम सवाल जो ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था से सम्बन्धित है, शिक्षा और स्वास्थ्य व परिवार कल्याण का है। आज देश में 30 फीसदी लोग ही शिक्षित कहलाने के अधिकारी हैं। गांवों में तो यह प्रतिशत और भी कम है। मुश्किल से 8-10 फीसदी व्यक्ति इस श्रेणी में आते होंगे। इसमें स्त्रियों की संख्या नगण्य सी है। इतनी बड़ी संख्या के निरक्षर व्यक्तियों को कैसे कृषि की आधुनिक विधि समझा सकते हैं? उन्नत बीज व रासायनिक खाद के बारे में उनका क्या ज्ञान हो सकता है। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रचार इसलिए बहुत ही जरूरी हो जाता है, जिसमें कृषकों को कृषि तकनीकी शिक्षा के लिए जानकारी दी जाए।

दुर्भाग्य से कृषि और स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत विशेषज्ञों ने ग्रामीण भोजन, पोषण व स्वास्थ्य की समस्याओं पर समग्र दृष्टि से विचार ही नहीं किया।

पीने के शुद्ध पानी का अभाव है। नदियों, नालों, तालाबों का पानी आज भी उन्हें पीने को मिलता है। उचित व पर्याप्त चिकित्सा सुविधा के न होने से साधारण सी बीमारी से ही उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। वह पर्याप्त जानकारी के अभाव में बड़ी बीमारी का रूप बन जाती है। परिवार का सही रूप से लालन-पालन नहीं हो पाता। शिक्षा की कमी से विवेकहीन जनसंख्या वृद्धि में सहयोग देते हैं। महिलाएं, जिनसे परिवार कल्याण संबंधित है, उन्हें परिवार कल्याण के विभिन्न पहलुओं का ज्ञान करवाया जाना चाहिए, ताकि स्वस्थ व सही परिवार को जन्म दे सकें। प्रौढ़ शिक्षा व प्रशिक्षण शिविरों के माध्यमों से ऐसी जानकारी दें ताकि बढ़ती हुई जनसख्या की समस्या के समाधान में सहायक हो सकें।

ग्रामीण विकास

आज ग्रामीण पुनर्निर्माण देश की प्राथमिक आवश्यकता है। अगर हम वास्तव में गरीबी समाप्त करना चाहते हैं तो ग्रामीण जनता का आर्थिक स्तर सुधारने की ओर सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। नई सरकार ने गांधी जी के कदमों पर चलने का वचन लिया है। अपने चुनाव घोषणा पत्र में ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी है। स्वयं प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई ने इस आवश्यकता को महसूस किया है। बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना के बजाय कृषि उत्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात सोची जा रही है, व रोजगार प्रधान छोटे कुटीर उद्योग की स्थापना पर अधिक जोर देने की आवाज उठ रही हैं। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने ग्रामीण स्वास्थ्य व परिवार कल्याण के लिए नई नीति की घोषणा की है। हाल ही में घोषित 10 वर्षीय योजना से नई संभवनाएं बनी हैं जो ग्रामीण विकास के लिए दिशा निर्देश कर सकती हैं।

व्याख्याता
राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर

हिन्दी आशुलिपि में उच्च गति के कीर्तिमान

★ रघुनन्दन प्रसाद शर्मा

जीवन में गति का महत्व सदा ही रहा है। गतिहीन जीव मृतक के समान होता है। वैज्ञानिक युग में प्रगति का मूल आधार भी गति ही है। किसी भी कार्य को जल्दी से जल्दी सम्पन्न करने में ही उसकी सफलता निहित है। जल्दी की इस आवश्यकता ने हर चीज के लघु रूप बनाने की प्रक्रिया को जन्म दिया है। आशुलिपि का अविष्कार भी उसी प्रक्रिया की एक शृंखला है। कोई व्यक्ति कितनी ही जल्दी और कितना ही अधिक क्यों न बोले उसे शीघ्रता से कुछ संकेतों में लिपिबद्ध करने को ही आशुलेखन की संज्ञा दी गई है।

यह ठीक है कि युग में आशुलिपि का प्रचलन बड़ी तेजी से हो रहा है परन्तु इस प्रकार की लेखन-पद्धति की कल्पना भी आज की है, यह कहना उचित न होगा। एक किवदन्ती के आधार पर इस प्रकार की लेखन पद्धति का सम्बन्ध महाभारत के रचनाकाल से भी जोड़ा गया है। कालीदास तथा तमिल की पुरानी रचनाओं में ऐसे लेखकों का उल्लेख मिलता है। हिन्दी में भी आशुलेखन का प्रचलन काफी समय पूर्व हो चुका था परन्तु इसके लिखने की लिपियां कौन-कौन सी थीं तथा उनमें कितनी गति से लिखा जाता था, यह ज्ञात नहीं है। जहां तक आज के हिन्दी आशुलेखन का प्रश्न है, उसमें कई प्रणालियां प्रचलित हैं और सभी अंग्रेजी की आशुलिपि की प्रणालियों पर आधारित हैं।

किस-किस व्यक्ति ने कितनी-कितनी गति प्राप्त की, इसका कोई प्रामाणिक लेखा-जोखा 1949 से पहले का उपलब्ध नहीं है। सन् 1949 में हिन्दी साहित्य सम्मेलन के 28वें अधिवेशन के अवसर पर काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा सर्वप्रथम अखिल भारतीय हिन्दी संकेत लिपि की प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें सर्वश्री बालकृष्ण मिश्र और महावीर प्रसाद सारस्वत ने क्रमशः 170 और 160 शब्द प्रति मिनट की गति से आशुलेखन करके प्रथम तथा द्वितीय स्थान प्राप्त किए। इन महानुभावों को हिन्दी साहित्य सम्मेलन एवं काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने 'संकेत लिपि रत्न' की उपाधि से सम्मानित किया। किन्तु इसके पश्चात् इस क्षेत्र में कोई भी उल्लेखनीय प्रयास नहीं किया गया। हिन्दी आशुलेखन के क्षेत्र में किसी भी ऐसी प्रतियोगिता का न होना और प्रतियोगिता के अभाव में इसमें ऊंची गति का न निकल पाना इस कला में रुचि एवं प्रोत्साहन का अभाव ही माना जा सकता है।

इस कला को प्रोत्साहन देने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान 'केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद्' का माना जा सकता है, जिसने हिन्दी में आशुलिपि प्रतियोगिता का नियमित रूप से आयोजन करके अनेक व्यक्तियों को हिन्दी में ऊंची से ऊंची गति पर आशुलेखन के लिए अवसर उपलब्ध कराए। परिषद् केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों में राजभाषा हिन्दी का प्रचार व प्रसार करने वाली एक स्वयं सेवी संस्था है जिसके सभी पदाधिकारी केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में कार्य करने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी हैं। परिषद् द्वारा कर्मचारियों में हिन्दी के प्रति रुचि पैदा करने की दृष्टि से कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। उसमें से एक हिन्दी आशुलिपि प्रतियोगिता भी है। इस प्रतियोगिता में जहां कार्यालयों में ऊंची से ऊंची गति पर आशुलेखन करने वाले उपलब्ध होने लगे, वहां इस कला में नए-नए कीर्तिमान भी स्थापित होने लगे।

परिषद् की प्रथम आशुलिपि प्रतियोगिता सन् 1962 में दिल्ली में आयोजित की गई, जिसमें 100,120,150 और 180 शब्द प्रति मिनट की गति पर आशुलेखन की व्यवस्था की गई थी। प्रतियोगियों ने इसमें बड़े उत्साह से भाग लिया। इस वर्ष प्रथम और द्वितीय स्थान सर्वश्री रविदत्त और श्याम चन्द्र श्रीवास्तव ने प्राप्त किया। प्रतियोगियों द्वारा दिखाई गई रुचि और उसके परिणामों से उत्साहित होकर 1963 में 200 शब्द प्रति मिनट की गति पर भी आशुलेखन का प्रबन्ध किया गया जिसमें श्री शरच्चन्द्र चतुर्वेदी ने सफलता प्राप्त करके प्रथम स्थान प्राप्त किया।

1964 में आशुलिपि प्रतियोगिता दिल्ली के अतिरिक्त लखनऊ, पटना, भोपाल, जयपुर और बम्बई में भी आयोजित की गई। सभी केन्द्रों पर 100,120 और 150 शब्द प्रति मिनट की गति पर आशुलेखन की व्यवस्था की गई। 180 और 200 शब्द प्रति मिनट की गति पर आशुलेखन की व्यवस्था केवल दिल्ली केन्द्र पर ही की गई थी। इस वर्ष भी 200 शब्द प्रति मिनट के गति वर्ग में प्रथम स्थान श्री चतुर्वेदी ने ही प्राप्त किया। 1965 में आयोजित इस प्रतियोगिता में 200 शब्द प्रति मिनट की गति पर सफलतापूर्वक लिखने वालों में सत्य प्रकाश मनोचा का नाम उल्लेखनीय है।

1966 में दिल्ली केन्द्र पर 220 शब्द प्रति मिनट की गति पर भी आशुलेखन की व्यवस्था की गई। जिसमें सर्वश्री शरच्चन्द्र चतुर्वेदी और सत्य प्रकाश

मनोचा ने सफलतापूर्वक आशुलेखन करके क्रमशः प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त किया। 1967 और 1968 में 100, 120, 150, 180, 200 और 220 शब्द प्रति मिनट पर आशुलेखन की प्रतियोगिताएं रखी गईं 1968 में 220 शब्द प्रति मिनट पर सफलतापूर्वक आशुलेखन करके प्रथम स्थान श्री सत्य प्रकाश मनोचा ने प्राप्त किया। द्वितीय स्थान पर श्री शरच्चन्द्र चतुर्वेदी रहे।

वर्ष 1969 में दिल्ली केन्द्र पर अन्य गति वर्गों के अतिरिक्त 230 शब्द प्रति मिनट की गति से 3 व्यक्तियों ने डिक्टेसन लिखकर इस शृंखला में एक नया कीर्तिमान जोड़ा। प्रथम और द्वितीय स्थान क्रमशः श्री सत्य प्रकाश मनोचा और श्री शरच्चन्द्र चतुर्वेदी ने ही प्राप्त किए। 1970 में 230 शब्द प्रति मिनट की गति पर आशुलेखन करने वालों में श्री जगदीश नारायण शर्मा का नाम उल्लेखनीय रहा। इस वर्ष भी प्रथम स्थान श्री सत्यप्रकाश मनोचा ने ही प्राप्त किया और उन्होंने लगातार 3 वर्ष तक अखिल भारतीय प्रथम स्थान प्राप्त करके 1970 में इस प्रतियोगिता की चल शील्ड स्थायी रूप में ले ली।

परिषद् के द्वारा आयोजित यह प्रतियोगिता निरन्तर लोकप्रिय होती जा रही थी और उच्च गति में आशुलेखन करने वालों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही थी। सन् 1971 में 230 शब्द प्रति मिनट की गति पर लिखने वालों की सूची में एक और नया नाम श्री गोपाल दत्त विष्ट का जुड़ गया और इस वर्ष इन्होंने ही अखिल भारतीय प्रथम स्थान प्राप्त किया।

1972 में आशुलिपि प्रतियोगिता के उच्चतम गति के वर्गों में सफलतापूर्वक आशुलेखन करके सर्वश्री मनोचा और गोपाल दत्त विष्ट ने क्रमशः प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त किया। वर्ष 1973 और 1974 में भी प्रथम स्थान श्री सत्य प्रकाश मनोचा ने ही प्राप्त किया और लगातार 3 वर्षों तक फिर प्रथम रह कर उन्होंने दूसरी चल शील्ड भी स्थायी रूप से लेकर हिन्दी आशुलिपि की प्रतियोगिता ही नहीं वरन् किसी भी प्रतियोगिता के क्षेत्र में एक कीर्तिमान स्थापित किया। 1974 में श्री गोपाल दत्त ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। 1976 में श्री विष्ट ने 240 शब्द प्रति मिनट की गति पर सफलतापूर्वक आशुलेखन करके अपना नया कीर्तिमान स्थापित किया।

इस प्रकार परिषद् ने नियमित रूप से आशुलिपि प्रतियोगिता का आयोजन करके न केवल ऊंची से ऊंची गति पर आशुलेखन की व्यवस्था करवाई बल्कि अनेक व्यक्तियों को इस दिशा में प्रेरित करने का महान कार्य किया। हर वर्ष नए-नए प्रतिभावान् आशुलिपिकों और रिपोर्टरों को इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करके नए-नए कीर्तिमान स्थापित कराए। प्रोत्साहित हुए व्यक्तियों में सर्वश्री सत्यप्रकाश मनोचा एवं श्री गोपाल दत्त विष्ट के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, जिन्होंने हिन्दी आशुलिपि में 240 शब्द प्रति मिनट की गति पर सफलता प्राप्त करके यह सिद्ध कर दिया है कि हिन्दी आशुलिपि में उच्च गति प्राप्त करना कठिन कार्य नहीं है। इनके अतिरिक्त उच्च गति वर्गों में सफलता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों में सर्वश्री शरच्चन्द्र चतुर्वेदी, जगदीश नारायण शर्मा, श्यामनाथ टंडन, मनमोहन लाल गुप्त एवं मोहनचन्द्र तिवारी के नाम भी उल्लेखनीय हैं। ये सभी महानुभाव लोक सभा एवं राज्य सभा में संसदीय रिपोर्टरों के रूप में कार्यरत हैं।

श्री शरच्चन्द्र चतुर्वेदी का नाम हिन्दी आशुलिपि के इतिहास में विशेष महत्व का रहेगा क्योंकि उन्होंने उस समय इस क्षेत्र में प्रवेश करके उच्च से उच्च गति आशुलेखन किया, जबकि बहुत कम व्यक्ति ही इस क्षेत्र में आगे आ रहे थे। उनकी तपस्या ने ही आगे आने वाले व्यक्तियों को प्रेरणा दी। श्री गोपालदत्त विष्ट ने अंग्रेजी आशुलिपिक के रूप में कार्य करते हुए भी हिन्दी आशुलिपि के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करके सराहनीय कार्य किया। 1965 की आशुलिपि प्रतियोगिता में 100 एवं 120 शब्द प्रति मिनट की साधारण गति से बढ़कर 1971 में 230 शब्द प्रति मिनट और 1972 में 240 शब्द प्रति मिनट की गति पर आशुलेखन करके उन्होंने अखिल भारतीय प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करके उन लोगों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया जो इस कला में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। श्री विष्ट उपर्युक्त सभी महानुभावों में सबसे कम उम्र के हैं और न्यूनतम समय में उच्चतम गति प्राप्त करने का श्रेय भी उन्हीं को है।

हिन्दी आशुलेखन की कला के विकास के लिए अभी बहुत व्यापक क्षेत्र पड़ा हुआ है। धीरे-धीरे इसमें और भी ऊंची गति की प्रतियोगिताएं आयोजित करके नए-नए कीर्तिमान जुड़वाए जा सकते हैं। परन्तु यह तभी सम्भव है, जब अधिक अधिक आशुलिपिक और रिपोर्टर इस ओर आगे बढ़ें। पुरस्कार, पदक प्रशस्ति-पत्र तो प्रोत्साहन मात्र हैं। वास्तव में तो इस समय जो लोग इस क्षेत्र में ऊंचे उठेंगे वे राजभाषा हिन्दी के भावी भवन की नींव के मजबूत पत्थर माने जाएंगे। वे एक नए इतिहास के निर्माता होंगे और हिन्दी भाषा के गौरव होंगे।

★

हिन्दी ही राष्ट्रीय एकता की कड़ी है

श्रमिकों की प्रबन्ध में भागीदारी

धर्मेन्द्र पाल सिंह

'मुक्त व्यापार' सिद्धान्त के प्रवर्तक एडम स्मिथ और उसके अनुयायिओं ने श्रमिक को भी उत्पादन का एक साधन मात्र समझा। इससे उत्पन्न शोषण की प्रवृत्ति के कारण मालिक और मजदूर के सम्बन्ध अत्यन्त तनावपूर्ण रहे। लेकिन दोनों महायुद्धों के दौरान औद्योगिक शान्ति का महत्व-उभर कर सामने आया। इससे दोनों वर्गों के मधुर सम्बन्धों की आवश्कता तथा संयुक्त विचार-विमर्श की भावना का जन्म हुआ। सबसे पहले ब्रिटेन में 1916 में विट्ले रिपोर्ट में औद्योगिक प्रवन्ध में श्रमिकों की राय भी जानने की सिफारिश की गई। किन्तु सर्वप्रथम संयुक्त राज्य ने दूसरे महायुद्ध के दौरान उद्योगों में 'संयुक्त परिषद्' बनाकर इस विचार को क्रियान्वित किया।

महायुद्ध के बाद स्कैन्डिनेविया के देशों में श्रमिकों के प्रबन्ध में भागीदारी के सफल प्रयोग ने अन्य लोकतान्त्रिक देशों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। इस प्रयोग की सफलता का अन्दाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि स्वीडन में औद्योगिक विवादों के परिणामस्वरूप कभी भी साल भर में 20 हजार से ज्यादा श्रम घन्टों का हर्जा नहीं हुआ। कभी-कभी तो यह क्षति घटकर मात्र 5 हजार श्रम घन्टे तक रह जाती है।

1956 के भारतीय औद्योगिक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव में कहा गया है 'समाजवादी लोकतान्त्रिक देशों के विकास के संयुक्त कार्य में श्रमिक भी भागीदार है और उसे उत्साहपूर्वक इस कार्य में भाग लेना चाहिए—उद्योगों में संयुक्त विचार-विमर्श होना चाहिए तथा श्रमिकों को प्रबन्ध में लेना चाहिए।' इसी भावना से प्रेरित हो दूसरी योजना के दौरान एक भारतीय अध्ययन दल को यूरोप के कुछ देशों के दौरे पर भेजा गया। पन्द्रहवें भारतीय श्रमिक सम्मेलन में, श्रमिकों की प्रबन्ध में हिस्सेदारी सम्बन्धी इस अध्ययन मण्डल की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया। अन्ततः तीसरी योजना में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में 'संयुक्त प्रबन्ध परिषदों' की स्थापना की गई। यहां यह बता देना आवश्यक है कि इससे पूर्व 1947 के औद्योगिक विवाद कानून में भी 'वर्क्स कमेटी' बनाने का प्रावधान है। लेकिन 1975 तक यह योजना कागजों पर अधिक रही।

जैसा कि प्रायः समझा जाता है प्रबन्ध किसी वर्ग विशेष का कार्य नहीं है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह छोटे या बड़े किसी भी पद पर हो, हिस्सा लेता है। एक वैल्डर जो अपनी समझ-बूझ से औजारों तथा संसाधनों के न्यूनतम प्रयोग द्वारा अधिकतम उत्पादन करता है, अपने तकनीकी कौशल के कारण प्रबन्ध में भागीदार बन जाता है। अतः श्रमिकों की प्रबन्ध में भागीदारी एक श्रेष्ठ विधि है। इसे अपनाने से उत्पादन में तेजी से बढ़ोत्तरी के साथ-साथ औद्योगिक वातावरण में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है।

भारत में 20 करोड़ श्रमिकों की विशाल संख्या का मात्र 10 प्रतिशत ही संगठित है। स्पष्ट है कि प्रबन्ध में भागीदारी की योजना शुरू में इस क्षेत्र में लागू की जाएगी। यूं भी हड़ताल, तालाबन्दी व छटनी पर अंकुश लगाने के इससे अच्छा कोई अन्य उपाय नहीं है। 1973 और 1974 में 3 करोड़ श्रम घन्टों का हर्जा हुआ। लेकिन 1975-76 के दौरान इसमें 50 से 90 प्रतिशत तक की कमी हुई।

श्रमिकों की प्रबन्ध में हिस्सेदारी की व्यवस्था के अन्तर्गत कारखाने तथा फैक्ट्री के प्रत्येक विभाग या शाप में एक 'शाप कौन्सिल' की स्थापना की जाती है। अधिकतम 12 सदस्यों वाली इस कौन्सिल में मैनेजमेन्ट तथा मजदूरों के आधे-आधे प्रतिनिधि होते हैं। प्रतिनिधियों का चुनाव शाप के कर्मचारियों में से ही किया जाता है। यह कौन्सिल दो वर्ष के लिए चुनी जाती है तथा माह में एक बार इसकी बैठक होना जरूरी है। इसका कार्य शाप के उत्पादन तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना है। इसमें निर्णय वोट से न होकर परस्पर सहमति से किए जाते हैं।

प्रत्येक इकाई में एक 'संयुक्त परिषद्' (जाईंट कौन्सिल) भी होती है। इसमें भी दोनों पक्षों को बराबर प्रतिनिधित्व मिलता है। तीन माह में एक बार इसकी बैठक होना जरूरी है। यह अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने, उत्पादन क्षमता के अधिकतम उपयोग-प्रतिदिन की समस्याओं तथा 'शाप कौसिन्ल' सम्बन्धी समस्याओं पर विचार करती हैं।

भागीदारी की यह योजना अभी तक केन्द्र के आधीन 472 इकाइयों तथा राज्यों के अन्तर्गत आने वाली एक हजार इकाइयों में लागू की जा चुकी है। कुल मिलाकर 25 लाख मजदूर प्रबन्ध में भागीदार बन चुके हैं।

किन्तु निजी क्षेत्र में इस योजना का उत्साहपूर्वक स्वागत नहीं किया गया है। पूंजीपति अभी तक मालिक व नौकर की सड़ी-गली परम्परा से चिपके हैं। समय आ गया है कि उन्हें अपने रूढ़ीवादी दृष्टिकोण में परिवर्तन कर राष्ट्रीय तथा सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल व्यापक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

उप-सम्पादक, दैनिक हिन्दुस्तान
कनाट प्लेस, नई दिल्ली

मणिपुर राज्य भारत के पिछड़े इलाकों में गिना जाता है। जब कि भारत की 1974-75 में प्रति व्यक्ति आय 985 रु० थी तो मणिपुर राज्य की प्रति व्यक्ति आय थी केवल 684 रु० । यहां की अर्थ व्यवस्था की धुरी अब भी खेती है। राज्य की 57 प्रतिशत आय खेती से ही मिलती है और 70 प्रतिशत जन संख्या खेती-बाड़ी के धंधों में लगी है, यद्यपि राज्य का अधिकांश भाग पहाड़ी है पर 10 प्रतिशत भूमि बड़ी उपजाऊ हैं।

झूम खेती

यहां की परम्परागत प्रणाली झूम खेती रही है। यानी पेड़ और वनस्पति जला कर उस स्थान को दो-तीन साल के लिए

अनन्नास की खेती

मणिपुर बने महान्, भरे खेत खलिहान ★ श्री एन० भट्टाचार्य

[भारत के सिरमौर हिमालय के पूर्वी अंचल में ऊंची पर्वत मालाओं से घिरे, दुर्गम दुरारोह जंगलों से पटे, किन्तु प्रकृति के यौवन का भरपूर श्रृंगार सजाये आयताकार मणिपुर राज्य ने वस्तुतः छः वर्षों में अनाज की उपज 1.60 लाख मीटरिक टन से बढ़ाकर 1975-76 में 3.03 लाख टन कर दिखाई है और यह सिद्ध कर दिया है कि प्रकृति की दुर्दमनीय बाधाओं को चीर कर किस तरह पर्वत का यह संकल्पशील राज्य खेती-बाड़ी में आगे बढ़ रहा है।]

परती छोड़ देना और फिर खेती करना। इस तरह एक जगह से दूसरी जगह खेती करने का स्थानान्तरण होता रहता है। इस प्रणाली ने पहाड़ी इलाकों में भारी भूमि कटाव की समस्या को जन्म दिया है और जंगलों के कट जाने से जो विषम परिस्थितियां अपरिहार्य हैं, उनका सामना इन्हें करना पड़ा है।

अब धीरे-धीरे यह राज्य पुरानी श्रृंखलाओं को तोड़कर नये कीर्तिमान स्थापित करने में लगा है। न केवल खेती-बाड़ी में सुधार हुआ है बल्कि बागवानी में भी काफी तरक्की हुई है।

भूमि बटवारा

यहां की खेती का दारोमदार यहां के छोटे किसानों पर है। खेती की जोतों का बंटवारा इस प्रकार है :

	कुल जोत प्रतिशत	कुल भूमि प्रतिशत
1 हेक्टेयर भूमि तक	40.9	18.9
छोटे किसान (एक से तीन हेक्टेयर)	55.1	68.0
मध्यम और बड़े किसान	4.0	13.1

इससे पता चलता है कि औसत जोत का क्षेत्रफल कितना कम है। छोटी छोटी जोतों में बंटा होने के कारण हम अपेक्षित पैदावार की आशा नहीं रख सकते। फिर भी यहां के लोग दिन रात खेतों से अधिकतम उपज लेने के लिए जूझ रहे हैं।

सिंचाई

1970-71 में खेती बाड़ी की जाने वाली कुल भूमि के एक तिहाई क्षेत्र में ही सिंचाई होती थी। सिंचाई के लिए प्राय: पहाड़ी ढलानों की नदियों से पानी लिया जाता था। 21 करोड़ की लागत वाली लोकटक प्रायोजना द्वारा 24,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की आशा की जाती है। 23 छोटी सिंचाई योजनाओं से लगभग 10,000 हेक्टेयर भूमि के सींचे जाने की आशा है। अधिकांश क्षेत्र में अच्छी खासी वर्षा यानी लगभग 115 से० मी० या इससे अधिक होती हैं।

इसमें सन्देह नहीं कि सिंचाई से पर्वतीय अर्थव्यवस्था का काया-कल्प हो सकता है। पश्चिम मणिपुर 13 कबायली गांवों में हमेशा ही खाने की समस्या मुंह बाये रहती थी। मन्चुडुई नदी से पानी लेकर दो पम्पसेटों से खेतों में पानी पहुंचाया जाने लगा। इसका परिणाम यह हुआ कि केवल साल भर में ही जिन गांवों में अनाज के लिए हाय-हाय मची रहती थी, वे गांव आत्म-निर्भर हो चले। (कामर्स एनुअल 1975) दरअसल पानी के बटवारे की व्यवस्था ठीक नहीं है। कहीं तो पानी ज्यादा है। और कहीं बहुत कम। कहीं पानी से फसल बिगड़ती है और कहीं पानी की कमी से सूख जाती है। यदि पानी ठीक ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो अनाज की भरपूर उपज मिल सकती है। इम्फाल में 1971 में भूमिगत जल के इस्तेमाल के लिए प्रयत्न किए गए। पांच जगहों पर बोरिंग की गई और उनमें से दो जगहों से 106 मीटर की गहराई पर और तीन जगहों से 150 मी० की गहराई पर पानी निकल आया। लेकिन पानी की मात्रा काफी नहीं थी।

नयी तकनीक

इस समय केन्द्रीय घाटी की खेती-

बाड़ी वाली भूमि के लगभग 30 प्रतिशत भाग में खेती की नयी तकनीकें अपनायी जाने लगी हैं। अब अधिक उपज देने वाली किस्मों के सुधरे बीजों का इस्तेमाल भी किया जाने लगा है। 1974-75 में इन नये चमत्कारी बीजों का इस्तेमाल लगभग 30,000 हेक्टेयर भूमि पर हुआ जबकि 1975-76 में इसके अन्तर्गत 35,000 हेक्टेयर भूमि लायी गयी। नयी तकनीकों में जहां सिंचाई और बीजों का महत्वपूर्ण स्थान है वहां उर्वरकों का भी उतना ही महत्व है। इसलिए उर्वरकों के इस्तेमाल पर भी ध्यान दिया गया है। नीचे के आंकड़े प्रगति की कहानी बता रहे हैं :—

फी हेक्टेयर किलोग्राम रासायसिक खाद

	मणिपुर	भारत
1964-65	1.04	4.05
1971-72	9.44	14.53
1974-75	10.90	15.80

इससे यह भी पता चलता है कि भारत की औसत खपत की तुलना में मणिपुर काफी पीछे है।

इसके अलावा, अब ट्रैक्टरों, पावर-टिलर और दूसरे छोटे औजारों का भी इस्तेमाल होने लगा है। यहां यह उल्लेखनीय है कि मैदानी उपजाऊ इलाकों में तो नये औजार का इस्तेमाल होने लगा है पर पहाड़ी इलाके अब भी पिछड़े हुए हैं। कहीं कहीं अब तक झूम खेती होती है। दरअसल झूम खेती में साल-दो-साल तो भरपूर उपज मिलती है और कबायली लोग इस भरपूर फसल से खुश हो जाते हैं। लेकिन असलियत यह है कि इसके दूरगामी प्रभाव खराब होते हैं। उस जगह भू क्षरण होना शुरु होता है और धीरे-धीर वह इलाका ऊसर भूमि में बदल जाता है।

जंगल

यहां की लगभग 27 प्रतिशत भूमि जंगलों से पटी पड़ी है। लगभग 63.6 प्रतिशत भूमि खेती योग्य नहीं है। जंगलों में बड़ी बेशकीमती लकड़ी पैदा होती हैं। टीक, साल, चीड़, देवदार, फ़र, सेमल, माचिस के लिए लकड़ी व प्लाइउड, बांस बहुतायत से मिलते हैं। ये लकड़ियां उद्योग व व्यवसाय की दृष्टि से कीमती और उपयोगी हैं। केवल जेरी और बारक नदी वाले क्षेत्रों में ही सलाना 3 लाख मिटरिक टन बांस पैदा होते हैं।

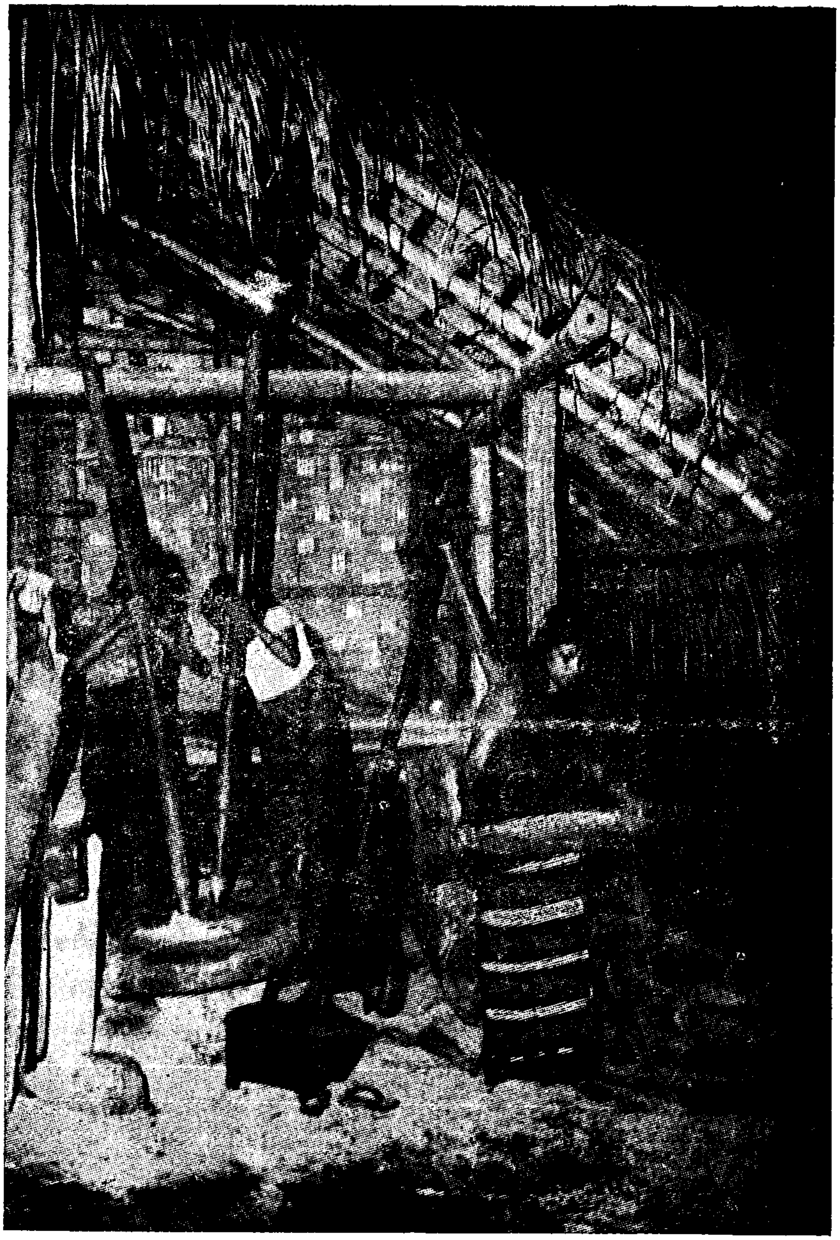

चावल निकालने के लिए धान की कुटाई

झूम खेती यहां बरसों से चली आ रही है। जैसा कि उपर बताया जा चुका है कि झूम खेती से इस क्षेत्र को काफी नुकसान पहुंचा है। जंगलो के कटने से न केवल जलवायु और उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है बल्कि भूमि के कटाव के कारण लम्बे-चौड़े इलाके वीरान हुए जा रहे हैं। कटाव से उपजाऊ जमीन चौपट हुई जा रही है।

इस प्रकार धीरे धीरे ये नंगे पहाड़ और जंगल मणिपुर की खुशहाली को लील रहे हैं। इतना ही नहीं, लोग ईंधन के लिए जंगलों को बराबर काट रहे हैं। इनके कटने से और झूम खेती से जंगलों की शामत आ गई है। इस समस्या पर

नगवा में छोटी सिंचाई योजनाएं—इनसे 100 एकड़ धान क्षेत्र की सिंचाई होती है

तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। इन इलाकों में न तो भूमि संरक्षण के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं और न कोई वन-वृद्धि के उपाय अपनाये जा रहे हैं। न तो जल्दी उगने वाले पेड़ों की तरफ ही ध्यान दिया गया है और न कृषि वानिकी की नयी विद्या पर ही जोर दिया जा रहा है।

पशुपालन

हमारी राष्ट्रीय नीति के अनुसार छोटे और बहुत बड़े किसानों को पशु-पालन के लिए प्रोत्साहन मिलना चाहिए। मुर्गी पालन, भेड़-बकरी पालन, सूअर-पालन और गाय-भैंस पालन पर अब वहां जोर दिया जा रहा है और सरकार इसके लिए प्रोत्साहन भी दे रही है।

मछली पालन

मणिपुर की राष्ट्रीय आय का दो प्रतिशत भाग मछलियों की विक्री से मिलता है। यहां मछली पालन के लिए भारी गुंजाइश है। प्रतिवर्ष यहां से लगभग 1,000 टन मछली मिलती है।

जनसंख्या

मणिपुर की जनसंख्या 1961-71 के दशक में लगभग 37·53 बढ़ी जबकि पूरे देश में इसी दशक में वृद्धि की दर 24·8 प्रतिशत थी, जबकि पूरे देश में खेती बाड़ी का योगदान राष्ट्रीय आय में उतना अच्छा नहीं है, मणिपुर में खेती बाड़ी का योगदान निरन्तर बढ़ रहा है। नीचे के आंकड़ों पर एक नजर डालिए :—

खेती से प्राप्त आय प्रतिशत

	मणिपुर	भारत
1960-61	48.7	52.5
1965-66	49.8	44.2
1970-71	51.1	45.8

अनाज की उपज

मणिपुर में बराबर उपज बढ़ रही है। जहां यह सन् 1960-61 में 1.29 लाख टन थी वहां 70-71 में 1.60 लाख और 75-76 में 3.03 लाख टन हो गयी।

उपसंहार

मणिपुर की खेती के क्षेत्र की यह उन्नति आशाजनक है। परन्तु दो बातों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। पहले बताया जा चुका है कि भूमिकटाव और जंगलों का कटाव विकट समस्या पैदा कर रहे हैं जिन पर तत्काल ध्यान देना है। गांवों में केवल 12% गांवों में बिजली है जबकि भारत के 27 प्रतिशत गांवों में बिजली पहुंच गयी है। बिना बिजली के पम्प नहीं चलाए जा सकते। इस तरह सिंचाई में बाधा पहुंचती हैं। यहां बैंकों की भी लोक-प्रियता नहीं है। न लोगों में पैसा जमा करने की जागरूकता है और न उनके पास साधन ही अधिक हैं। लोग बैंकों की ऋण आदि देने की सुविधाओं के बारे में भी कम ही जानते हैं।

यद्यपि सरकार की योजनाओं पर बराबर काम हो रहा है पर अब भी ये क्षेत्र उपेक्षित हैं। इन लोगों की कर्मठता और निष्ठा तो अनुकरणीय है और निस्संदेह इन गुणों के बलबूते पर मणिपुर की धरती सोना उगल सकती है और प्रकृति की विपुल सम्पदा रुप बदल कर लोगों के घरों में सुख समृद्धि ला सकती है।

(अनु० ब्रजलाल उनियाल)

धूप, वायु और बिजली

डडले फर्नांडो ★

श्रीलंका के ठीक दक्षिण में एक छोटे से गांव के लिए बिजली पैदा करने की दृष्टि से धूप, वायु और कृषि—पशुओं (उनका खाद) को एक साथ उपयोग में लाया जा रहा है।

विश्व में यह पहला अवसर होगा जबकि खाद में खमीर उठाकर धूप, वायु और जीव गैस से प्राप्त ऊर्जा की बैटरी में जमा किया जाएगा ताकि उससे समाज की आवश्यकताएं पूरी की जा सकें।

इस वर्ष के अन्त तक पत्तियोपाला के गांव में एक ग्रामीण उर्जा केन्द्र चालू होने की आशा है। यहां प्राप्त सफलताएं तीसरे विश्व के लिए प्रकाश, पीने के पानी, सिंचाइ के लिए पानी निकालने और फार्म के उपकरण चलाने के लिए बिजली के नये-नये साधनों के विकास की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी। यह केन्द्र संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और श्री लंका सरकार का संयुक्त प्रयास है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा अफ्रीका और लातिनि अमरीका में भी इसी प्रकार के दो अन्य केन्द्र खोले जाने की आशा है।

ग्रामीण उर्जा केन्द्र के भविष्य के बारे में बातचीत करते हुए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक डा० मुस्तफा के० तोलबा ने मुझे हाल ही में बताया :

"हम यह जानते ही हैं कि धूप, वायु और जीव गैस को अलग-अलग और एक बड़ी सीमा तक प्रभावशाली रुप से उपयोग में लाया जा सकता है। अब हम ऊर्जा के इन साधनों को एक साथ मिलाकर उपयोग में लाना चाहते हैं ताकि इनमें से कोई भी उर्जा, चाहे थोड़ी मात्रा में क्यों न हो, विकास के लिए आवश्यक उर्जा पैदा करने, विशेषकर अत्यावश्यक स्तर से भी नीचे का जीवन व्यतीत किये जाने वाले क्षेत्रों के विकास के लिए दूसरी अन्य ऊर्जाओं को अपना योगदान दे सके।"

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के वरिष्ठ ऊर्जा सलाहकार डा० आई० एच० उस्मानी के अनुसार ग्रामीण उर्जा केन्द्र एक "तीसरा विकल्प" भी प्रस्तुत करता है। पहला विकल्प सीमित मात्रा में उपलब्ध जलशक्ति से प्राप्त परम्परागत ऊर्जा और जीवाश्म ईंधन जैसा तेल है जो बहुत ही महंगा हो गया है। दूसरा विकल्प परमाणु ऊर्जा है, यह भी बहुत खर्चीला है, विशेषकर विकासशील देशों के लिए। इससे प्रदूषण और सुरक्षा संबंधी अनेक समस्याएं पैदा होती हैं। डा० उस्मानी कहते हैं कि तीसरे विकल्प से प्रदूषण के किसी खतरे के बिना सस्ते तत्वों से काफी ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है।

पत्तियापोला में उपयोग में लाये जाने वाले विभिन्न उपकरणों को अलग-अलग तो कई बार काम में लाया जा चुका है लेकिन इससे पहले इन्हें कभी भी एक साथ काम में नहीं लाया गया था। इन उपकरणों का चुनाव ओक्लाहोमा विश्वविद्यालय के अमरीकी वैज्ञानिकों के एक दल ने किया है। ये वैज्ञानिक 1961 से वायु और सौर ऊर्जा से बिजली तैयार करने के लिए अनुसंधान कर रहे हैं। इन्हीं वैज्ञानिकों ने ग्रामीण ऊर्जा केन्द्र की सम्भाव्यता का अध्ययन किया था।

पत्तियापोला में जेनरेटर का कार्य करने वाली पवन चक्कियां, "रैंकाइन साइकिल इंजन" के साथ लगे सौर ऊर्जा संग्रहक (जिन इन्टरनल कम्बस्टन इंजिन की तरह कम्प्रेशन फेज नहीं होता) और जीव गैस जेनरेटर सब मिलकर आम भंडारण बैटरियों में बिजली भेजेंगे। इन बैटरियों में यह बिजली गांव में भेजी जाएगी।

इस प्रकार के परीक्षण के लिए पत्तियापोला जैसे स्थान का मुकाबला नहीं किया जा सकता। इस स्थान पर भी श्रीलंका के किसी अन्य स्थान की अपेक्षा अधिक धूप आती है और यहां वर्ष के दस महीनों में आधे से ज्यादा दिन 16 किलोमीटर (10 मील) प्रति घंटा की गति से हवा चलने की संभावना रहती है। पत्तियापोला में वर्ष में 11 महीने धूप की तेजी और वायु एक-दूसरे की पूरक रहती है। गांव के पशुओं से जीव गैस यूनिट के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद मिल जाया करेगा।

बंबई के खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा दी गई 85 घन मीटर (3000 घन फुट) क्षमता की इस इकाई को दक्षिण भारत में सफलतापूर्वक चलाकर देखा गया है। इसे अगले महीने (मार्च) में चालू किया जाना था। इससे उर्वरक और बिजली पैदा किए जाने की आशा है।

आधुनिक वायुगति की डिजाइन वाली विभिन्न प्रकार की पवन चक्कियां मंगाने के लिए कनाडा, स्विस, अमरीकी और आस्ट्रेलियाई कम्पनियों को आर्डर दिए गए हैं। अगस्त महीने तक इन पवन चक्कियों के 9 से 16 मीटर (30 से 60 फुट) ऊंचाई पर लगाये जाने की आशा है।

इस प्रणाली का विकास इस ढंग से किया गया है कि तीनों साधनों में से प्रत्येक से बराबर मात्रा में बिजली पैदा की जा सकती है। 140 वर्गमीटर (1500 वर्ग फुट) क्षेत्र को घेरने वाले संग्रहक, पवन चक्कियों और जीव गैस जेनरेटर में कुल 60,000 के डब्ल्यु एच या 20,000 के डब्ल्यु एच० बिजली, जो कि हर घर में चार बिजलियां जलाने के लिए काफी होगी, और 200 परिवारों के हर व्यक्ति को प्रतिदिन पम्प से निकाला हुआ 38 लीटर (10 गैलन) पानी दिया जा सकता है। बाकी ऊर्जा का उपयोग धान के खेती की सिंचाई के लिए किया जा सकता है। ★

कुछ अनोखी मछलियां ★ अरुण कुमार सिंह

हमारी पृथ्वी के तीन चौथाई भाग में पानी ही पानी है और है केवल एक चौथाई भाग में धरती। पानी के इस विस्तृत भंडार में अनेक प्रकार के सरलतम जीवों से लेकर विशाल और भयावह जटिलतम जीवों की जातियां पाई जाती हैं। इन जीवों का रहन-सहन, खान-पान, शरीर की बनावट और रचना जल में पाई जाने वाली विभिन्नताओं और विशेषताओं, समुद्र की गहराई, खाद्य पदार्थों की प्राप्ति, पानी का ताप तथा वातावरण की अनुकूलता पर निर्भर करता है। सामान्य मछलियों के अतिरिक्त समुद्र की विभिन्न गहराइयों और भौगोलिक परिस्थितियों में अनेक अनोखी मछलियां मिलती हैं जैसे उड़ाकू मछलियां, स्क्विड, प्रकाश एवं विद्युत उत्पन्न करने वाली, घोड़ा, फीता, हांगर मछलियां आदि।

1. **उड़ाकू मछलियां** : इन मछलियों की लगभग 50-55 जातियां हैं। ये 1 फुट या कुछ ज्यादा लम्बी होती हैं। ये पक्षियों की तरह हवा में न तो बहुत देर तक उड़ती हैं और न बहुत दूर तक। इनके सुफानों की बनावट चिड़ियों के पंख की बनावट से बहुत कुछ मिलती जुलती हैं। पर जैसे चिड़िया उड़ते समय अपने पंखों को हिला-हिलाकर अपने शरीर के बोझ को सन्तुलित करती हैं वैसे ये मछलियां सुफनों को हिला-हिलाकर अपने शरीर के बोझ को नहीं साधतीं। ये अपनी चौड़ी पूंछ की सहायता से पानी को दबाकर अपने शरीर को खूब जोर से झटका देती हैं। ऐसा करने से ये पानी की सतह से लगभग 3-4 फुट ऊपर तक उछल जाती हैं। फिर अपने बड़े-बड़े सुफनों को फैलाकर हवा में सौ डेढ़ सौ मीटर तक उड़ती रहती हैं इन मछलियों का शरीर चपटा, मुंह का निचला भाग ऊपर के भाग की अपेक्षा अधिक चौड़ा तथा लम्बा होता है। ये मछलियां हमेशा झुंड बनाकर रहती हैं और झुंड बनाकर एक के बाद एक-एक करके झुंड में ही उड़ती भी हैं। ये छोटी-छोटी मछलियां घोंघें, सीप, केकड़े आदि को खाकर अपना पेट भरती हैं। अतः ये पूर्ण रूप से मांसाहारी होती हैं।

2. **स्क्विड मछलियां** : हवाई जहाज, जेट, राकेट आदि अपनी विशेष बनावट के कारण तेजी से हवा को चीरते हुए भर्राटे से उड़ते हैं। ठीक वैसे ही समुद्र की कुछ मछलियां भी पानी को तीव्रता से चीरती हुई निरन्तर आगे बढ़ती रहती हैं और विभिन्न उपायों द्वारा अपने शत्रुओं एवं आक्रमणकारियों से अपनी आत्मरक्षा करती हैं। इन्हें स्क्विड कहा जाता है। अभी तक इनकी 32 जातियों के बारे में जानकारी हो पाई है जिनमें से जेट स्क्विड, धुआं छोड़ने वाली स्क्विड और आंखों को अंधा बनाने वाली स्क्विड प्रमुख हैं। समुद्र के अपृष्ठवंशी अर्थात् बिना रीढ़ की हड्डी वाले जलजीवों में स्क्विड ही सबसे बड़ी होती हैं। 8 इंच से लेकर 50 फुट तक की लम्बी स्क्विड समुद्रों में मिली हैं। सभी जातियों के मुख के चारों ओर दस लम्बे लम्बे हाथ होते हैं। ये पुष्ट और मांसल होते हैं। इनमें से दो हाथ तो काफी बड़े होते हैं, शेष आठ छोटे होते हैं। लम्बे हाथों की सहायता से स्क्विड फुर्ती से अपना भोजन पकड़ कर अपने मुख के हवाले करती है। दो बड़ी-बड़ी गोल-गोल ऊभरी हुई पलकहीन आंखें बड़ी तत्परता से भोजन की खोज करती हैं। ये मांसाहारी हैं। छोटी-छोटी मछलियों को खाया करती हैं और ह्वेल इनको खाकर अपने पेट की भूख मिटाती है।

3. **जेट स्क्विड** : इन स्क्विडों के शरीर की बनावट ठीक जेट विमानों की तरह होती है और जैसे जेट विमान बड़ी तेजी से हवा को चीरता हुआ आगे बढ़ता है वैसे ही ये भी पानी को चीरकर तीव्र गति से आगे बढ़ती हैं। इसीलिए

तो इन्हें स्क्विड कहा जाता है। इन स्क्विडों के शरीर के भीतर सैकड़ों की संख्या में छोटे-छोटे प्याले होते हैं जो एक बड़े शक्तिशाली पंच की भांति व्यवस्थित और सुव्यवस्थित कार्य करते हैं। जब स्क्विड को आगे जाना होता है तो वह सामने के पानी को खींचकर अपने शरीर के प्यालों में भर लेती हैं फिर बड़ी शक्ति से पिचकारी के रूप में पीछे की ओर छोड़ती हैं। जिसके कारण एक बल उत्पन्न होता है और स्क्विड आगे बढ़ती है। जब स्क्विड को पीछे की ओर लौटना होता है तो वह प्यालों के पानी बड़ी तेजी से उगलती है, परिणाम स्वरूप विपरीत दिशा में बल उत्पन्न होता है और स्क्विड तेजी से पीछे की ओर हट जाती हैं।

(ब) धुआं उड़ाने वाली स्क्विड : कुछ ऐसे स्क्विड हैं जो शत्रुओं तथा आक्रमणकारियों से रक्षा करने के लिए अपने शरीर के पिछले भाग से काले-काले तरल पदार्थ के बादल उड़ा देते हैं। इन काले बादलों को देखकर शत्रु घबरा जाता है और स्क्विड बचकर भाग

निकलता है। कुछ स्क्विड अपने वैरी को धोखा देने के लिए काली स्याही का धुआं छोड़ते हैं जिसके अंधकार में दुश्मन राह भटक जाते हैं और स्क्विड को बचकर भाग निकलने का अवसर मिल जाता है।

समुद्र की लगभग 600 मील की गहराई में एक प्रकार के स्क्विड पाए जाते हैं जिनका नाम है हैड्रोट्यूथिस। ये अपने दुश्मन के आगे खूब तेज चमकने वाले पदार्थ की पिचकारी छोड़ते हैं। इस चमचमाते पदार्थ की चकाचौंध से आक्रमणकारी की आंखें चुंधिया जाती हैं। विवश होकर उसे अपनी आंखें बन्द करनी पड़ती हैं और स्क्विड उसे छोड़कर नौ दो ग्यारह होता है।

3. **विद्युत् मछलियां** : समुद्र की लगभग 111 कि० मी० की गहराई में लगभग 50 प्रकार की ऐसी मछलियां होती हैं जो अपने शरीर से विद्युत उत्पन्न करने की क्षमता रखती हैं। इन मछलियों की पूंछ पर एक प्रकार की विद्युत शक्ति पाई जाती है तो मुंह पर दूसरी तरह की अर्थात् इनके पूंछ और मुंह पर विपरीत विद्युत् शक्ति पाई जाती है। इसकी सहायता से ये अपने शरीर से विद्युत उत्पन्न कर सकती हैं। जब इन्हें अपना आहार ढूंढना होता है या शत्रुओं से अपना बचाव करना होता है तब ये अपने शरीर को इस प्रकार मोड़ती हैं कि शरीर के दोनों हिस्से मुंह और पूंछ एक दूसरे के एकदम निकट आ जाएं। दोनों हिस्सों में विपरीत विद्युत् होने के कारण इनके शरीर के चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र बन जाता है जिसमें से चिनगारियां निकलने लगती हैं। इन चिनगारियों के प्रकाश में ये अपना आहार और शिकार बड़ी आसानी से ढूंढ लेती हैं। इस विद्युत् में यदि कोई जल जीव जाने-अनजाने आ गया तो फिर क्या कहने। इतने जोर से झटका खाता है कि विचारा या तो बेहोश हो जाता या फिर बहुत दूर जा पड़ता है। इन मछलियों में टाइपीड़ों, ईल, कैटफिश और स्टार गेजर मुख्य हैं।

कैटफिश लगभग तीन फुट लम्बी होती है। इसके शरीर के विद्युत् क्षेत्र में एक स्वस्थ शक्तिशाली घोड़े तक को झटका देकर 8-10 मीटर दूर फेंक देने की शक्ति होती है। इसमें लगातार कई बार झटका देने के बाद कुछ देर के लिए विद्युत् उत्पन्न करने की क्षमता नष्ट हो जाती है, तब यह किसी सुरक्षित स्थान में जाकर विश्राम करती हैं, भोजन करती हैं, शक्ति संचय करती है ताकि खोई हुई शक्ति को पुनः पा सकें। घन्टे-दो घन्टे बाद पुनः झटका देने के लिए तैयार हो जाती है। स्टार गेजर लगभग एक फुट लम्बी होती है। यह पानी में नहीं— बाहर अपनी विशेषता प्रदर्शित करती हैं। यह प्राय अपने मुंह और अपनी दुम को मोड़कर पास लाकर बालू में इस प्रकार पड़ी रहती है कि सारा शरीर तो बालू की ढेर में छिपा रहता है केवल थोड़ा सा मुंह बाहर रहता है। बेचारे छोटे-छोटे जीव इसके शरीर को छूते ही झटका खाकर अपने होश हवास खो बैठते हैं। दक्षिण अमेरिका में ईल नाम की एक मछली पाई जाती है जो 500 वोल्ट की विद्युत् उत्पन्न करती है। टाईपीड़ों के बारे में तो कहा जाता है कि मां जितनी शक्ति की विद्युत रखती है वह तो दूर, जब बच्चे मां के पेट में रहते हैं तभी से झटका देने लगते हैं।

4. **प्रकाशोत्पादक मछलियां** : समुद्र की गहराई जैसे-जैसे बढ़ती जाती है वैसे-वैसे प्रकाश और ताप दोनों ही कम होते जाते हैं और दबाव बढ़ता जाता है। सवा डेढ़ कि० मी० की गहराई के बाद तो समुद्र बिलकुल अंधकार मय तथा बर्फ के समान ठंडा होता जाता और प्रति वर्ग सेन्टीमीटर पर लगभग 2 क्विंटल दबाव पड़ता है। यही कारण है कि समुद्र को सवा डेढ़ कि० मी० की गहराई के बाद बहुत कम जल जीव पाए जाते हैं, जिनके शरीर प्रायः अंधेरे में चमकते हैं और जिसकी रोशनी में ये जल जीव सरलता से सभी वस्तुओं को देख लेते हैं। चूंकि अधिक गहराई में प्रकाश और ताप के अभाव में पेड़ पौधे तथा सामान्य जल जन्तु नहीं पाए जाते, इस लिए अपने भोजन की खोज में कुछ ऊपर आना पड़ता है तथा वापिस लौटना पड़ता है। इन मछलियों का शरीर प्राय छोटा और गोल होता हैं। मुंह दांत और जबड़े की बनावट बड़ी विचित्र होती है। वाइपर मछली का मुंह इतना बड़ा होता है कि यह अपने बराबर तक के जीवों को बड़े आराम से निगल जाती है। दांत जबड़े इस तरकीब से लगे होते हैं कि शिकार एक बार में मुंह गया तो बस निकल नहीं सकता। स्वालोवर तो अपने से तीन गुने डील डोल वाले शिकार को खड़ा का खड़ा निगल जाती है।

5. **घोड़ा मछली** : बंगाल की खाड़ी में घोड़े जैसी शक्ल सूरत वाली एक मछली पाई जाती है। इसीलिए इसका नाम घोड़ा मछली रखा गया है। यह अपनी दुम की सहायता से किसी आधार को पकड़कर खड़ी होती हैं। इसका धड़ दोनो ओर से चपटा तथा पेट उभरा हुआ होता है। सिर कांटों से भरा रहता है। शरीर छल्लेदार हड्डियों का बना केवल एक ढांचे की तरह दिखाई पड़ता है। थूथन लंबी नली की तरह आगे की ओर बढ़ा हुआ होता है जिसके द्वारा यह छोटे-छोटे कीड़ों मकोड़ों को खाती हैं। अनोखी बात तो यह है कि यह मछली अंडों को सेती हैं। नर के दुम के पास सामने एक थैली होती है। उसी में अंडों को रखे यह उस समय तक घूमती रहती है जब तक अंडे फूट नहीं जाते।

6. **ह्वेल मछली** : ये दुनिया की सबसे विशालकाय और भयावह जीव हैं। इनकी लम्बाई 125 से 130 फुट और वजन 1600 क्विटल होता है। जब ये सांस लेती हैं तो एक फव्वारा सा छूटता है। ये प्रति दो घन्टे के अन्तर से पानी की सतह पर आकर सांस लेती हैं। अगर दो घन्टे से अधिक समय हो जाता है तो डूबकर मर जाती हैं। यह मछली अंडे नहीं देती बल्कि पूर्ण विकसित शिशुओं को जन्म देती हैं जिन्हें वह स्तनधारी जीवों की तरह दूध पिलाकर बड़ा करती हैं।

7. **तेगा मछली** : इस मछली का जबड़ा तलवार की तरह का होता है।

मुंह भीतर की ओर काफी लम्बा कटा होता है। इसके दांत नही होते। यह साधारणतया 5-6 फुट लम्बी होती है। पर कभी-कभी 15-20 की भी मिलती है। इसके शरीर का ऊपरी हिस्सा स्लेटी और निचला हल्के लाल रंग का होता है। खाल उभरी हुई होती है और दुम के पास दोनों ओर से जगहों पर थोड़ा सा उभार होता है। तैरते समय यह नाव की पाल के समान प्रतीत होती है।

8. **फीता मछली** : इसका आकार फीते जैसा होता है। पानी में तैरते समय यह सांप जैसी लगती है। शरीर का पूरा रंग रूपहला होता है और सुफने होते हैं गुलाबी जिसके कारण यह बड़ी सुन्दर दिखाई पड़ती है। ये मछलियां समुद्र की काफी गहराई में रहती हैं। पीठ पर नरम-नरम कांटे होते हैं। मुंह छोटा होता है। हमारे देश की फीता मछलियां 7-8 मीटर लम्बी, बेलनाकर शरीर वाली होती हैं। परन्तु इंग्लैंड में पाई जाने वाली फीता मछलियां 20 से 35 फुट लम्बी होती हैं जिनका शरीर चपटा और 1 या 111 फुट चौड़ा होता है।

9. **सील मछलियां** : ये मछलियां क्या हैं ? इन्हें अगर समुद्री शेर कहा जाए तो अत्युक्ति न होगी। ये प्राय: ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। एक नर सील सैकड़ों मादा सीलों पर अपना अधिकार रखना चाहती है। मादा सील के लिए नर आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। कभी-कभी तो युद्ध होता रहता है और ये अपने शिकार को भी नहीं जाते जो मादा सील सबसे अधिक बच्चे उत्पन्न करती है उसके लिए सबसे ज्यादा घमासान युद्ध करना पड़ता है।

10. **हांगर या शार्क** : इस जाति की मछलियों की अनेक उपजातियां हैं। ये 2-2 फुट से लेकर 50-60 फुट लम्बी तथा 4-6 किलोग्राम से लेकर 50-60 क्विटल वजन वाली होती हैं। ये कई रंग की होती हैं। नीली शार्क, लाल, काली और सफेद शार्क। रंग इनका चाहे जैसा भी हो परन्तु सभी में शरीर के नीचे वाली चमड़ी पर विभिन्न प्रकार की चित्तियां अवश्य ही पाई जाती हैं और इन्हीं के कारण ये अन्य जन्तुओं से अलग पहचानी जाती हैं और इनके शत्रु आसानी से इनके पास आने की हिम्मत नहीं कर पाते। इनकी हड्डियां बड़ी मुलायम और स्वादिष्ट होती हैं। मुंह के ऊपर तथा आसपास की चमड़ी दानेदार होती है, जो लकड़ी की वस्तुओं पर चमक लाने के साधन के रूप में काम में लाई जाती हैं। इसका मुख छिद्र सामने नहीं होता। इसलिए इसे शिकार पकड़ते ही तुरन्त उलट जाना पड़ता है। तभी यह शिकार को निगल सकती है। इसके मुख्य भोजन में छोटी-छोटी मछलियां तथा जल जीव। कभी-कभी बड़ी शार्क छोटी शार्क को भी खा जाती है। कुछ नरभक्षी शार्क मछलियों के बारे में जानकारी मिली है। सफेद शार्क तो स्नान के लिए आए मानवों के लिए आंख लगाए बैठी रहती है। जैसे ही मानव पानी में प्रवेश करता है ये मछलियां उसे पकड़कर अपने गले के नीचे उतार लेती हैं। इनकी लम्बाई 45-55 फुट तक होती है। ह्वेल की तरह संसार की सबसे विशालकाय हांगर है। वैसे तो यह देखने में भयानक पर बेचारी मानव पर कभी भी आक्रमण नहीं करती है। वाद्यमुखी हांगर अपनी ही जाति की हांगर को निगलकर अपने पेट की ज्वाला शांत करती है। और अन्य नरभक्षी शार्क अपने अंडों को अपनी उदरगुहा में उस समय तक रखती है जब तक कि अंडों से बच्चे निकलकर बड़े नहीं हो जाते।

इसी प्रकार की अनेक अनोखी मछलियां और भी समुद्र की गोद में खेल रही हैं और मानव के कौतूहल का विषय बनी हुई हैं। कुछ के बारे में जानकारी हो पाई और कुछ के बारे में जानकारी प्राप्त करने का रास्ता खुला है। ★

कांगड़ा के लोकगीतों में सैनिक पत्नी की विरह् वेदना ★ मनोहर लाल

कवि सामाजिक प्राणी है। वह अपने चतुर्दिक समाज से वस्तु तत्वों का संग्रह करता रहता है। देश प्रेम का भाव मनुष्य की व्यष्टि का विस्तार है। प्रत्येक प्राणी को अपनी जन्म भूमि से प्रेम होता है। प्रत्येक प्राणी उसकी रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने को तैयार रहता है।

सफल राष्ट्रीय भावना वही है जिसमें कवि-कर्म आस्थावान होकर, समसामयिक युग-बोध के सिर पर चढ़ कर बोलता है। जब भी कभी राष्ट्र-सम्पत्ति पर विपत्ति के बादल मंडराने लगे, तब कवि समाज को ऐसा भाव दे जिसमें स्वाभिमान की अनुभूति हो। जो कवि इस कर्म का निर्वाह कर सकता है, वही सच्चा राष्ट्रकर्मी कहलाएगा। इस संदर्भ में मुझे दिनकर की अधोलिखित पंक्तियां उद्धृत करनी अच्छी लग रही हैं :—

छीनता हो स्वत्व कोई, और तू
त्याग तप से काम ले, यह पाप है।
पुण्य है विच्छिन्न कर देना उसे
बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ हो।"

(कुरुक्षेत्र)

कांगड़ा डोगरों की भूमि है। डोगरे जवान देश की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा देने के लिए प्रसिद्ध हैं। आज भी आंकड़ों से यह प्रतिपादित हो जाएगा कि कांगड़ा के सैकड़ों सूरमा फौज में भरती हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है कि भारतीय थल-सेना में एक सुविख्यात 'डोगरा-रेजिमेंट' भी है।

1. कांगड़ा के लोक-जीवन में प्रचलित लोकगीतों में सैनिकों के व्यक्तित्व का उल्लेख मिलता है। रागात्मक अर्थात सुख-दुखात्मक जीवन की केन्द्रीय विचारा-धारा प्रेम है। कांगड़ा के अधिकांश लोकगीतों में प्रेम की मार्मिक व्यंजना के साथ-साथ प्रणय तथा राष्ट्रीयता का अद्भुत समन्वय है। प्राय: कहा जाता है, युग की मांग के अनुरुप 'प्रणय' तथा राष्ट्रीयता का समन्वय असंभव है। इस दृष्टि से कांगड़ा के लोक गीत अपवाद कहे जाएंगे।

2. आर्थिक दृष्टि से पिछड़े कांगड़ा के सूरमाओं को जीविका हेतु प्रदेश की आंचलिक मनोहरता से प्रवास लेकर जीवन के रागात्मक परिवेश में वियोग सहना पड़ता है।

सचमुच जिसका पैसा है, सभी उसी के हैं। पैसा देकर इस संसार में कौन सा असंभव कार्य नहीं करवाया जा सकता? यह तो दैनिक व्यवहार की वस्तु है। भौतिक ऐश्वर्य है। जो नारी पति-प्रेम को भौतिक-ऐश्वर्यों से बढ़-चढ़ कर समझती है, वह धन्य है, समाज के लिए अनुपम आदर्श है।

3. कांगड़ा-लोक गीतों में सैनिक की वियोगिनी पत्नी को प्रिय के संयोग की स्मृतियां झकझोरती हैं, मथती हैं। विरह-वेदना का रुदन-स्वर गीत की कड़ी के रुप में पर्वत की गूंज बन-बन कर घाटियों में गूंज उठता है :—

"नामा कटाई घरैं आई जाओ"

गबरु (युवक) को आर्थिक परिस्थियों ने भरती होने के लिए विवश किया है। चंद एक चांदी के सिक्कों के लिए बेचारे को अपनी गांव की ममता तथा नवेली की यौवनजन्य कोमल अभिलाषाओं को दबोचने के लिए विवश होना पड़ा है। नवेली का विरह इसी के लिए मुखरित हो रहा है। नवेली अनेक फौजियों को उजले वस्त्र धारण किए आते जाते देखती है। उसे लगता है कि उसके पति की वेश-भूषा मैलो होगी। इसलिए वह गांव नहीं आता। असह्य वियोग वेदना में बस उसकी एक आर्त पुकार है, उसकी एक ही रट है—प्रिय तुम नाम कटवाकर घर आ जाओ, घर आ जाओ, आ जाओ न एक बार

होरनों सपाईयों दे, चिट्टे-चिट्टे कपड़े
तूं कैंजौ कीता मैला भेस, ओ सपाईया...नामा कटाई···

आखिर वह तड़फे भी क्यों न? गांव का प्रधान जमींदार उसे सुख से जीने दे तब न। दूर खड्डों के उस पार नालों (घाटी) में कहीं पानी बहता है जमींदारों की जमीन में। निर्मम जमींदार उसे पीने के लिए पानी तक नहीं भरने देते। पानी भी जिसे नसीब न हो सके उसकी अन्तर्पीड़ा कैसी होगी भला? गीत की दूसरी कड़ी में यही शिकवा है :—

लम्मे-लम्मे सफरें,नाले दा पानी ओ,
पीण नीं दिन्दे जमेदार, ओ सवाईया
नामा कटाई घरें आई जा ओ... ।
फौज का जीवन कठोर तो होता ही है।

5- नायिक अपनी आंखों के सामने पति को 'तत्ता बात' (कष्ट) नहीं लगने देती थी। वह जान गई है कि नौकर पराधीन होते हैं। अफसर तथा नौकर के जीवन-स्तर में व्यावहारिक स्तर पर बड़ा अंतर होता है। सामान्य सिपाही तो कच्ची मिट्टी की सीलन-युक्त बैरकों मे और ऊंचे पद वाले अफसर लोग आलीशान पक्के मकानों में रहते हैं। अफसरों को सुख से जीने की सब सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, उनका जीवन ऐश्वर्य सम्पन्न होता है। सामान्य सिपाहियों का चिलचिलाती धूप में परेड करते समय पसीना निकल जाता है। यह कष्ट अफसरों को नहीं सहना पड़ता वे तो मात्र 'कांशन' फरमाना जानते हैं :—

'कच्चियां तां बैरकां सपाई साड़े रैंवे।
पक्कियां च रैंदे औदेदार, ओउ सपाईया।
सिकरैं दपरैं परेटां जे करदे,
काशन दिन्दे औदेदार, ओ सपाइया।
नामा कटाई करी घरें आई जा ओ... '

कांगड़ा के लोक-गायक छोकरों का कंठ सुरीला तो होता ही है। नायिका का पति भी सुरीला गाता था। वह अतीत के झरोखे से प्रेम-विभोर हो जाती है। अतीत की स्मृतियां उसे सिहरा कर रह जाती हैं। प्रिय के सुरीले कंठ के संगीत ने तो उसके मन को ही मोह लिया था। सौन्दर्य भरा यौवन और चढ़ती हुई अपनी वय पर कटाक्ष करती हुई गा-गा कर अपनी वियोग-वेदना की अभिव्यक्ति देती है... हे प्रिय। जीवन के इस चरण पर मुझे यहां प्रवास-पीड़ा देकर तुम्हें विदेश नहीं जाना चाहिए था :—

'त्रिया मन मोहया, तेरे गले दिया गाणियां।
छड्डी नेई हा जाणा, असेंगी भर जुआनिया।।'

इस अवस्था में सैनिक की पत्नी को आंसुओं की माला पिरोकर ही जीवन के क्षण व्यतीत करने पड़ते हैं। वह अनपढ़ है। प्रिय को पत्र लिखवाने के लिए उसे पढ़े-लिखे लोगों की शरण में जाना पड़ता है, लाख खुशामद करनी पड़ती है, पर भाग्य की विडम्बना नियति का खेल, दुर्भाग्य उसका पीछा करने में एकदम आगे है। गांव में पढ़ा लिखा कोई हो तब न पटवारी के सिवाय। वह उसकी सौ-सौ मिन्नतें करती है पर वह पत्र लिखता नहीं, पर-पीड़न रस के कारण क्या! दुःखी को और दुःख पहुंचाने में कई बार बड़ा मजा आता है। विवश होकर कहती है—तेरा मंदा (विरह) सताता है :—

'खत पटवारी मिक्की लिखी नियों दिंदा।
सौ-सौ करनियां छन्दा, तेरा लगदा मंदा।।'

आखिर इस विपन्नावस्था में करे भी क्या? शब्दों से तो नहीं पर चित्रकारी के आधार पर अपनी विरह व्यथा को अभिव्यक्त करने की चेष्टा करती है। दक्षिणी हवा उससे बैर चुकाने पर उतारू हो जाती है। हवा का झोका आता है और हाथ के कागज को फड़-फड़ उड़ा ले जाता है। कलम वहीं खो जाती है।

दक्खणे दी झुलदी बाती ओ—
हत्थां दे कागद फर-फर उड़दे
कलमां गईयां न गुआची ओ।'

आखिर जैसे तैसे पत्र लिखा गया तो समस्या है पोस्ट करने की। पुराने जमाने में पक्षी हरकारे थे। मुश्किल तो यह है कि इस विरहिणो का पत्र ले जाने के लिए कोई 'खग' भी तो अपनी संज्ञा सार्थक नहीं करना चाहता। ऐसी दशा में पत्र भेजा भी जाए तो किसके हाथ :—

'कुदे हत्थ भेजां सुख वे संदेसड़ा,
कोई पखेरू की नई जांदा
तेरा लगदा मंदा।'

एक और वियोग-वेदना का अपार असीम सागर और दूसरी ओर उस पार जाने की अभिलाषा। पत्र में यही लिखती है—नजर स ओझल मत होना, सामने ही रहना, विरह तो क्षण भर के लिए भी सह्य नहीं है :—

'लिखी-लिखी राजेगी पान्दीए
मेरे राजा जी बड़ी दूर नेई जाणा
फिरदे, टुरदे सड़ी नजरां चरैणा।'

आम पकने पर वह पत्रों से प्रिय को सूचित करती है, घर आ जाओ, पर पति देव को छुट्टी मिले तब न। उत्तर है साहब छुट्टी ही नही देता भला आये तो आये कैसे :—

लिखीं-लिखी चिट्ठियां पा लोचणिये।
साहब छुट्टी नां दिंदा क भलिये लोकणिये।'

इस पर वह मां के मरने का उल्लेख करता है। उत्तर मिलता है—अच्छा हुआ चौंका खाली हुआ तूं घर की प्रधान बन गई। 'वह फिर लिखती है' भाई (देवर या जेठ) मर गया है। उत्तर आता है—'यह बहुत बुरा हुआ, मेरी तो बांह ही मानो टूट गई अब तो घर आना तभी संभव होगा जब यह साहब मरेगा :—

'लिखी-लिखी चिट्ठियां पां बलोचनिवें।
साहब मुआ तां घर औणा, के भलिये लोकणिये।'

जब प्रिय के कुशल क्षेम का पत्र आता है, वह फूली नहीं समाती। 'आखों में आनन्दाश्रु उमड़ने लगते हैं 'वह पत्र को बार-बार किसी से पढ़वाती है, उसे अपनी छाती से लगा लेती है और बस रोती ही रोती है। अनुभावों का कितना मार्मिक चित्रण है।

खत मेरे सज्जणा दा आया हो,
खत में पढ़ांदी सीने कनें लांदी,
नैना भरी-भरी रोंदी ओ।'

लोक जीवन की ऐसी अनुभूतियों का चित्रण बिहारी ने भी किया है:—

'कर लै चूमि, चढ़ाई सिर, उर लाई भुज मेटि।
लहि पाती पिय की लखति, वांचति धरति समेटि।'

एक लोक गीत में सैनिक की पत्नी का कहना है मेरा सिपाही पति विदेश में बड़े-बड़े बाग बगीचे लगाता है। मैं उनकी याद में अपने ही आंगन में छोटी-सी क्यारी बना कर 'मरूआ' के बूटा लगा लेती हूं। मेरा सिपाही दुनाली बन्दूकें लेकर आता है, मैं पत्थरों से बने अस्त्र-शस्त्र अपने पास रखती हूं। मेरा सिपाही अच्छे-अच्छे कुओं पर नहाता है, मैं छप्पड़ों के पानी में ही नहा लेती हूं। मेरा सिपाही तो बड़े-बड़े दरबारों-महलों में रहता है, मैं अपना जीवन खुले आसमान के नीचे पड़ी-पड़ी गुजारती हूं। मेरा सिपाही तो गेहूं तथा चावल खाता है, मैं मक्की की रोटी ही खाती हूं। मेरा सिपाही तो आलीशान लेफों तथा रजाईयों में सोता है, मैं तो जमीन पर पांद (चटाई) बिछा कर ही समय गुजार देती हूं। मेरा सिपाही लम्बी अवधि के लिए नौकरी करने जाता है। मैं मन मार कर सोई रहती हूं, अवधि गिनती-गिनती समय बिताती हूं :—

'लम्मियैं तरीकैं सपाई साड़े जान्दे,
सूंक ओ सुट्टी मैं सेई रैन्ती आं।'

गीत का मूल भाव यही है कि सैनिक की पत्नी, पति के सुख को अपना सुख समझती है। वह अधिक से अधिक कष्टमय जीवन जीना चाहती है। वह जानती है कि उसके पति के जीवन में अनेक कष्ट आते होंगे। वह अपने पति को प्राप्त होने वाले

सुख से अधिक सुखी नही होना चाहती। भारतीय लोक जीवन की नारी इस उदात्त चरित्र को लेकर ही कविवर जयशंकर प्रसाद के मन में—नारी तुम केवल श्रद्धा हो, का भाव उमड़ा होगा।

एक लोक गीत में सैनिक की पत्नी जम्मू के राजा को पत्र लिखती है कि मेरे पति को घर छुट्टी भेज दे। राजा प्रत्युत्तर में लिखता है मैं कैसे भेजूं। सीमा पर लड़ाई लगी हुई है। मैं तुझे जीवन यापन हेतु खर्च भेज देता हूं आराम से खाये जा :—

'जम्मू दिया राजिया
तूं नौकरां जो घरैं घल्ल।'
'नौकरां जो किजां घल्ला
नेड़े लगी जो ए लाम
तलबा तिज्जो घल्ली दित्ता
सुत्ती बैठी नै खा।'

एक लोक गीत में जर्मन की लड़ाई का भी उल्लेख है। चत्तरू नामक सिपाही को उसकी पत्नी लड़ाई के लिए भेजती है।

सैनिक तथा सैनिक पत्नी के जीवन के वियोगात्मक क्षणों का मार्मिक चित्रण कांगड़ा लोकगीतों में भरा पड़ा है। सैनिक की भी अपनी सीमाएं हैं। पत्नी शान्त चित्त से सोचती है, विवेक से काम लेती है। वह अनुभव करती है कि उसका पति ड्यूटी पर तैनात है। कैसी अनोखी नौकरी है। उसका पति देश-प्रेम-कर्त्तव्य का पक्का है फौज में भर्ती होते समय उसने देश-रक्षा की जो प्रतिज्ञा की थी, वह उसी को निभा रहा है :—

'विच रैंजरिया चढ़न कढ़ाईयां
कस्सियां न कमरां ते करन लड़ाईयां।
विच रजौंरिया लग्गी ऐ हाकड़ी।
किजा बणाई रामा जंगे दी चाकरी।'
तू तां सपाई अपणे वचने दा पक्का, अपणे कौले दा पूरा।

जब सिपाही छुट्टी पाकर घर आता है तो उसकी पत्नी सर्वप्रथम पूछती है। आपने किसको पूछ कर अपना नाम फौज में लिखवाया था :—

'कुंसी पुच्छि ए तूं नामा लो आया
की बसरे रैण वालिया।'

वह उत्तर देता है—मां को पूछ कर। तुझे तो अपने पीहर में ही रहना है अर्थात् जैसे पीहर में रह ली वैसे ही ससुराल में :—

'माता पुच्छि मैं नामा लोआया।
तैं मापेआं दैं रैंणा जिन्दिये।'

और इस उत्तर के प्रहार से उसका प्रेमी हृदय आत्मीय भाव से चीत्कार कर उठता है :—

'माता तेरीजा जो दाम प्यारे
मिजों तेरी जान नोकरा।'

मां को सचमुच धन ही प्रिय है, पुत्र की जान नहीं यह तो नहीं कहा जा सकता। मां की अपनी विवशताएं हैं। जब-जब सैनिक नौकरी के लिए परदेश गमन करता है, पत्नी की आखें तर हो जाती हैं। वेदना के आंसू उमड़-उमड़ कर बहने लगते हैं। उसका रेशमी चीर (रुमाल) भीग जाता है। दिन बीतते हैं। जब कभी वह कपड़े धोने लगती है, छम-छम रो उठती है और सास को उलाहना की भाषा में कहती है—तुम्हारा हृदय बड़ा कठोर है. कलेजा बड़ा पक्का है जो तुमने अपने पुत्र को परदेश में कमाने के लिए भेज दिया है :—

'सैलिया घारां पौन फुहारां, मेरा रेशमी चीर सिज्जेया।
चीरैंगी धोन्नियां, छम-छम रोन्नियां,
सज्जण परदेसें गी तोरेआ।
सस्सू जी धन तेरा जिगरा, धन तेरा कालजा
पुत्त परदेसें की तोरेया।'

और सास का उत्तर है—नूहें (पुत्रवधूं) पुत्र को भेजते समय वियोग पीड़ा से मेरा कलेजा जल जाता है, मेरा जिगर भुन्न जाता है। क्या करूं रुपयों की लालच से भेजा है उसे :—

'नूहएं ओ जली जान्दा कालजा, भुजी जांदा जिगरा—
दमों दैं लालचैं तोरिया।'

आर्थिक कठिनाइयां अभिशाप बन गई हैं। स्पष्ट है कि कांगड़ा के लोक गीतों में प्रणय तथा राष्ट्र प्रेम के भावमिश्रित है। पत्नी वियोग-सागर में सराबोर है। एक ओर सूरमा वीर अपने शौर्य के लिए प्रसिद्ध हो रहे हैं और दूसरी ओर फूल-सी कोमल, गंगा जल-सी पावन, कोमल प्रणय-पुतलियों के हृदय की विरह भावनायें प्रेम की सात्विकता भरे हुए यौवन की प्रणय भावनाएं फूट-फूट कर बह रही हैं। सचमुच कांगड़ा के ये लोक-गीत झरने की सी प्रकृति वाले हैं जिनकी रसधारा का प्रवाह कभी थमता नहीं। भाव-पक्ष की इस अनूठी सम्पदा का कोई मूल्य चुका सकता है? नहीं कभी नहीं।

मनोहर लाल
बी-71 अशोक बिहार
दिल्ली-32

रूपक

काली छाया ★ डा० कृष्ण मुरारी शर्मा 'उन्निद्र'

पात्र :

डा० दयाराम ; एक चिकित्सक ; मोहन सिंह ; एक शिक्षक राम ; मोहन का लगभग पांच वर्षीय रुग्ण पुत्र ; श्यामू ; मोहन सिंह का लगभग आठ वर्षीय स्वस्थ पुत्र ; लीला ; दो वर्षीय रोगी बालक दिनेश की मां ; सेठ खूब चंद ; एक रोगी ; चपरासी ; डा० दयाराम का भृत्य ।

(सामने ही एक बोर्ड पर लिखा है—'डा० दयाराम का अस्पताल ।' ठीक सामने डा० की कुर्सी के ऊपर दीवाल पर लिखा है—'जन सेवा ईश्वर की सेवा है । 'बायीं ओर के द्वार पर 'वेटिंग रूम' की तख्ती लगी है और दायीं ओर 'इंजैक्शन तथा औषधि वितरण कक्ष' लिखा है । चिकित्सालय की अन्य दीवारों पर मानव शरीर सम्बन्धी कुछ चार्ट्स भी टंगे हैं। वेटिंग रूम के दरवाजे पर स्टूल डाले चपरासी बैठा है ।)

डा० दयाराम : (सामने टेबल पर क्रम से रखे पर्चों में से एक-एक को उठाकर सेठ खूबचंद को बुलाओ ।)

चपरासी : वेटिंग रूम की ओर मुंह करके नाम पुकारता है—सेठ खूबचंद । (भारी-भरकम शरीर वाला एक व्यक्ति वेटिंग रूम से निकल कर डा० दया राम के कमरे में प्रवेश करता है ।)

सेठ खूबचंद : हाथ जोड़कर—नमस्ते, डाक्टर साहब ।

डा० दयाराम : नमस्ते ! बैठिए ।
(सेठ खूबचंद डाक्टर के निकट रखे स्टूल पर बैठता है ।)

डा० दयाराम : (सेठ खूबचंद की तौंद पर हाथ फिराकर) कहिए सेठ ! क्या हाल है ? अभी तुम्हारी बादी घटी नहीं । (नब्ज देखते हुए) कल बुखार तो नहीं आया ? नाड़ी तो ठीक चल रही है. पर··· (थोड़ा रुक कर) हां कल बुखार तो नहीं आया ?)

सेठ खूबचंद : नहीं साहब ! बुखार तो तीन-चार दिन से नहीं आया । बस, थोड़ी कमजोरी······

डा० दयाराम : हां भाई । ये ही तो असली बीमारी है तुम्हें। घबराओ मत सेठ । ठीक करके छोड़ूंगा । (कानों पर स्टेथिस्कोप चढ़ा कर मरीज की छाती पर दो-एक जगह लगाते हुए) हां सांस लो—जोर-जोर से ।
(सेठ जोर-जोर से सांस लेता है जिससे उसके बड़े पेट का उतार-चढ़ाव साफ दिखने लगता है ।)

डा० दयाराम : कानों से स्टेथिस्कोप उतार कर) सेठ जी ! बडी खतरनाक बीमारी है ।

सेठ खूबचंद : (एकदम घबराकर) ऐं···(आंखें फाड़े रह जाता है ।)

डा० दयाराम : घबराओ मत । बस, कुछ इंजैक्शन और लगेंगे । खाओगे-पीओगे तो जल्दी ठीक हो जाओगे । समझे । (रुखाई के साथ) बढ़ाओ आज के पांच रुपए ।

सेठ खूबचंद : (भीतर वाली जेब से बीस रुपए का एक नोट निकाल कर लीजिए साहब)

डा० दयाराम : अरे ! ये तो बीस रुपए का नोट है । (मुस्करा कर) अच्छा, तो ठीक है, आज के अलावा, तीन दिन के इंजैक्शन की फीस और जमा किए लेता हूं । समझे न । (टेबिल के ड्रावर में नोट डाल कर) तुम्हारी फीस आ गई, नोट किए लेता हूं । पर्चे पर कुछ लिखता है ।

सेठ खूबचंद : पर साहब मैं तो इन सुइयों से तंग आ गया हूं । मुझे अब एक भी सुई नहीं लगवानी । (बांहों पर हाथ फेर कर) मरा जाता हूं, दर्द के मारे । हाथ जोड़ता है । कोई दवाई हो तो दे दो ।

डा० दयाराम : नहीं-नहीं, पूरा कोर्स हो जाने दो । रोगी को पूरी तरह ठीक न होने पर डाक्टर बदनाम होता है । समझे । जाओ इंजैक्शन लगवाओ । (सेठ खूबचंद अरुचिपूर्ण ढंग से इंजेक्शन कक्ष में चला जाता है । तभी मोहन सिंह अपनी पीठ पर अपने रोगी पुत्र रामू को लादे हुए अस्पताल के सामने रुकता है। रोगी काले कम्बल से ढका है। मोहन सिंह हांफ रहा है। उसके साथ उसका द्वितीय पुत्र भी है ।)

मोहन सिंह : (चिकित्सालय में प्रवेश कर रोगी पुत्र को सभाल कर उतारते हुए) श्यामू सहारा दे ।
श्यामू सहारा देता है. किंतु वह अपने रोगी भाई को संभाल नहीं पाता । तब दोनों मिल कर उसे

वहीं धरती पर लिटा देते हैं।

मोहन सिंह : (निवेदन करते हुए) डा० साहब। जरा जल्दी करिए। बच्चे की बहुत गंभीर हालत है।

डा० दयाराम : (लापरवाही से) जल्दी-वल्दी कुछ नहीं। हम अपने मरीजों को नम्बर से देखते हैं। दिखाना है तो, कम्पाउण्डर के पास जाओ और पर्चा बनवाओ। नम्बर आने पर बुला लिया जाएगा। समझे।

मोहन सिंह : (याचना के स्वर में) दया करिये, डाक्टर साहब! बच्चे की हालत बहुत खराब है। थोड़ी देर भी···

डा० दयाराम : (निश्चित मुद्रा में) हम क्या करें। तब से क्या सो रहे थे। अब हम इसे इमरजैन्सी केस के रूप में देख सकते हैं, पचास रुपए देने पड़ेंगे और दूसरा खर्चा अलग होगा। लाए हो पैसे?

मोहन सिंह : (दैन्य प्रकट करते हुए) नहीं साहब। मेरे पास तो बस बीस-पच्चीस रुपए होंगे। पर, आप चिन्ता न करें, मेरे बेटे को ठीक कर दो। मैं आपकी कौड़ी-कौड़ी चुका दूंगा।

डा० दयाराम : (रुखाई के साथ) यहां उधारी का काम नहीं। कोई और डाक्टर ढूंढ लो।

मोहन सिंह : छोटी जगह है, डाक्टर साहब। इस समय यहां और कोई अच्छा डाक्टर नहीं है। आप ही मेहरबानी करिए। डाक्टर तो भगवान का रूप होता है।

डा० दयाराम : ठीक है-ठीक है, मेरा वक्त खराब मत करो। रुपए हों, तो बात करो।

मोहन सिंह : (अधीर होकर) रुपए नहीं हैं, डाक्टर साहब। मैं शिक्षक हूं। मैं झूठ नहीं बोलता, थोड़ी देर में ही कहीं न कहीं से लाकर आपके रुपए दे दूंगा। आप तो कृपा करके इसे देख लीजिए। (डाक्टर के पैर पकड़ कर) डाक्टर साहब। मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए। डाक्टर साहब।

डा० दयाराम : (पैर छुड़ाकर) तुम्हारे पास रुपए नहीं है, तो ले आओ किसी से। मैं मरीज को तभी देख सकूंगा, अपना नियम नहीं तोड़ सकता। (भृत्य से) चपरासी। इन लोगों को वेटिंग रूम में पहुंचाओ।

चपरासी : जी साहब। (मोहन सिंह से) मरीज को उठा लो और इधर ले आओ। उसे यहां बैंच पर लिटा कर रुपए ले आओ।

मोहन सिंह : (उदास होकर) अच्छी बात है। ईश्वर की मरजी (रामू को गोद में उठाकर) श्यामू! तू इसके पास बैठना। मैं दीपचंद से कुछ रुपए उधार लिए आता हूं। देख! ध्यान रखना। कोई बात हो, तो तुरन्त डाक्टर साहब को बतला देना।

श्यामू : (सहमति में सिर हिला कर) अच्छी बात है।

(मोहन सिंह मरीज को वेटिंग रूम में ले जाता है। श्यामू उसके पीछे-पीछे जाता है। चपरासी अपने स्टूल पर फिर बैठ जाता है।)

डा० दयाराम : (पर्चे उठा कर) हां, दिनेश, लीला के पुत्र को बुलाओ।

चपरासी : (नाम पुकारता है) दिनेश, लीला का पुत्र।
(सफेद साड़ी पहने एक तरुणी प्रवेश करती है। उसकी गोद में उसका दो वर्षीय पुत्र है।)

लीला : (मुस्कान सहित) नमस्ते, डाक्टर साहब।

डा० दयाराम : नमस्ते।

लीला : (खड़ी रह कर ही अस्वस्थ बच्चे को दिखाते हुए) इसे डाक्टर साहब···

डा० दयाराम : (बीच में ही) अरे! यहां बैठिए तो। (स्टूल की ओर संकेत करता है।) ऐसे खड़े-खड़े कहीं बात की जाती है।
(लीला स्टूल पर बैठती है और बच्चे को अपनी गोद में लिटा कर डाक्टर की ओर किए रहती है। डाक्टर लीला के सुन्दर मुख पर आंखें गाड़ देता है। बच्चे की ओर तनिक भी ध्यान न देते हुए वह लीला की ओर देखता ही रह जाता है।)

लीला : (खिन्न होकर) डाक्टर साहब! बीमार मैं नहीं हूं, मेरा बच्चा बीमार है। मुझे नहीं, इसे देखिए।

डा० दयाराम (धृष्टतापूर्वक) हां-हां उसे भी देखूंगा। (लम्बी सांस लेकर) पहले उसे तो देख लूं जिसके कारण मैं ही बीमार हो चला हूं।

लीला : (उत्तेजित स्वर में) एक अपरिचित महिला से इस प्रकार हंसी-मजाक करने में आपको हिचक नहीं होती? अगर आप भले आदमी की तरह बच्चे का इलाज कर सकें, तो कीजिए। खड़ी होती है।)

डा० दयाराम : अरे! बैठिए—बैठिए।
(लीला फिर बैठ जाती है।)

डा० दयाराम : (अत्यन्त मृदुल वाणी में) लीलाजी! इसमें गुस्से की क्या बात है? मैंने किया ही क्या है? आप को बस पहचान ही तो रहा था। खैर, छोड़िए (धीमे स्वर में) एक बात कहूं?

लीला : हां-हां कहिए।

डा० दयाराम : (एक विचित्र मुस्कान के साथ) बुरा न मानिए, लीलाजी! आप गुस्से में भी बहुत प्यारी लगती हैं।

लीला : (क्रुद्ध स्वर में) डाक्टर! यह निर्लज्जता अच्छी नहीं। मैं···(अचानक तभी वेटिंग रूम से श्यामू का करुण स्वर सुन पड़ता है—'भैया-भैया'—वह दौड़ता हुआ डाक्टर के पास पहुंचता है।)

श्यामू : (घबराहट के साथ) डाक्टर साहब! मेरे भैया

को कुछ हो गया है। भैया की आंखें सफेद हो गई हैं। आप चल कर……

डा० दयाराम : (कठोरता पूर्वक) अबे पिद्दी ! हो जाने दे। तेरा बाप तो अभी तक नहीं लौटा। उसे आने दे पहले। हम अभी आते हैं। (हाथ से संकेत करते हुए) चल वहां जा।

(श्यामू अत्यन्त दैन्य भरी दृष्टि के साथ कभी डाक्टर को, तो कभी लीला को देखता है और फिर चुपचाप वेटिंग रूम में चला जाता है।)

लीला : (निवेदन के स्वर में) उस बच्चे को देख लीजिए। डाक्टर साहब। बहुत सीरियस मालूम होता है। मेरे बच्चे को बाद में देख लीजिएगा।

डा० दयाराम : (प्रसन्न होकर) अच्छा, तुम कहती हो तो…

(तभी वेटिंग रूप में मोहन सिंह का स्वर सुन पड़ता है—'श्यामू ! मैं रुपए ले आया।' श्यामू कुछ कह पाये इसके पूर्व ही पसीने में लथ-पथ मोहन सिंह डाक्टर के सामने पहुंच जाता है।)

मोहन सिंह : (जोर-जोर से हांफते हुए) लीजिए डाक्टर साहब ! (सौ रुपए का एक नोट टेबिल पर रखते हुए) ये रही आपकी फीस।

डा० दयाराम : (नोट ड्रावर में डाल कर ऊपर उदारता दिखाते हुए) चलो, वहीं देखे लेता हूं। यहां उठा कर लाने में बच्चे को कष्ट होगा। (लीला से) आप तब तक बैठिए।

मोहन सिंह के साथ स्टेथिस्कोप हाथ में लिए डाक्टर दयाराम ज्योंही वेटिंग रूम में प्रवेश करता है, त्योंही लीला अपने बच्चे को लेकर बाहर वाले रास्ते से घर चली जाती है। कुछ ही देर में डा० दयाराम अपने कक्ष में लौट आता है। मोहन सिंह जिज्ञासा भरी दृष्टि से देखते हुए उसके साथ-साथ चलता है। डाक्टर अपनी कुर्सी पर बैठता है। मोहन सिंह व्यग्रतापूर्वक उसके मुख की ओर देख रहा है।)

डा० दयाराम : बैड लक, मुझे खेद है, मोहन सिंह। अब कुछ नहीं हो सकता। आपने बहुत देर कर ली।'

मोहन सिंह : (पागलों के समान आंखें फाड़े हुए) डाक्टर…! मेरे बच्चे को बचा लो, डाक्टर ! मेरे बच्चे को बचा लो। डाक्टर। ये अहसान कभी नहीं भूलूंगा, डाक्टर ! (हाथ जोड़ता है। तुम्हें ईश्वर की सौगन्ध है डाक्टर। बचा लो डाक्टर। (पैरों पर गिर पड़ता है।)

डा० दयाराम : (पैर छुड़ाते हुए) वैरी सौरी। अब कुछ नहीं हो सकता।

मोहन सिंह : (व्याकुल होकर) ऐं……ऐं……क…क… क्या ?

डा० दयाराम : हां, वह इस लोक से जा चुका है। आप उसे उठा ले जाइए।

मोहन सिंह : (एकदम चीखते हुए) डाक्टर ! मेरे बच्चे को तुमने मारा है—तुमने। (उंगली से इशारा करते हुए) उसके हत्यारे तुम हो। तुम

डा० दयाराम : (डांटते हुए) बेवकूफ कहीं का। हट यहां से। उठा ले जा उस कूड़े को।

मोहन सिंह : (उत्तेजित होकर मुट्ठियां बांधते हुए) मैं तेरा खून कर दूंगा। (दांत पीसते हुए) मैं तुझे छोड़ नहीं सकता। उस सफेद दर्पण को तोड़ डालंगा जिसमें अपनी काली छाया छिपाए हुए है। (क्रोधित मोहन सिंह डाक्टर की ओर लपकता है। चपरासी बलपूर्वक उसे रोक लेता है।)

डा० दयाराम : (कठोरतापूर्वक) मास्टर ! आपे में रह। जेल तो नहीं जाना ?

मोहन सिंह : (दांत पीसते हुए) तेरा खून पीकर जेल भी चला जाऊंगा ? नीच ! (चीखता है) दयाराम नाम रख लिया है, पर दया का नाम भी नहीं जानता। दयाराम नहीं, दुष्टराम। मेरे बच्चे के हत्यारे। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं।

(उत्तेजित होकर मोहन सिंह फिर डाक्टर की ओर बढ़ता है, किन्तु चपरासी उसे फिर रोक लेता है। फिर भी आंखों से अंगारे बरसाते हुए डाक्टर की ओर देखता रहता है।)

डा० दयाराम : (ड्रावर से सौ रुपए का नोट निकाल कर मोहन सिंह की ओर फेंकते हुए) ले, अपने रुपए ले और हट यहां से, वरना……

मोहन सिंह : (क्रुद्ध दृष्टि से डाक्टर को देख कर जोर से चिल्लाता है) खूनी। धमकी देता है। मैं……

(तभी वेटिंग रूम से श्यामू का रुदन भरा स्वर सुनकर वह एकदम अधीर होकर वेटिंग रूम की ओर देखता है। श्यामू रो रहा है और कह रहा है—'भैया ! मेरे भैया ऊं…ऊहूं…ऊहूं…भैया।' व्याकुल होकर मोहन सिंह वेटिंग रूम में प्रविष्ट होता है।)

(यवनिका पात)

—शासकीय महाविद्यालय,
मुरार,
ग्वालियर-6 (म०प्र०)

कहानी

भार ★ सविता राणपुरा

विधवा ब्राह्मणी गोमती के यहां से पांच हजार रुपयों के गहने चोरी चले गए, जिससे पूरे गांव में सनसनी फैल गई। गांव का एक-एक आदमी तुच्छकार से कहने लगा, "अरे, यह धन पचने वाला नहीं। एक तो विधवा, तिस पर ब्राह्मणी ! उसका धन जिसने लिया है, उसके तो रोम-रोम में कीड़े पड़ेंगे। देख लेना ; हां !"

हर कोई गोमती से पूछ रहा था, "बताओ, तुम्हें किस पर शक है ? इशारा भर कर दो। मार-मार कर उसका भुरकस न निकाल दें, तो कहना। एक-एक गहना निकलवा कर रहेंगे।"

किन्तु गोमती का एक ही उत्तर होता, "भइया, मैं किस का नाम लूं ? मेरा तो किसी से भी बैर नहीं। खुद मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझ जैसी दुखियारी के यहां चोरी करने की कुबुद्धि भला किस में आई होगी।" और उसकी नजरें घर के पिटारे पर ठहरने लगतीं, "डिबिया इसी पिटारे में रखी थी। डिबिया रोज की-रोज खोलकर तो मैं तसल्ली नहीं करती थी, लेकिन…कल गोकुल अष्टमी थी न ? कल उसे खोल कर देखा था। बिटिया को माला और बेटे को 'पोंचियां' पहनाने के बाद, शाम को दोनों ही चीजें वापस पिटारे में रख दी थीं। खुद अपने हाथों से डिबिया में बन्द करके पिटारे में रखी थीं।"

"फिर ? ताला लगाया था ?"

'यही तो याद नहीं आ रहा।"

"कोई आया-गया था ?'

'मनसुख सेठ आए थे। मैं मन्दिर गई थी और बच्चे घर में अकेले थे। मुझे बुलाने के लिए बच्चे मन्दिर चले आए। सेठ जी तो बरामदे में ही बैठ रहे, हिले तक नहीं। वह तो लाख रुपए के आदमी हैं। ऐसा काम उन्होंने किया हो, इसका सवाल ही कहां है ? बच्चों के पिता जी जब से हमें छोड़कर गए हैं, तब से हमारी आन-बान और शान सेठ जी के ही भरोसे टिकी है। उनके लिए कोई भी ऐसी-वसी बात कहने से पहले क्या मेरी जुबान कट कर नहीं गिर जाएगी ?"

"तब तो…रात को ही किसी ने…"

"यही लगता है। भगवान के जन्म के समय हम लोग मन्दिर चले गए थे।"

जिसके दुःख में सारा गांव शरीक था, उस गोमती को स्वयं मनसुख सेठ ने कम आश्वासन नहीं दिया था। गांव में सेठ जी की आबरू बहुत बढ़ी-चढ़ी थी। सभी को मालूम था कि वह कितने धर्मात्मा और गुप्त दानी थे। आज तक किसी ने उनकी ओर उंगली नहीं उठाई। उनकी जगह कोई और होता, तो उसके नाम का ऐलान डोंडी पीट-पीटकर किया जाता। उसकी मिट्टी पलीद करने में लोगों ने कसर न छोड़ी होती।

गोमती के साथ सेठजी का सम्बन्ध परिवार जैसा था। आड़े वक्त में हमेशा वही काम आए थे। गोमती के पति की आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर, उसकी उत्तर-क्रियाओं में, सबसे ज्यादा दौड़-धूप मनसुख सेठ ने की थी ; आर्थिक सहयोग भी सर्वाधिक उन्हीं की ओर से मिला था। सहज-स्वाभाविक था कि गोमती के घर में उनका आना-जाना उसी निर्द्वन्द्वता से होने लगा, जिस तरह घर का चूहा आता-जाता है। गोमती अपनी कौन-सी चीज कहां रखती हैं, उन्हें सब मालूम था। कल रात वह यह पूछने आए थे कि सुबह की गाड़ी से मैं शहर जा रहा हूं ; कोई काम-धाम हो, तो कहो। गोमती को बुलाने के लिए बच्चे मन्दिर की दिशा में रवाना हो गए थे और मनसुख सेठ ने सहसा ध्यान दिया था कि पिटारा खुला रह गया है। निस्सन्देह वह धर्मात्मा और गुप्त दानी थे ; किन्तु पांच-पांच, दस-दस रुपयों के गुप्त दान करना एक बात थी और नजरों के ही सामने पांच हजार के गहने एक मुश्त पड़े रहना कोई और ही बात। बच्चों के जाने के बाद घर में वह अकेले थे और उनके मन में शैतान दाखिल हो चुका था। कमरे में घुसकर उन्होंने पिटारा खोला, डिबिया में से गहने निकाल कर धोती में बांध लिए और डिबिया जहां-की-तहां धर कर पिटारा वापस बन्द कर दिया। गोमती जब आई, तब वह बरामदे में अकेले और चुपचाप बैठे हुए थे। विधवा ब्राह्मणी के साथ थोड़ी बातचीत करके उन्होंने विदा ली थी।

सुबह जब वह रेलवे-स्टेशन की ओर जा रहे थे, तब रास्ते में ही सामाचार मिले कि गोमती के यहां पांच हजार की चोरी हो गई है। शहर जाना मुलतबी रखकर मनसुख सेठ उल्टे पांव लौट पड़े थे। सीधे पहुंचे थे गोमती के घर। गोमती सिर पटक-पटक कर रो रही थी, जिसे उन्होंने इन शब्दों में आश्वासन दिया था, 'धीरज रखो। चोर को हम जरुर पकड़ लेंगे। मैं बैठा हूं न ? फिर तुम्हें क्या चिन्ता ? मैं अभी आदमी भेज कर फौजदार को बुलवाता हूं।"

और सेठजी का आदमी पुलिस-चौकी की ओर तुरन्त रवाना हो गया था।

पुलिस आती, इससे पहले ही सेठजी ने गौर कर लिया था कि गोमती किस कदर दुःखी है और गांव वालों की सहानुभूति उसके साथ किस सीमा तक है। वह सन्नाटे में आ गए। पल भर को यहां तक सोच लिया कि चोरी कबूल

कर लूं, सारा माल सामने रख दूं··· लेकिन किसी तरह रुके रहे। वह जानते थे कि अपराध-स्वीकृति के पीछे छिपी दिलेरी का मूल्यांकन गांव वाले नहीं कर पाएंगे और उन पर इतना कीचड़ उछालेंगे, जिसका हिसाब न होगा। नहीं, नहीं···बंधी मुट्ठी सवा लाख की कही है। उनकी व्यावसायिक बुद्धि कोई उपाय ढूंढ़ रही थी, किन्तु कुछ सूझ नहीं रहा था।

शाम ढलते-ढलते फौजदार दो सिपाहियों को साथ लिए हुए आ पहुंचा। उन्होंने पंचायत-आफिस में डेरा डाला। सरपंच एवं पंचायत के अन्य सदस्यों इत्यादि ने फौजदार से बार-बार आग्रह किया कि चोर को हर सूरत में पकड़ लिया जाना चाहिए। फौजदार ने भी सहमति दर्शाई। सबने अपने-अपने विचार पेश करना शुरू किया कि चोरी कब और कैसे हुई होगी, सम्भावित चोर कौन हो सकता है चोरी के बाद वह कहां जा छिपा होगा।

फौजदार ने मनसुख सेठ को भी बुलाया। एक बारगी सेठजी का दिल कांप गया, लेकिन किसी प्रकार साहस संजोकर वह पंचायत कार्यालय में आ पहुंचे। फौजदार, सरपंच एवं सभी उपस्थित जनों ने उनका स्वागत किया। फौजदार ने हंसते-हंसते कहा, "क्या, सेठ जी, आप जैसा धर्मात्मा आदमी जिस गांव में हो, वहीं एक विधवा ब्राह्मणी के यहां चोरी हो जाए? यह तो आपकी इज्जत पर बट्टा लगने जैसी बात हुई।"

"दरअसल; यह चोरी खुद मैंने की है न; इसलिए···"

"लीजिए; आपने तो उल्टा मतलब लगा लिया! मैंने कब कहा कि खुद आपने चोरी की?"

"आप नहीं, मैं कह रहा हूं; और बिल्कुल सच कह रहा हूं।" सेठ जी ने दोहराया, "चोरी मैंने की है।"

"अब रहने भी दीजिए, सेठ जी; न जाने किस को बचाने के लिए आप खुद को कुसूरवार बना रहे हैं।"

"याने आप मेरे सच को भी सच मानने के लिए तैयार नहीं।" सेठजी व्यग्रता से बोले।

"लेकिन जो सच है ही नहीं, उसे कैसे···"

सेठ जी की व्यग्रता सीमा पार कर गई।

तभी गोमती आ पहुंची। फौजदार ने, अपनी परम्परानुसार, उससे अनेक सवाल पूछे। सवालों की भाषा में थोड़ी शिष्टता भी थी। गोमती गम्भीरता से उत्तर देती रही। अन्त में फौजदार ने जानना चाहा, "कौन हो सकता है चोर?"

"अगर यही मालूम होता, तो फिर चाहिए क्या था?"

"फिर भी···आखिर किसी पर तो तुम्हारा शक···"

गोमती की प्रश्नवाचक आंखें सेठ जी की ओर उठ गई, "क्यों? आपका क्या अन्दाजा है, सेठ जी?"

मनसुख सेठ घबरा कर बोल पड़े, "मेरा अन्दाजा? अन्दाजा क्यों? मुझे तो मालूम ही है न!"

गोमती की आंखों में आशा चमक उठी, "सच? आप जानते हैं? कौन है?"

"और कौन? मैं सामने ही तो बैठा हूं।"

"फिर वही मजाक?" फौजदार के स्वर में उलाहने के साथ बौखलाहट भी थी।

"आपने फिर वही बात कह दी।" गोमती झेंप कर बोली।

मनसुख सेठ का दिल डूबने लगा। चोरी का भार उनके तन-मन को कुचले दे रहा था। उन्होंने कहा, "मान लीजिए, मैंने ही चोरी की है।"

"ऐसा मानने के लिए भी कौन तैयार होगा?" सरपंच का स्वर था।

"मानने क्या हर्ज है? मान लीजिए कि चोरी मैंने की, सारा माल मेरे यहां से बरामद हुआ···फिर मुझे सजा मिलेगी या नहीं?"

"सेठ जी!" फौजदार ने कहा, "आज के जमाने में कोई चोर अपनी चोरी कबूल नहीं करता। अगर कबूल ही करना है, तो फिर चोरी ही क्यों की जाए? आप जिस तरह मान लेने का प्रस्ताव रख रहे हैं न; दरअसल वह तरीका ही गलत है।"

"गलत क्या है? पुलिस अपने अन्दाजे के ज़ोर पर न जाने कितने गुनहगारों को पकड़ती रहती है।"

"लेकिन ऐसे गुनहगार पहले ही से पुलिस की नजर में होते हैं।"

"मान लीजिए, मैं पुलिस की भी नजर में पहले ही से हूं।"

"ऐसे कैसे मान लिया जाए?" कहता हुआ फौजदार गोमती से मुखातिब हो गया, "बहन; तुम जाओ। तुम्हारे गहनों के चोर को पकड़ने की ज्यादा-से ज्यादा कोशिश हम करेंगे।"

गोमती जाने लगी। सेठजी उसकी पीठ की ओर देखते रह गए।

शाम ढल चुकी थी। फौजदार एव सिपाहियों के लिए भोजन की व्यवस्था करके सबने अपनी-अपनी राह पकड़ी।

मनसुख सेठ जब घर पहुंचे, तो उन का सिर झुका हुआ था। आंगन में पड़ी खटिया पर वह निढाल हो गए। आकाश में काले बादल चढ़े आ रहे थे। चन्द्रमा कभी ढक जाता, तो कभी पूरा चमकने लगता।

यह सम्भव था ही नहीं कि सेठ जी को नींद आ जाती। विचारों का भंवर शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। आखिर उन्होंने बच्चों को बुलाकर कहा, "आओ; एक कहानी सुनाऊं।"

और उन्होंने शुरु कर दिया. "किसी नगर में एक सेठ रहता था। बहुत धर्मात्मा था। दूसरों के दुःख देखकर वह स्वयं दुःखी हो जाया करता।"

"याने···वह बिल्कुल आपके जैसा था। है न, बापू?" सात वर्ष की हंसा बोली।

'हां।" सेठजी ने हौले से कहा। फिर; कहानी आगे चली, "सेठ की साख बहुत बढ़ी-चढ़ी थी। बिना किसी लिखत-पढ़त के लोग उसके पास जेवरात रख जाया करते।"

"आप की भी साख ऐसी ही है न, बापू?" दस वर्ष का रमेश बोल पड़ा।

"बीच में टोको मत।" कहकर सेठ जी ने आगे चलाई, "अब···एक बुढ़िया भी थी। उसे तीर्थ-यात्रा पर निकलना था। उस जमाने में आज के जैसी रेल गाड़ियां नहीं थीं। जहां भी जाओ, पैदल जाओ। लोग जोखिम की चीजें साथ रख कर नहीं निकलते थे। उस बुढ़िया का पूरा विश्वास सेठ पर था। उसने अपने गहनों की डिबिया सेठ के यहां रख दी। कोई गवाह नहीं। लिखत-पढ़त नहीं।"

"विश्वास पर ही दुनिया चलती है; और···कभी-कभी डूब भी जाती है।" तेरह वर्ष के चन्द्रकांत ने कहा।

'हां, बेटे; इस बार यही हुआ। विश्वास के ही कारण बुढ़िया की दुनिया डूब गई। तीर्थ-यात्रा करके बुढ़िया जब लौटी, तो सेठ साफ मुकर गया। बोला कि गहने तुमने मुझे दिए ही कब थे?" बुढ़िया रोने लगी। ऐसी रोई, ऐसी रोई कि तौबा; लेकिन सुनता कौन;

"गोमती मां जिस तरह से रो रही थीं, वैसे ही वह बुढ़िया भी रोई होगी। है न, बापू?" रमेश फिर बोला।

"हां, वैसे ही; लेकिन सेठ की साख इतनी बढ़ी-चढ़ी थी कि उसका कुसूर किसी ने न निकाला। सबने बुढ़िया से कहा कि तुम सेठ का झूठा नाम उछाल रही हो।"

"लेकिन गोमती मां ऐसी नहीं हैं। किसी का झूठा नाम वह नहीं ले सकतीं, चन्द्रकांत बोला।

"हां; तो फिर क्या हुआ?" रमेश ने उत्सुकता दिखाई।

"बुढ़िया ने राजा से शिकायत की, लेकिन राजा भ सेठ से कुछ न कहा। सेठ की आबरू को कोई आंच न आई। वह सदा की तरह ठाठ से जीता रहा; जबकि बुढ़िया रो-रोकर अन्धी हो गई।"

"छी! मैं उस सेठ को देख लेता, तो जिन्दा न छोड़ता।" चन्द्रकांत आवेश में आ गया।

"मान लो कि उस सेठ के जैसा ही पाप मैंने भी किया हो। फिर?',

"आप कैसे कर सकते हैं! आप···"

"तो सुनो, गोमती के गहने मैंने ही चुराए हैं।"

"हो नहीं सकता।"

"सबूत दे दूं, तो?"

"तो भी कौन मानेगा? खुद सबूत सबको झूठा लगेगा।" चन्द्रकांत ने तपाक से उत्तर दिया, "मुमकिन है, गोमती मां अपने गहने आपके पास रखने के लिए छोड़ गई हों; और अब फालतू का तूफान खड़ा कर रही हों।"

लड़के की तर्क-शक्ति पर, कोई और अवसर होता तो, मनसुख सेठ न्यौछावर हो जाते; लेकिन आज उन शब्दों ने उनका भार बढ़ा दिया। उसी अनुपात में, सच्चाई बाहर निकल पड़ने को अकुलाने लगी।

आकाश में बादलों का भार बढ़ रहा था। बादलों की पहाड़ियों पर पहाड़ियां चढ़ती जा रही थीं। जो कालिमा उनमें थी, वैसी ही कालिमा मनसुख सेठ के हृदय पर छाती जा रही थी। एक ओर से पाप और दूसरी ओर से प्रतिष्ठा का सवाल उन्हें भींच रहा था, शिकंजे में कस रहा था।

आकाश में लुढ़कते बादलों के बीच सहसा गर्जना होती है। न जाने क्यों वह गर्जना सेठ जी के दिल में धुकपुकी पैदा कर रही है। सेठानी की आवाज सुनाई पड़ती है, "अजी, सुना? खटिया अन्दर ले लीजिए। अभी बारिश टूट पड़ेगी।"

गर्जनाओं के बीच फंसे सेठ जी कुछ सुन नहीं पाते हैं। पाप और प्रतिष्ठा के दो पाटों के बीच वह पिस रहे हैं। बचने का कोई उपाय सूझ नहीं रहा। सूझ जाए तो भी, शायद बचने की इच्छा ही शेष नहीं रही है। चाह रहे हैं कि इसी शिकंजे में भिचता जाऊं, भिचता जाऊं और जान से मर जाऊं—ताकि मन का भार तो कुछ कम हो···चेहरे पर विशाद लिए मनसुख सेठ अन्धकार में, खटिया पर, अकेले बैठे रह गए हैं। बच्चे अपनी-अपनी खाटें उठाकर कबके अन्दर जा चुके हैं। सेठानी मनसुख सेठ के पास आती हुई कहती है, "उठिए भी; बारिश शुरू हुई जाती है···"

फिर भी सेठ जी उठ नहीं पाते हैं। सिर पर हाथ धर कर बैठे रह गए हैं। सेठानी कहती हैं, "यों दुःखी होने से गोमती के गहने वापस तो आ नहीं जाएंगे। चलिए अन्दर। मानती हूं कि दुःख होता है, लेकिन इतना भी क्या दुःख?"

"मगर वह चोरी मैंने की है।" सेठ जी बौखला कर बोल पड़ते हैं।

"आपका मन स्थिर नहीं है। अगर इसी तरह सोचते रहे, तब तो···चलिए, चलिए, उठिए।"

"तुम भी नहीं मानोगी कि चोरी मैंने की है?"

"क्यों मानूं? बिल्कुल नहीं मानूंगी। एक नहीं, सौ नहीं; हजार बार नहीं मानूंगी।"

गहरे विश्वास के साथ सेठ जी उठ खड़े हुए। उठते ही उस अदृश्य भार ने उन्हें और ज्यादा पीसना शुरू कर दिया। वह पिसते गए, पिसते गए···अपनी नियति वह पहचान चुके थे। जीवन भर सिवा पिसने के वह कुछ नहीं कर सकेंगे। वह अदृश्य भार उनके कंधों पर सदा के लिए आ बैठा था। ★

अनुवादक : मनहर चौहान

मा वः स्तेन ईशत माघर्शसः

देख, कहीं चुपके से धन लूटने वाला और पाप फैलाने वाला तुम पर हुकूमत न करे।

यजुर्वेद

केन्द्र के समाचार

खरपतवार नियंत्रण

केन्द्रीय कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय ने राज्य सरकारों को खरीफ मौसम के दौरान खरपतवार के नियंत्रण के लिए प्रभावी कार्यक्रम लागू करने की सलाह दी है। चावल को पंक्तियों में बोने और खरपतवार को आरंभ में ही हटाने की सिफारिश की गई है ताकि कृषि उत्पादन में वृद्धि की जा सके।

भूमि को उचित रूप से खेती योग्य बनाने और चावल को छितराने के स्थान पर कतारों में लगाने को प्रोत्साहन देने और लोकप्रिय बनाने के लिए उन्नत साधनों का प्रयोग कर खेतों में प्रदर्शनों का आयोजन करने का कार्यक्रम असम, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में इस वर्ष भी चालू रहा है। इस कार्यक्रम को पश्चिमी बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी लागू किया जा रहा है जहां चावल को छिट्टा-वपित्र से बोया जाता है।

केन्द्रीय सरकार ने हर प्रकार की फसलों के लिए उचित टैक्नोलाजी अपनाने पर भी बल दिया है। राज्य सरकारों को चावल की उचित समय पर बुवाई और उचित किस्म के चयन करने के लिए भी आग्रह किया गया है जिससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि की जा सके। राज्य सरकारों को 92 लाख रुपए से अधिक उपलब्ध कराया गया है ताकि वे सरकारी और जहां सिंचाई की सुविधाएं उपलब्धहों वहां सामुदायिक नर्सरियां लगा सकें।

गोबर-गैस संयंत्र

चालू वर्ष में गोबर-गैस संयंत्रों के लगाने के लिए आर्थिक सहायता देने में अपेक्षाकृत अधिक उदार नीति अपनायी गई है। इस प्रकार छोटे किसानों और जन-जातीय क्षेत्रों के किसानों को लाभ मिल सकेगा। 2 और 3 घनमीटर के गोबर-गैस संयंत्रों के लिए केन्द्रीय आर्थिक सहायता कुल पूंजी लागत की 25% होगी और दूसरे आकारों के संयंत्रों के लिए यह सहायता कुल पूंजी लागत का 20% होगी। पहाड़ी और जन-जातीय क्षेत्रों के लिए यह आर्थिक सहायता सभी आकारों के संयंत्रों के लिए कुल पूंजी लागत का 50% होगी।

सभी राष्ट्रीयकृत बैंक गोबर-गैस संयंत्र लगाने के लिए ऋणों के रुप में सहायता दे रहे हैं। हाल ही में, कृषि पुर्नवित्त और विकास निगम ने बैंकों को सहायता देने की मंजूरी दी है। योजना के अधीन 2, 3 और 4 घन मीटर के संयंत्रों के लिए ऋण की अदायगी 7 वर्षों में की जा सकता है। ऋण लेने वाले को कम दर पर ब्याज देना होगा, जबकि बर्तमान में 11% सालाना है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सहकारी बैंकों को सलाह दी है कि वे गोबर गैस संयंत्र लगाने वालों से उसी दर पर ब्याज वसूल करें जो स्वीकृत मध्यकालिक प्रस्तावों के ऋणों पर लेते हैं।

गोबर-गैस संयंत्र से कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए अच्छा उर्वरक उपलब्ध होता है और साथ-साथ गैस भी प्राप्त होती है जो खाना पकाने, बिजली और डीजल इंजन चलाने में काम आती है। इसके अन्य लाभ हैं—बेहतर सफाई, वनों का बचाव और जन घंटों की बचत। पांचवी पंचवर्षीय योजना में देश में गोबर-गैस संयंत्र चालू करने का कार्यक्रम शुरु किया गया था। योजना वर्ष में एक लाख गोबर-गैस संयंत्र चालू करने का लक्ष्य रखा गया है। 1974-75 और 1975-76 में 20,000 गोबर गैस संयंत्र बिठाने का अभियान शुरू किया गया। किसानों द्वारा गोबर-गैस संयंत्र लगाने में रुचि न लेने के कारण, केन्द्रीय कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय ने योजना अवधि के दौरान, गोबर-गैस संयंत्र लगाने के लिए आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया, जिससे किसानों को प्रोत्साहन मिल सके। किसानों ने इस कार्यक्रम में रुचि दिखलाई और 1976-77 के अन्त तक 45,000 गोबर-गैस संयंत्र लगाए। वर्तमान आर्थिक सहायता की नीति को उदार बनाने का मुख्य उद्देश्य गोबर-गैस संयंत्रों को लगाने के लिए बढ़ावा देना है।

खादी ग्रामोद्योग

उद्योग मंत्री ने लोकसभा में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि इस वर्ष के योजनागत कार्यक्रमों के अन्तर्गत खादी ग्रामोद्योग के लिए अनुदान और ऋण के रूप में 35 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है। इस राशि में ब्याज सहायता भी शामिल है। इस 35 करोड़ रु० की राशि में से खादी उद्योग को 7·40 करोड़ रु० अनुदान और 10·70 रु० ऋण के रूप में दिए गए हैं। ग्रामोद्योग को 2·40 करोड़ रु० अनुदान और 6·10 करोड़ रु० ऋण के रूप में दिए गए हैं। ऋण राहत के रूप में 8·40 करोड़ रु० की राशि दी गई है।

मंत्री महोदय ने यह जानकारी भी दी कि ग्रामीण उद्योग परियोजनाओं और ग्रामीण दस्तकारी कार्यक्रमों के लिए चालू वर्ष के बजट में अनुदान और ऋण के रूप में 4·40 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है। उद्यमियों को बीजों और सीमांत धन के लिए अनुदान और ऋण देने के लिए 6 करोड़ रु० रखे गए हैं। इस राशि का कुछ भाग ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों के लिए भी उपलब्ध होगा।

ग्रामीण विकास

पिछले सप्ताह बैंकाक में ग्रामीण विकास प्रौद्योगिकी के लिए समन्वित दृष्टिकोण पर एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन एशियाई

प्रौद्योगिकी संस्थान और कनाड़ा की अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी ने मिलकर किया। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के उपकुलपति डा० ए० एस० चीमा ने सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन का उद्देश्य विश्व भर में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में काम कर रहे वैज्ञानिकों को एशिया में ग्राम विकास के लिए समन्वित अयोजन के क्षेत्र में अब तक हुई प्रगति की समीक्षा करने का मौका उपलब्ध कराना था।

डा० चीमा ने सम्मेलन में ग्रामीण विकास के लिए बुनियादी सुविधाएं विषय पर एक लेख पढ़ा जिसमें उन्होंने स्थानीय ग्रामीण समुदाय विशेषकर गरीब वर्गों की सहायता की दृष्टि से विकेन्द्रीयकरण पर जोर दिया। इस सम्बन्ध में उनके सुझाव स्वीकार कर लिए गए।

तिलहनों की पैदावार

भारत सरकार को मूंगफली,, तोरी और सरसों की खेती वाले क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए एक केन्द्र समर्थित योजना शुरु की है। इस योजना का उद्देश्य कृषि विज्ञान की उन्नत विधियों की, जिनमें उत्तम किस्म के बीजों का इस्तेमाल करना, उर्वरकों का उपयोग तथा पौधों आदि के कीड़ों से बचाव शामिल है, लोकप्रिय बनाना है। खेतों में प्रदर्शन-आयोजन और व्यावहारिक प्रशिक्षण देने को भी इस योजना का अंग माना गया है।

असिंचित क्षेत्रों की तुलना में सिंचित क्षेत्रों में तिलहनों की पैदावार काफी अधिक है। फिर भी पैदावार बढ़ाने की पर्याप्त संभावना है।

अखिल भारतीय तिलहन वर्कशाप तथा भारतीय तिलहन विकास परिषद् की बैठकों में समय-समय पर मूंगफली और अन्य तिलहनों की पैदावार में हुई वृद्धि की समीक्षा की जाती है। भारत सरकार द्वारा हाल ही में गठित एक विशेष दल ने बीज उत्पादन कार्यक्रम और मूंगफली तथा अन्य तिलहनों के पौधा संरक्षण उपायों को तेजी से लागू करने का प्रस्ताव रखा है।

नयी स्वास्थ्य योजना

हमारा देश गांवों का देश है। यहां की 80 प्रतिशत आबादी गांवों में बसती है, पर बेचारे ग्रामीणों को हारी-बीमारी अवस्था में सरकार की ओर से स्वास्थ्य व चिकित्सा सुविधाएं नहीं के बराबर उपलब्ध हैं। परन्तु अब हमारी नयी सरकार ने इस दिशा में पग उठाया है और श्री राजनारायण जी की नयी स्वास्थ्य योजना एक क्रान्तिकारी कदम है।

इस नयी ग्रामीण स्वास्थ्य योजना का उद्देश्य ग्रामीणों को उचित चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करना और इसके साथ-साथ उन्हें बीमारियों से अपनी रक्षा करने व अच्छा स्वास्थ्य बनाने की शिक्षा देना है। इस नई योजना के अन्तर्गत एक हजार व्यक्तियों की आबादी वाले प्रत्येक गांव से एक व्यक्ति चुना जाएगा जिसे आम बीमारियों के उपचार के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षण तीन महीने का होगा। पाठ्यक्रम में स्वास्थ्य विज्ञान की मूल-भूत बातें, स्वास्थ्य अच्छा रखने के उपाय, आरोग्य शास्त्र, छूत की आम-बीमारियों का इलाज, जच्चा-बच्चा की देखभाल, साधारण बीमारियों का इलाज और प्राथमिक उपचार आदि शामिल है। इन्हें एक बक्सा भी दिया जाएगा जिसमें आम रोगों के इलाज के लिए आधुनिक और पराम्परागत तरीकों की औषधियां होंगी। साथ में चिकित्सा सम्बन्धी एक पुस्तक भी होगी। इसके बाद काम करने के लिए उन्हें अपने-अपने गांवों में भेज दिया जाएगा।

जहां तक इस नई योजना का सम्बन्ध, एलोपैथिक डाक्टर इससे सहमत नहीं हैं। उनका कथन है कि इससे नीम-हकीमों की बाढ़ आ जाएगी। पर वे यह क्यों भूल जाते हैं कि आज नीम-हकीमों से ही बेचारे ग्रामीणों को हारी-बीमारी की अवस्था में राहत मिल रही है। इन नीम हकीमों में बड़े-बड़े सुयोग्य व्यक्ति पाए जा सकते हैं। अतः हमारा श्री राजनारायण जी से अनुरोध है कि अपनी योजना के अन्तर्मत वे इन नीम-हकीमों को भी प्रशिक्षण देकर उनकी सेवाएं भी उपलब्ध करें।

यह मानी हुई बात है कि जो आदमी जहां पैदा होता है उसके लिए वहां की जलवायु, वहां की भूमि, वहां के वातावरण में उपलब्ध औषधियां ही उसके लिए हितकर हो सकती हैं। आयुर्वेद में कहा गया है :—यस्य देशस्य यो जन्तुः

तज्जं तस्य औषधं हितम्॥ अर्थात् जो जिस देश का रहने वाला है उसे उस देश की औषधियां ही हितकर हो सकती है। अतः श्री राजनारायण जी, गांवों में इन तथाकथित नीम-हकीमों के पास राम-बाण औषधियों की जानकारी का जो भण्डार उपलब्ध है उसके सम्बन्ध में अनुसंधान कार्य को बढ़ावा दें ★

साहित्य समीक्षा

भारत तुम्हारा और मेरा : लेखिका : कमला डोंगरकेरी, प्रकाशक : प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या 119, मूल्य : 6·00 रु०

भारतीय जीवन के विभिन्न पक्षों की जानकारी किशोरों को देने के निमित्त लिखी गई इस पुस्तक की भाषा सरल-सुबोध है। इस बात को ध्यान में रखा गया है कि बच्चों के लिए ऐतिहासिक सामाजिक, सांस्कृतिक, कलात्मक और ऐसे ही अन्य पक्षों को समझाना कोई आसान नहीं है। यही कारण है कि अपने देश की पुरानी मान्यताओं, परम्पराओं और महान आदर्शों के प्रति बच्चों में रुचि और जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए यह पुस्तक बहुत ही उपयुक्त शैली में लिखी गई है और इसमें छोटी-छोटी कथाओं का सहारा लिया गया है।

भारत के नामकरण और भौगोलिक स्थिति से आरम्भ करके आधुनिक भारत के निर्माण तक लेखिका ने कुल 28 अध्याय लिखे हैं। इन अध्यायों में हमारी भाषाएं, धर्म, कला और साहित्य, प्राचीन भवन-निर्माण कला, हस्तकला-वेषभूषा आदि का वर्णन है। साथ ही, देश के त्यौहारों, खेलकूद, पशु-पक्षी, वृक्ष आदि के बारे में भी वांछित जानकारी दी गई हैं। फिर, वन-भारत के निर्माण में जिन महान व्यक्तियों ने योगदान दिया उनके बारे में भी जानकारी उपलब्ध है। पुस्तक में 13 चित्र हैं जो भारतीय जीवन के अनेक पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं।

कुल मिलाकर पुस्तक रोचक एवं ज्ञानवर्द्धक है। छपाई-सफाई बढ़िया है, मुखपृष्ठ आकर्षक बन पड़ा है। विशेषकर बच्चों के लिए और प्रूफ की अशुद्धियां नगण्य हैं। हां मूल्य कुछ कम रहता तो अधिक अच्छा रहता। ऐसी सुन्दर पुस्तक के लिए लेखक-प्रकाशक बधाई के पात्र हैं। ★

—त्रिलोकी नाथ (प्रोग्राम एसिस्टेंट)
क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय,
ईस्ट ब्लाक 4, लेवल-3, रा० कृ० पुरम
नई दिल्ली-110022

योग द्वारा रोगों की चिकित्सा : (लेखक डा० पुलगंदा सिन्हा, प्रकाशक : राजपाल एण्ड संस, कश्मीरी गेट, दिल्ली, पृ० 163, मूल्य : दस रुपए।)

रोगों से मुक्ति पाने के लिए आजकल एलोपैथिक औषधियों का प्रचार-प्रसार बढ़ता जा रहा है, जो समीचीन नहीं है। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि इस पद्धति से इलाज करने पर जब एक रोग चला जाता है, तो साथ ही एक दूसरे रोग की भी किसी अंश मे शुरुआत हो जाती है। अतः यह प्रणाली भारतीय जलवायु के अधिक अनुकूल नहीं है।

प्रस्तुत कृति ऐसे विविध आसनों पर प्रकाश डालती है, जो अनेक असाध्य रोगो को सर्वथा समाप्त करने में समर्थ हैं। आवश्यकता इस बात की है कि पुस्तक में उल्लिखित योग-आसनों का अधिकाधिक प्रचार हो। भारत में ही अपनी यह योग-साधना-पद्धति पर्याप्त प्रचार नहीं पा सकी है।

इस कृति में उदररोग, मधुमेह, दमा, सन्धि शोथ, मोटापा मानसिक समस्याओं तथ ; क्षयरोग और रक्तचाप पर सात अध्याय हैं। इनमें चित्रों के माध्यम से रोगों को समाप्त करने हेतु आसनों, प्राणायामों आदि को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया गया है, जिससे आरंभिक अभ्यासार्थियों को पुस्तक में उल्लिखित आसनों का ज्ञान प्राप्त हो सकता है।

आज के व्यवसाध्य औषधिक-प्रणालियों के कारण इस पुस्तक का महत्व और उपयोगिता निश्चित ही अपेक्षित है।

पुस्तक की भाषा सरल-सुबोध है। उपयोगिता असन्दिग्ध है। अतः प्रकाशक साधुवाद के पात्र हैं। विश्वास है, यह पुस्तक रुग्ण तथा स्वास्थ्य जगत् दोनों को ही लाभप्रद सिद्ध होगी।

—राकेश पाठक
ए-339, सूर्यनगर,
पो० विकम्बरपुर,
गाजियाबाद-201006।

संघ की राजभाषा : संकलन कर्ता—हरिबाबू कंसल व जगन्नाथ, प्रकाशक, केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद्, एक्स वाई—68, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली-110023 पृष्ठ—65, मूल्य केवल 1 रु०।

भारत सरकार अपने कार्यालयों में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग में बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर अनेक आदेश निकालती रहती है। लेकिन इन आदेशों, नियमों, अधिनियमों का समुचित रूप से अनुपालन तभी हो सकेगा, जबकि अधिक से अधिक व्यक्तियों को उनकी जानकारी हो किन्तु इनका एक ही जगह संकलन न होने से इनमें से अनेक आदेशों आदि की जानकारी उनको भी नहीं होती जिनको इनकी पूरी जानकारी होनी आवश्यक है। इसी उद्देश्य पूर्ति हेतु राजाभाषा सम्बन्धी संविधान की व्यवस्थाओं और समस्त महत्वपूर्ण सरकारी नियमों अथवा नितियों को संकलित कर प्रस्तुत पुस्तिका तैयार की गई है। इसके संकलनकर्ता भारत सरकार के राजभाषा विभाग के उपसचिव श्री हरिबाबू कंसल, केंद्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् के महामंत्री श्री जगन्नाथ जी हैं।

पुस्तिका के प्रथम भाग में राजभाषा के रूप में हिन्दी की वैधानिक स्थिति और उसके प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए 1955 तथा 1960 के राष्ट्रपति के आदेश दिए गए हैं। दूसरे भाग में राजभाषा अधिनियम 1963 (राजभाषा संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा संशोधित) तथा भाषा नीति विषयक संसदीय संकल्प दिया गया है। तीसरे भाग में सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा 1976 में बनाए गए राजभाषा के नियमों को लिया गया है। इन

नियमों से ज्ञात होता है कि केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में हिन्दी सम्बन्धी ये आदेश कहां-कहां, किस-किस सीमा तक लागू होते हैं। इनके अनुपालन में प्रशासनिक प्रधान का क्या दायित्व है। अन्तिम भाग में गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के अधिकारियों की राजभाषा सम्बन्धी अनुदेशों के अनुपालन की निरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था, हिन्दी के कार्यान्वियन को सुनिश्चत करने के लिए हिन्दी बैठकों की व्यवस्था, भर्ती परीक्षाओं में हिन्दी के प्रयोग सम्बन्धी आदेश, हिन्दी टाइप-राइटरों की व्यवस्था आदि के आदेश दिए गए हैं। अंत में राजभाषा के प्रयोग सम्बन्धी 1976-77 का वह कार्यक्रम भी दिया गया है, जिसे केन्द्रीय सरकार के विभिन्न कार्यालयों से मार्च 77 तक पूरा कर लेने की अपेक्षा की गई थी।

इस प्रकार इस संकलन के प्रकाशित हो जाने से जनता को भारत सरकार के हिन्दी सम्बन्धी समस्त आदेशों को हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में सही रूप में, एक ही जगह जानकारी मिल सकेगी। आशा है इससे उन सरकारी कर्मचारियों की जो अपने काम काज में हिंदी का प्रयोग करने में हिचकिचाते या डरते थे, झिझक दूर होगी और उनके द्वारा हिंदी का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में बढ़ने लगेगा।

शशिबाला
डी-1/53, सत्यमार्ग,
चाणक्यपुरी, नई दिल्ली 110021

जानकी सहस्त्रनाम : (लेखिका : जानकी देवी बजाज, प्रकाशक : यशपाल जैन, मंत्री, सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, मूल्य : ग्यारह रुपए, पृ० संख्या : 328।

ऋषि विनोबा की प्रेरणा से माता जानकी देवी बजाज द्वारा लिखित इस पुस्तक में उन एक सहस्र व्यक्तियों के नाम संक्षिप्त संस्मरण के साथ संग्रहीत है, जो उनके सम्पर्क में आते रहे थे। इस पुस्तक की विशेषता यह है कि इसमें छोटे-बड़े का कोई विचार नहीं किया गया है। पुस्तक को पढ़कर कोई भी थोड़ी देर में अनेक क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोगों, समाज सेवियों, राजनेताओं तथा धार्मिक व्यक्तियों के बारे में जानकारी हासिल कर सकता है।

इस पुस्तक की भाषा बड़ी सरल है। पुस्तक में अशुद्धियां नहीं है। मूल्य कम है। मुद्रण समीचीन एवं आकर्षक है। इस प्रकार यह पाठकों को व्यक्तियों की जानकारी देने में नितान्त उपयोगी और पठनीय है। ★

—कु० आशा शर्मा
द्वारा-श्री हंसराज पहवा,
बी-1, अर्जुन मोहल्ला,
प्राइमरी स्कूल गेट के सामने
मौजपुर, दिल्ली-110053

हमारे संत महात्मा : संपादक यशपाल जैन, प्रकाशक : सस्ता साहित्य मण्डल, 1977, मूल्य : तीन रु०।

सुबोध साहित्य माला के अन्तर्गत प्रकाशित 'हमारे संत-महात्मा' भारत की सांस्कृतिक परम्परा की चार महान विभूतियों गुरु नानक, नरसीमेहता, चैतन्य महाप्रभु तथा दक्षिण की मीरा (आंडाल) के जीवन चरित्र वर्णित किए गए हैं। क्रमशः उनके लेखकों—सोहन सिंह, मोहन लाल भट्ट, देवराज दिनेश तथा महेश नारायण भारती—ने अत्यन्त सरल और सुबोध शैली में इन महात्माओं की जीवन गाथा लिखकर भारत के सामान्य जन तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। महात्माओं के जीवन की मार्मिक घटनाओं का उल्लेख करके उनके चरित्रों को अधिक प्रभावशाली बना दिया गया है। इस प्रकार यह ग्रंथ अपने रचना के उद्देश्य में पूरा खरा उतरता है। पुस्तक की छपाई-साज सज्जा तथा विभिन्न चित्रों के माध्यम से पुस्तक की रोचकता और भी बढ़ जाती है। प्रकाशक इसके लिए बधाई के पात्र हैं। ★

—डा० ब्रज नारायण सिंह
बी-24, राम प्रस्थ कालोनी
सैक्टर-XII, पो-चिकम्बरपुर,
गाजियाबाद-201006

मुझे औरतों के काम पसंद नहीं

—देवीसिंह नरूका

राजस्थान के सीमावर्ती जिला, श्री गंगानगर के सूरतगढ़ तहसील मुख्यालय, से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम रंग महल के निवासी बीदावत बावरी सुखराम की पुत्री द्रोपदी को औरतों के काम पसंद नहीं हैं। इसी कारण से वह पुरुषों की भांति रहती है और वह सब मेहनत के काम करती है जो पुरुष कर सकता है। लुंगी, कमीज और लड़कों जैसे छंटे हुए बाल देखकर कोई यह अन्दाज नहीं लगा सकता है कि यह स्त्री है किंतु 15-17 वर्ष का किशोर दिखाई देती है।

कुछ समय पूर्व जब मुझे मालूम हुआ कि इस प्रकार की मर्दानी औरत इस गांव में रहती है तब मैं अपने आपको वहां जाने से नहीं रोक सका। पहली बार जब गया तो दमे के रोगी उसके 50 वर्षीय पिता ने बताया कि प्रातः से ही वह मवेशियों को लेकर सूरतगढ़ फार्म के क्षेत्र में चराने के लिए ले गई है। यह भी बताया गया कि वह शादी नहीं कराना चाहती थी किंतु घर वालों ने लोक लाज के डर से दस वर्ष पहले पास के ही ग्राम में उसकी शादी कर दी। सुसराल में एक दिन से अधिक नहीं ठहरी और माता के घर पर लौट आई। उसके बाद ससुराल जाने से साफ इन्कार कर दिया। रंगमहल ग्राम में ही उसे एक मुरब्बा (25 बीघा) जमीन भी आवंटित कर दी गई है। वह स्वयं खेती के सब काम करती है और वृद्ध माता पिता के काम में भी सहयोग देती है। ग्रामबासी भी उसे द्रोपदी न कहकर 'दोप्यो' नाम से पुकारते हैं। बचपन से ही उसे लड़कों की भांति रहना ही पसंद था।

इस प्रकार से जब पहली बार उससे साक्षात्कार नहीं हो सका तब दूसरी बार फोटोग्राफर और पंचायत समिति सूरतगढ़ के कृषि प्रसार अधिकारी के साथ गया, तब द्रोपदी अपने कच्चे घर के बरामदे में पलंग पर लेटी हुई थी। जब उससे कहा गया कि कोई उससे मिलने के लिए आए हैं तब पहले तो बाहर आने से इन्कार कर दिया। जब पिता ने आग्रह किया कि पंचायत समिति और जिले के अधिकारी आए हैं तब बड़े अनमने ढंग से लुंगी और कमीज पहने यह युवक नुमा युवती हमारे सामने आकर कमर पर दोनों हाथ रखकर खड़ी हो गई। हम उसे ऊपर से नीचे तक देख ही रहे थे कि वह बोली 'हां कै है ? मेरी इच्छा की कि क्यों न उसे उस समय सूरतगढ़ के राजकीय चिकित्सालय में चिकित्सा विशेषज्ञों को दिखाया जाए, शायद यौन परिवर्तन का ही मामला हो। जब उससे कहा गया कि सूरतगढ़ में कुछ लोग उससे मिलना चाहते हैं, वह साथ चले, अपने पिता को भी साथ ले चले, यहां जीप से ही वापस पहुंचा देगें किंतु वहां जाने के लिए उसने साफ इन्कार कर दिया।

पुरुष वेष में द्रोपदी

आखिर जो बातचीत हुई उसका सार यही है कि द्रोपदी को औरतों के काम पसंद नहीं। वह मर्दों की भांति ही रहना चाहती है। उसके दो भाई और 6 बहनें हैं। एक बहिन भगवान को प्यारी हो गई, एक ससुराल गई और वह स्वयं ससुराल से लौट कर वापस आ गई। 25 वर्षीय द्रोपदी ही सब भाई बहनों में बड़ी है। माता-पिता के और अपने खेत में काम करना तथा छोटे भाई बहिनों के पालन-पोषण में ही उसे आंनद आता है।

द्रोपदी अनपढ़ है, किंतु न जाने स्त्री स्वतंत्रता के युग में उसे जमाने की हवा लगी है अथवा कोई मनोवैज्ञानिक व शारीरिक कारण है जिससे इस असामान्य दिखाई देने वाले जीवन को ही सामान्य समझकर खुश है।

जिला जन सम्पर्क अधिकारी
श्री गंगानगर (राज०)

Regd. No. D(D)/98

सैन्ट पाल्स स्कूल, उदयपुर के छात्रों ने अनेक सांस्कृतिक समारोह आयोजित किए और 17,500 रु० एकत्रित किए। इस रकम से उदयपुर जिले के टूस गांव में एक शिविर लगा जो एक सप्ताह तक चला। इस अवधि में गरीब हरिजन किसानों की जमीन पर छः कुंए खोदें गए जिससे इन गरीब किसानों को भूमि से अधिक पैदावार मिलने की आशा है। इन 250 छात्रों के शिविर की बड़ी सराहना हुई और गाँव वालों ने छात्रों के प्रति आभार प्रकट किया।

निदेशक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली से प्रकाशित और
केसर क्यारी इलैक्ट्रिक प्रेस, फरीदाबाद-120003 में मुद्रित।